"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 जून 2016—आषाढ़ 3, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 जून 2016

क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री नीलकंठ टीकाम, भा.प्र.से. (2008), उप सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, उप सचिव, जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 जून 2016

क्रमांक 5525/628/21-ब/2016.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा 6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) रेव्ह. श्री आदित्य सेन्दूर, भिलाई को छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में :—

1. विवाह अनुष्ठापित कराने और
2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 5525/628/21-B/2016.—In exercise of the powers conferred by Section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act 1872 (No. 15 of 1872), the State Government is pleased to grant license to (Minister of Religion) Rev. Shri Aditya Sendur, Christian Community Church, Bhilai for District Durg of Chhattisgarh State :—

1. to Solemnize Marriage ; and
2. to grant Certificate of marriages solemnised between the Indian Christians.

नया रायपुर, दिनांक 6 जून 2016

क्रमांक 5527/397/21-ब/2016.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा 6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) रेव्ह. पास्टर राहुल मसीह, गुड न्यूज सेंटर चर्च, बिरगांव को छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में :—

1. विवाह अनुष्ठापित कराने और
2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 5527/397/21-B/2016.—In exercise of the powers conferred by Section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), the State Government is pleased to grant license to (Minister of Religion) Rev. Pastor Rahul Masih, Good News Center Church, Birgaon for District Raipur of Chhattisgarh State :—

1. to Solemnize Marriage ; and
2. to grant Certificate of marriages solemnised between the Indian Christians.

नया रायपुर, दिनांक 6 जून 2016

क्रमांक 5529/3004/21-ब/2016.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा 6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) रेव्ह. पास्टर एस. के. बघेल, नव प्रेरित चर्च, गनेशपुर (सिमगा) को छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में :—

1. विवाह अनुष्ठापित कराने और
2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 5529/3004/21-B/2016.—In exercise of the powers conferred by Section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act 1872 (No. 15 of 1872), the State Government is pleased to grant license to (Minister of Religion) Rev. Pastor S. K. Baghel, New Prerit Church, Ganeshpur (Simga) for District Balodabazar-Bhatapara of Chhattisgarh State :—

1. to Solemnize Marriage ; and
2. to grant Certificate of marriages solemnised between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 जून 2016

क्रमांक एफ 1-11/तीन-जेल/2014.—कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का सं. 9) की धारा 59 की उपधारा (8) सहपठित छत्तीगढ़ कारागार नियम, 1968 के नियम 6 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, मुंगेली, जिला-मुंगेली में उप जेल स्थापित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार रंजन, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 3 जून 2016

क्रमांक एफ 1-11/तीन-जेल/2014.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-11/तीन-जेल/2014, दिनांक 03-06-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार रंजन, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 3rd June 2016

No. F 1-11/Three-Jail/2014.—In exercise of the powers conferred under sub-section (8) of Section 59 of the Prison Act, 1894 (No. IX of 1894) read with rule 6 of the Chhattisgarh Prisons Rules, 1968 the State Government, hereby, establishes Subsidiary Jail at Mungeli, District Mungeli.

By order and in the name of the Governor of Chhattisagrh,
SUNIL KUMAR RANJAN, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 जून 2016

क्रमांक एफ 3-22/तीन-जेल/2013.—कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का सं. 9) की धारा 59 की उपधारा (8) सहपठित छत्तीगढ़ कारागार नियम, 1968 के नियम 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, बीजापुर जिला के बीजापुर में उप-जेल स्थापित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार रंजन, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 जून 2016

क्रमांक एफ 3-22/तीन-जेल/2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-22/तीन-जेल/2013, दिनांक 07-06-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार रंजन, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 7th June 2016

No. F 3-22/Three-Jail/2013.—In exercise of the powers conferred under sub-section (8) of Section 59 of the Prison Act, 1894 (No: IX of 1894) read with rule 6 of the Chhattisgarh Prisons Rules, 1968 the State Government, hereby, establishes Subsidiary Jail at Bijapur in District Bijapur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisagrh,
SUNIL KUMAR RANJAN, Joint Secretary.

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 1-4/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वेतनमान (HAG : Rs. 67000 & annual increment @ 3% - Rs. 79000/- ; Grade Pay-Nil) के भारतीय वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम-4 में अंकित नवीन पदस्थपना स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री शिरीष चन्द्र अग्रवाल (1983)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (छ.ग.) रायपुर.	अपर प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य वन विकास निगम लिमि. रायपुर (प्रतिनियुक्ति पर)
2.	श्री के. सी. बेवर्ता (1983)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छ.ग. रायपुर.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन/राजपत्रित) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (छ.ग.) रायपुर
3.	श्री राजेश गोवर्धन (1986)	अपर प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य वन विकास निगम लिमि. रायपुर (प्रतिनियुक्ति पर)	अपर प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर (प्रतिनियुक्ति पर)
4.	श्री देवाशीष दास (1987)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (छ.ग.) रायपुर.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (संरक्षण) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (छ.ग.) रायपुर.
5.	श्री जे. ए. सी.एस. राव (1987)	मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (छ.ग. राज्य कैम्पा) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (छ.ग.) रायपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	श्रीमती बी.व्ही. उमादेवी (1987)	आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली, (प्रतिनियुक्ति पर)	प्रोफार्मा पदोन्नति, यथावत
7.	श्री के. मुरुगन (1987)	मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, उदंती सीतानदी टाईगर, रिजर्व, रायपुर.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड, बिलासपुर) मुख्यालय, रायपुर (प्रतिनियुक्ति पर).
8.	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह (1987)	मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, सरगुजा	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छ.ग. रायपुर.
9.	श्री एस. एस. बजाज (1988)	अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, छ.ग. रायपुर (प्रतिनियुक्ति पर).	प्रोफार्मा पदोन्नति, यथावत
10.	श्री देवेन्द्र सिंह (1988)	सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर (प्रतिनियुक्ति पर).	प्रोफार्मा पदोन्नति, यथावत
11.	श्री सुधीर कुमार अग्रवाल (1988)	सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर (प्रतिनियुक्ति पर)	प्रोफार्मा पदोन्नति, यथावत
12.	श्री जयसिंह म्हस्के (1988)	मुख्य वन संरक्षक, (अनुसंधान विस्तार) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (छ.ग.) रायपुर.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव, छ.ग. राज्य जैव विविधता बोर्ड, रायपुर.
13.	श्री आशीष कुमार भट्ट (1988)	सचिव, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर (प्रतिनियुक्ति पर).	प्रोफार्मा पदोन्नति, यथावत
14.	श्री यूनुस अली (1988)	प्रबंध संचालक, छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर (प्रतिनियुक्ति पर).	प्रोफार्मा पदोन्नति, यथावत
15.	श्री व्ही. रामाराव (1988)	मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, इन्द्रावती टाईगर रिजर्व, जगदलपुर.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (असंवर्गीय) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (छ.ग.) रायपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 जून 2016

क्रमांक/पं.-1429/पंग्राविवि/22/2016/363.—छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 70 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कक्ष क्र. एडी 1-26, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

नियम 10 में, शब्द "मुख्य कार्यपालन अधिकारी" के पश्चात्, शब्द एवं चिन्ह "/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी" अन्तः स्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 6 जून 2016

क्रमांक/पं.-1429/पंग्राविवि/22/2016/364.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पं.-1429/पंग्राविवि/22/2016/363, दिनांक 06-06-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 6th June 2016

No./P.-1429/PGVV/22/2016/363.—The following further draft amendment in the Chhattisagrh Teacher (Panchayat) Cadre (Recrtuitment and Conditions of Service) Rules, 2012, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisagrh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), is hereby, published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam for the informantion of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person, before the specified period, during hours by the office of the Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Pachayat & Rural Development, Room No. AD 1-26, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur shall be considered by the Government of Chhattisagrh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

In rule 10, after the words "Chief Executive Officer", the words and symbol "/Additional Chief Executive Officer" shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisagrh,
YACUB XESS, Deputy Secretary.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 जून 2016

क्रमांक एफ 1-07/2016/25-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कार्यालय में आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	नाम एवं पदनाम (2)	कार्यरत कार्यालय (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री एच. के. सिंह उइके, सचिव छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति आयोग.	छ.ग. राज्य अनु. जाति आयोग, रायपुर.	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नया रायपुर.
2.	श्री बी. एल. बंजारे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्यालय रायपुर.	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नया रायपुर.	छ.ग. राज्य अनु. जाति आयोग, रायपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 जून 2016

क्रमांक एफ 8-1/2015/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ-52-59/तीन (एक)-18/पंचा./कार.अव./2014/726, दिनांक 28-05-2016 में उल्लेखित छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 37-28/तीन (एक)-3/पंचा./2016/695, दिनांक 25-05-2016 के अनुसार भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-ट सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 42 एवं सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा राज्य के संलग्न परिशिष्ट-एक में दर्शाये गये जिले के विकासखंड में आम चुनाव एवं परिशिष्ट-दो में दर्शाये गये जिलों के जनपद पंचायत सदस्य, सरपंचों तथा पंचों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये उप निर्वाचन हेतु छ.ग. पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार दिनांक 19-06-2016 (रविवार) को मतदान कराया जाएगा.

2. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् 19-06-2016 (रविवार) को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित करता है.

3. ऐसे कारखानें जो सप्ताह के सात दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

परिशिष्ट-1

आम निर्वाचन 2016

क्र. (1)	जिला (2)	विकासखंड (3)	ग्राम पंचायत का नाम (4)	वार्डों की संख्या (5)
1.	कोरिया	बैकुण्ठपुर	1. फूलपुर	10
			2. बिशुनपुर	10
			3. कंचनपुर	18
			योग 3	**38**

परिशिष्ट-2

पंचायत के रिक्त पदों की जिलों से प्राप्त संकलित जानकारी

माह 31 दिसम्बर 2015 की स्थिति में

क्र. (1)	जिला (2)	जिला पंचायत सदस्य (3)	जनपद पंचायत सदस्य (4)	सरपंच (5)	पंच (6)	योग (7)
1.	बिलासपुर	0	0	0	4	4
2.	मुंगेली	0	0	5	5	10
3.	जांजगीर-चांपा	0	0	1	18	19
4.	कोरबा	0	1	0	9	10
5.	सूरजपुर	0	0	1	34	35
6.	बलरामपुर	0	0	1	5	6
7.	सरगुजा	0	0	0	18	18
8.	कोरिया	0	0	1	11	12
9.	रायगढ़	0	0	1	16	17
10.	जशपुर	0	0	2	15	17
11.	रायपुर	0	0	3	11	14
12.	बलौदाबाजार	0	0	1	14	15
13.	गरियाबंद	0	0	1	16	17
14.	महासमुन्द	0	0	3	8	11
15.	धमतरी	0	0	0	11	11
16.	बेमेतरा	0	0	2	8	10
17.	दुर्ग	0	0	2	8	10
18.	बालोद	0	0	5	6	11
19.	राजनांदगांव	0	0	6	23	29
20.	कबीरधाम	0	0	1	17	18
21.	कोण्डागांव	0	0	1	5	6
22.	बस्तर	0	1	0	7	8
23.	नारायणपुर	0	0	2	5	7
24.	कांकेर	0	0	6	134	140
25.	दन्तेवाड़ा	0	0	1	27	28
26.	सुकमा	0	1	1	0	2
27.	बीजापुर	0	1	1	2	4
	योग	**0**	**4**	**48**	**437**	**489**

नया रायपुर, दिनांक 13 जून 2016

क्रमांक 1125/1214/16/6.—श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत संयुक्त निरीक्षण/एकीकृत निरीक्षण प्रणाली की व्यवस्था निरूपित करने का परामर्श दिया गया है.

उपरोक्त के दृष्टिगत कारखानों/स्थापनाओं में निरीक्षकों के द्वारा निरीक्षण हेतु प्रवेश करने पर निम्नांकित श्रम अधिनियमों (जो लागू हो) के अंतर्गत आवश्यक रूप से एक ही बार में निरीक्षण किया जावेगा :—

1. समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976,
2. कारखाना अधिनियम 1948,
3. न्यूनतम वेतन अधिनियम ,1948,
4. छ.ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958, (यदि लागू हो)
5. बोनस भुगतान अधिनियम 1965,
6. मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936,
7. उपादान भुगतान अधिनियम 1972,
8. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961,
9. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970
10. छ.ग. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982

कारखानों में कारखाना निरीक्षक एवं श्रम निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जावेगा. इस व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत निरीक्षण आवंटन प्रणाली के माध्यम से श्रमायुक्त अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा कार्यान्वित कराया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 जून 2016

क्रमांक एफ 20-103/2015/11/(6).—राज्य शासन एतद्द्वारा संलग्न अनुसार "छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016" लागू करता है. यह नीति इसके छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर 2019 को समाप्त होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016

1 **प्रस्तावना**— नवीन राज्य गठन के पश्चात् राज्य शासन ने नियोजित रूप से राज्य के समग्र औद्योगिक विकास हेतु "औद्योगिक नीति 2001–06" "औद्योगिक नीति 2004–09", "औद्योगिक नीति 2009–14" एवं "औद्योगिक नीति 2014–19" लागू की है। राज्य में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पर आधारित उद्योगों एवं ऑटोमोटिव उद्योगों के विकास हेतु क्रमशः "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012" एवं "ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012" भी लागू है। परिणामतः, राज्य तीव्रता से समग्र औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर है।

वर्तमान में राज्य में कई औद्योगिक क्षेत्र है। मुख्य औद्योगिक क्षेत्र रायपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र उरला एवं सिलतरा, बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी, दुर्ग जिले के बोरई तथा हल्का एवं भारी औद्योगिक क्षेत्र भिलाई हैं, जिनमें विभिन्न श्रेणियों के सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद्, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स स्थापित हैं। राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भी उद्योग स्थापित हुए हैं। इन स्थापित उद्योगों में से कुछ उद्योग विभिन्न कारणों से बीमार/बंद है।

राज्य में नये औद्योगिक निवेश के साथ–साथ यह भी आवश्यक है कि जो उद्योग बंद/बीमार है, उन्हें पुनः प्रारंभ करवाया जावें/बीमार अवस्था से बाहर लाया जावें, ताकि बंद पड़े उद्योग पुनः प्रारंभ हो सकें, उद्योगों में पूंजी निवेश का प्रवाह पुनः प्रारंभ हो तथा रोजगार के अवसरो में बढ़ोतरी के साथ–साथ राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों में भी वृद्धि हों।

बंद उद्योगों को पुनः प्रारंभ करने /बीमार अवस्था से बाहर लाने हेतु वित्तीय संस्थाओं/बैंको द्वारा इन उद्योगों के वित्तीय संसाधनों की पूर्ति के साथ–साथ राज्य शासन के औद्योगिक प्रोत्साहन की भी आवश्यकता है।

राज्य गठन के पश्चात् वर्ष 2001–02 में राज्य शासन द्वारा राज्य के बंद उद्योगों को पुर्नजीवित करने हेतु विद्युत प्रदाय में विशेष रियायतें दिये जाने हेतु एक विशेष प्रोत्साहन योजना लागू की गयी थी, जिसके अच्छे परिणाम आये थे व राज्य में कई बंद पड़े फेरो एलायज उद्योग पुनः प्रारंभ हो गये थे, किन्तु उद्योगों की विभिन्न श्रेणियों में बंद/बीमार उद्योगो के पुनर्संचालन /पुनर्वास हेतु "विद्युत" के अतिरिक्त अन्य प्रभावी सेक्टर भी है, जिनसे संबंधित सुविधाएं/रियायतें प्राप्त होने से बंद/बीमार उद्योगो का पुनः संचालन/पुनर्वास होने में सहायता प्राप्त होगी।

2 **उद्देश्य.–**

1. बंद/बीमार पड़े उद्योगों को पुर्नसंचालित/पुर्नवासित कराना, ताकि बंद/बीमार पड़े उद्योगों में उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात्/क्षमता के अनुरूप उत्पादन होने के पश्चात रोजगार के नये अवसर सृजित हो/रोजगार के अवसरो में वृद्धि हो।

2. बंद पड़े उद्योगों में अवरूद्ध भूमि का औद्योगिक उपयोग प्रारंभ कराना।

3. पुनर्वास योग्य बीमार एवं बंद पड़े उद्योगो को पुनर्संचालित/पुनर्वासित कराने में उद्यमियों को/वित्तीय संस्थाओं/बैंको को सहयोग प्रदान करना।

4. पुनर्वास योग्य बीमार/बंद उद्योगों की अवरूद्ध पूंजी को गतिशील बनाना ताकि परिणाम स्वरूप उद्योग प्रारंभ होने के पश्चात् राज्य शासन के राजस्व जैसेः– वेटकर, प्रवेश कर, एक्साइज ड्यूटी, मंडी शुल्क, विद्युत चार्जेस, विद्युत शुल्क, रॉयल्टी, जल चार्जेस एवं उपकरों में वृद्धि हो।

5. बीमार/बंद पड़े उद्योगो के संभावित क्रेताओ को प्रोत्साहित कर बंद/बीमार उद्योगों के क्रय एवं पुनर्संचालन हेतु प्रोत्साहित करना।

6. समय पर एवं उपयुक्त सहायता देकर उद्योगों को बीमार होने से बचाना।

7. वित्तीय संस्थाओं/बैंको में बंधक बंद/बीमार उद्योगों की परिसम्पतियां जिसमें राज्य शासन की भूमि भी सम्मिलित है, का औद्योगिक उपयोग संभव करना।

8. औद्योगिक क्षेत्रो में भूमि की बढ़ती हुई मांग व सीमित आपूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए बंद उद्योगो की भूमि का उपयोग औद्योगिक प्रयोजनो हेतु करना।

9. भारत सरकार द्वारा पुनर्वास योग्य बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुनःस्थापन एवं गैर पुनर्वास योग्य बीमार इकाईयों के समापन हेतु "सिक इण्डस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजन्स् एक्ट 1985" के अंतर्गत "बी.आई.एफ.आर." नामक वैधानिक संस्था स्थापित है, किन्तु सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र इनकी परिधि में नहीं आता है, अतः सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बीमार होने से बचाना तथा बंद सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को पुनः प्रारंभ करने के लिये व्यवस्था निर्मित करना ।

3 **शीर्षक.**– यह नीति "छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति, 2016" कही जावेगी जो राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी। यह नीति केवल विनिर्माण उद्योगों पर लागू होगी।

4 **क्रियान्वयन अवधि.**– यह नीति राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से 31 अक्टूबर 2019 तक की कालावधि के लिए प्रभावशील होगी।

5 **परिभाषाएं.**– इस नीति के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार परिभाषाएं लागू होगी –

5.1 बीमार/बंद उद्योग

(1) कोई सूक्ष्म, लघु उद्योग इकाई (एमएसएमई अधिनियम 2006 के अनुसार) "बीमार" तभी समझी जावेगी यदि इकाई के अंकेक्षित लेखों के आधार पर :–

इकाई का सबसे अधिक ऋण वाला उधारी लेखा छः माह से अधिक की अवधि के लिए एन.पी.ए. (Non Performing Asset) बना रहे।

या

इकाई के नेटवर्थ में कमी हुई हो, जो गत लेखा वर्ष में संचित नगद हानि के कारण नेटवर्थ के 50 प्रतिशत की सीमा तक हो।

(2) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में एक बीमार उद्योग वह कहलायेगा जिसका ऋण खाता 6 माह या उससे अधिक अवधि हेतु NPA (Non Performance asset) हो गया हो या उद्योग में लगातार हानि (संचित हानि) होने के कारण उद्योग के नेटवर्थ में गत वर्ष के अंकेक्षित लेखों के आधार पर 50 प्रतिशत की कमी आ गई हो।

उपरोक्त परिभाषा के तहत् बीआईएफआर के समस्त प्रकरण जिनमें पुनर्वास योजना स्वीकृत की जा चुकी हो/तैयार की जा चुकी हो, शासकीय समापक के माध्यम से उद्योगों का क्रय, सिक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन आफ फायनेंसियल असेट्स एण्ड इन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 के तहत् किसी वित्तीय संस्था/ बैंक/ वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा अधिकृत एजेन्सी से बीमार उद्योग क्रय करने वाले उद्यमी, राज्य शासन के उपक्रम छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा अधिग्रहण उपरांत उद्योगों का क्रय करने वाले उद्यमी भी सम्मिलित मान्य किये जावेंगे अर्थात् ऐसे प्रकरणों में "बीमार उद्योग" की मान्यता/ पहचान हेतु समिति में विचार की आवश्यकता नहीं होगी एवं उन्हें "बीमार उद्योग" मान्य किया जावेगा।

5.2 **बंद उद्योग.**– बंद उद्योग से आशय है औद्योगिक इकाई के उद्योग के बंद होने के पूर्व न्यूनतम दो वर्ष तक वाणिज्यिक रूप से उत्पादनरत् रही हो तथा इकाई विगत न्यूनतम लगातार 18 माह से बंद रही हो। बंद होने के कारण विद्युत विच्छेदन हुआ हो या ***केन्द्रीय उत्पाद शुल्क*** का इस अवधि में भरा गया निर्धारण प्रपत्र निरंक हो, या राज्य स्तरीय पुनर्वास समिति जिस कारण को मान्य करें ।

परन्तु राज्य शासन को जीएसटी लागू होने पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरंक निर्धारण की शर्त को पृथक से अधिसूचित किए जाने का अधिकार होगा।

उपरोक्त परिभाषा के तहत् बीआईएफआर के समस्त प्रकरण जिनमें पुनर्वास योजना स्वीकृत की जा चुकी हो/तैयार की जा चुकी हो, शासकीय समापक के माध्यम से उद्योगों का क्रय, सिक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन आफ फायनेंसियल असेट्स एण्ड इन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 के तहत् किसी वित्तीय संस्था/ बैंक/ वित्तीय संस्थाओं/बैंक द्वारा अधिकृत एजेन्सी से बंद उद्योग क्रय करने वाले उद्यमी, राज्य शासन के उपक्रम छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा अधिग्रहण उपरांत उद्योगों का क्रय करने वाले उद्यमी भी सम्मिलित मान्य किये जावेंगे अर्थात् ऐसे प्रकरणों में "बंद उद्योग" की मान्यता/पहचान हेतु समिति में विचार की आवश्यकता नहीं होगी एवं उन्हें बंद उद्योग मान्य किया जावेगा।

5.3 **नेटवर्थ** – कंपनी के प्रकरणों में नेटवर्थ का आशय प्रदत्त पूंजी तथा फ्री–रिजर्व के योग से है। एकल स्वामित्व/भागीदारी/सीमित दायित्व साझेदारी/सहकारी समिति व अन्य के प्रकरणों में नेटवर्थ का आशय एकल स्वामी/भागीदारो/सीमित दायित्व साझेदारी/सहकारी समिति के सदस्यों की कुल पूंजी एवं फ्री–रिजर्व के योग से होगा।

5.4 **फ्री–रिजर्वस–** फ्री–रिजर्वस से आशय उस जमा पूंजी से है जो लाभ तथा शेयर प्रीमियम लेखा से प्राप्त हुई हो, परन्तु इसमें एकीकरण प्रावधानों के अंतर्गत आस्तियों के पुर्नमूल्यांकन तथा कम किये गये अवक्षयण (Depreciation) से निर्मित पूंजी सम्मिलित नहीं होगी।

5.5 **बैंक–** बैंक से आशय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित/अनुज्ञा प्राप्त बैंक तथा जिला सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक एवं सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी बैंक से है।

5.6 **वित्तीय संस्था–** वित्तीय संस्था से आशय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक क्रेडिट एवं इंवेस्टमेंट निगम, भारतीय औद्योगिक इंवेस्टमेंट बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), जो औद्योगिक इकाईयों को ऋण देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अधिकृत है। वित्तीय संस्था से आशय भारत सरकार/ राज्य शासन के उस निगम से भी है जिसे ऋण प्रदान करने हेतु भारत सरकार/राज्य शासन की स्वीकृति प्राप्त हुई हो।

5.7 **व्यवहार्य बीमार इकाई (Viable Sick Unit)–** व्यवहार्य बीमार इकाई से आशय विनिर्माण क्षेत्र की ऐसी औद्योगिक इकाई से है, जिसमें प्लांट व मशीनरी में 5 लाख रूपये से अधिकं का पूंजी वेष्ठन हो, इस नीति में घोषित पैकेज को देने के पश्चात् वित्तीय संस्थाओ/बैंको के पुर्नरचित ऋण एवं ब्याज का निर्धारित अवधि में भुगतान के साथ–साथ राज्य शासन के वाणिज्यिक कर विभाग, ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उद्योग विभाग, जल संसाधन विभाग, खनिज संसाधन विभाग, आबकारी विभाग अथवा इनकी एजेंसियां/ निगम/बोर्ड एवं विभिन्न श्रम कानूनों के तहत् गठित राज्य शासन के निकाय जिन्हें इकाई से देय भुगतान प्राप्त करने के वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, को देय देनदारी का भुगतान भी पैकेज की क्रियान्वयन अवधि में कर सके ।

5.8 **भुगतान हेतु बकाया राशि–** भुगतान हेतु बकाया राशि से आशय राज्य शासन के वाणिज्यिक कर विभाग, ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उद्योग विभाग, जल संसाधन विभाग, खनिज संसाधन विभाग, आबकारी विभाग अथवा इनकी एजेंसियां/निगम/बोर्ड तथा विभिन्न श्रम कानूनो के अंतर्गत गठित राज्य शासन के निकायों जिन्हें इकाई से देय भुगतान प्राप्त करने के वैधानिक अधिकार प्राप्त है, की देनदारी से है।

5.9 **अप्रैजल एजेंसी–** अप्रैजल एजेंसी से आशय आई.डी.बी.आई./सिडबी द्वारा सूचीबद्ध औद्योगिक कन्सल्टेन्ट, सिटकॉन, उद्यमिता विकास केन्द्र, या वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा इस संबंध में निर्धारित एजेन्सी से है।

5.10 **आधार तिथि–** आधार तिथि से आशय है वह तिथि जिस तिथि को राज्य शासन द्वारा बंद/बीमार उद्योगो के पुनर्वास हेतु बीमार/बंद उद्योग घोषित/विशेष प्रोत्साहन योजना लागू किये जाने हेतु निर्णय लिया गया हो।

5.11 **अन्य परिभाषाएं–** इस नीति के क्रियान्वयन हेतु जो परिभाषाएं इस नीति में नही है, उनके संबंध में औद्योगिक नीति 2014–19 /भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषाएं यथास्थिति जो लागू हो, प्रभावी होंगी।

6 उद्योगो के बंद/बीमार होने के कारण

1. उद्योगों में कुप्रबंधन।
2. उत्पाद की मांग एवं पूर्ति में असंतुलन।
3. उद्योग के संचालको/साझेदारो/सदस्यों में विवाद।
4. उद्योग में अपनाई जा रही पुरानी तकनीक।
5. उद्योगों को प्राप्त ऋण/पूंजी का अन्य उद्योगों में निवेशित कर देना।
6. उद्योगों को प्राप्त ऋण/पूंजी का अनुत्पादक कार्यों में व्यय कर देना ।

7. तकनीकी कौशल का अभाव।
8. उद्यमिता एवं विशेषज्ञता का अभाव।
9. विपणन समस्या व कड़ी प्रतिस्पर्धा ।
10. उद्योग हेतु आवश्यक कच्चे माल की कमी/कच्चे माल की अधिक लागत ।
11. उद्योग स्वामी के नियंत्रण से परे कारण।
12. निवेशक का जानबूझकर डिफाल्टर होना।
13. अन्य कारण जो राज्य स्तरीय पुनर्वास समिति द्वारा मान्य किया जाये।

7 **रणनीति.–**

1. राज्य शासन द्वारा संपूर्ण राज्य में बंद/बीमार उद्योगों की सूची बनायी जावेगी।
2. राज्य शासन द्वारा बंद/बीमार उद्योगों को पुनः प्रारंभ कराने के प्रयास किये जावेंगे।
3. इन नीति के अन्तर्गत पात्र बीमार एवं बंद इकाईयों के पुनर्वास/पुनर्संचालन हेतु पैकेज दिया जावेगा।
4. सिक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेन्सियल असेट्स एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत बंद इकाईयों के पुनर्संचालन हेतु संबंधित वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से समन्वय कर उद्योगों को शीघ्र प्रारंभ कराया जावेगा।

8 **क्षेत्र.–** इस नीति के अंतर्गत सम्मिलित है :–

(1) औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) में संदर्भित बीमार/बंद उद्योगों का क्रय।
(2) शासकीय परिसमापक (Official liquidator) के माध्यम से बंद उद्योगों का क्रय।
(3) सिक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेन्सियल असेट्स एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत किसी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अधिग्रहित उद्योगों का क्रय ।
(4) राज्य शासन के उपक्रमों द्वारा अधिग्रहित उद्योगो का क्रय।
(5) निजी निवेशकों द्वारा किसी बंद/बीमार पड़े उद्योगों का क्रय ।
(6) उद्योग स्वामी द्वारा अपने बंद/बीमार उद्योग के पुनर्वास/पुनर्जीवन ।
(7) उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम पांच लाख रूपये का पूंजी निवेश हो।

9 **पात्र आवेदनकर्ता.–** इस नीति के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति/साझेदारी फर्म/कंपनी/सहकारी समिति/सीमित दायित्व साझेदारी/औद्योगिक इकाई उपरोक्त बिन्दु–8 अनुसार मान्य गतिविधियों के बंद/बीमार इकाईयों को पुनः प्रारंभ करने/पुनर्संचालन करने इस नीति का लाभ लेने के लिए आवेदन करने हेतु पात्र है।

10 **अपात्र उद्योग.–** इस नीति के अंतर्गत निम्नांकित आवेदको/उद्योगों को सम्मिलित नही किया जावेगा :–

(1) भारत सरकार/राज्य शासन/राज्य शासन की किसी एजेंसी द्वारा किसी क्षेत्र विशेष हेतु निशेधित उद्योग।
(2) भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा घोषित निषेधित उद्योग ।
(3) भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा काली सूची में डाले गये उद्योग।
(4) भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा स्थापित उपक्रम।
(5) पान मसाला, गुटखा, सुपारी एवं तंबाखू आधारित उद्योग।
(6) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस।
(7) फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग।
(8) स्टोन क्रेशर।
(9) लेदर टैनरी।
(10) स्लाटर हाउस (बूचड़ खाना)।
(11) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)।
(12) समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग/ग्राईडिंग/पलवराइजिंग।
(13) अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निषेधित घोषित किये जाएं।

11 **प्रक्रिया.–**

11.1 इस नीति के अन्तर्गत उपरोक्त सरल क्र. 8 अनुसार मान्य गतिविधियो में पात्र आवेदनकर्ता द्वारा किसी भी बंद उद्योग/बीमार उद्योग को पुनर्संचालित करने/पुनर्वास हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा।

11.2 आवेदन के साथ–साथ बंद/बीमार उद्योग को पुनर्संचालन/पुनर्वास हेतु विस्तृत योजना प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें उद्योग के बीमार/ बंद रहने की तथ्यात्मक स्थिति, उद्योग के बीमार/बंद होने के कारण, पुनर्संचालन हेतु किये जा रहे प्रयास, बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति, स्वयं का अंशदान, विगत वित्तीय वर्षो की अंकेक्षित बैलेंस शीट, बी.आई.एफ.आर./शासकीय समापक की टीप एवं उद्योग को पुनर्संचालित करने/पुनः प्रारंभ करने की अवधि भी होगी।

11.3 आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुनर्वास योजना का अनुमोदन अप्रैजल एजेंसी से करवाना होगा । अप्रैजल एजेन्सी अपने प्रतिवेदन में उद्योग के बंद/बीमार होने के कारणों (कंडिका क्र. 6 को ध्यान में रखते हुए) की व्याख्या करते हुए अपने सुझाव देगी व अभिमत में यह स्पष्ट अनुशंसा करेगी कि उद्योग बीमार/बंद उद्योग की परिभाषा के तहत् आता है अथवा नहीं, इकाई व्यवहार्य बीमार इकाई है या नहीं तथा बीमार/बंद उद्योग का पुनर्संचालन/पुनर्वास संभव है अथवा नहीं। एजेंसी अपने सुझाव भी दे सकेगी।

11.4 बीमार/बंद सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के पुनर्वास तथा पुनर्संचालन हेतु प्राप्त आवेदनों एवं आवेदनों की प्रस्तावित योजना, अप्रैजल एजेंसी की रिपोर्ट का परीक्षण मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा किया जावेगा तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न आवेदनों का एवं आवेदनों की प्रस्तावित योजना व अप्रैजल एजेंसी की रिपोर्ट परीक्षण उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा किया जावेगा।

11.5 बीमार/बंद उद्योगों के पुनर्वास/ पुनर्संचालन हेतु प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त निम्नानुसार समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा :–

अ– जिला स्तरीय समिति (सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों हेतु) –

(1)	संबंधित जिले के कलेक्टर	अध्यक्ष
(2)	संचालक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान अथवा उनके प्रतिनिधि.	सदस्य
(3)	आयुक्त/संचालक उद्योग के प्रतिनिधि जो संयुक्त संचालक स्तर से कम न हो.	उपाध्यक्ष
(4)	सहायक आयुक्त श्रम विभाग,	सदस्य
(5)	अग्रणी बैंक के अधिकारी	सदस्य
(6)	उद्योग की वित्त पोषित संस्था/ बैंक के षाखा प्रबंधक	सदस्य
(7)	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग	सदस्य
(8)	कार्यपालक अभियंता, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कम्पनी	सदस्य
(9)	संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग	सदस्य
(10)	खनिज अधिकारी	सदस्य
(11)	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग	सदस्य
(12)	मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव

ब– राज्य स्तरीय समिति (सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न उद्योग–मध्यम, वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट हेतु) –

(1)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(2)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त	सदस्य
(3)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग.	सदस्य
(4)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, विधि एवं विधायी कार्य	सदस्य
(5)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग	सदस्य
(6)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उर्जा विभाग	सदस्य
(7)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
(8)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खनिज संसाधन विभाग	सदस्य
(9)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग.	सदस्य
(10)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग.	सदस्य
(11)	रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख	सदस्य
(12)	उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक जोनल कार्यालय	सदस्य
(13)	उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, रायपुर	सदस्य सचिव

11.6 जिला स्तरीय समिति सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में एवं राज्य स्तरीय समिति सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न उद्योगो के प्रकरणों में बंद/बीमार उद्योगों के संबंध में निर्णय लेगी।

उक्त समितियां यह निश्चित करेगी कि आवेदक उद्योग बीमार/बंद की श्रेणी में आता है अथवा नहीं तथा इसके पुनर्वास/पुनर्संचालन की क्या संभावना है। समितियां सबंधित उद्योग से/आवेदक से योजना का प्रस्तुतिकरण भी प्राप्त कर सकेगी, आवश्यक होने पर उद्योग विशेष से संबंधित तकनीकी कंसल्टेंट/सलाहकार, अप्रैजल एजेंसी से परामर्श भी प्राप्त कर सकेगी। समितियां किसी विशेषज्ञ को भी आमंत्रित कर सकेगी।

जिला स्तरीय समिति एवं राज्य स्तरीय पुनर्वास समिति का कोरम 50 प्रतिशत होगा, समितियों की बैठक तीन माह में एक बार अवश्य होगी।

जिला एवं राज्य स्तरीय समितियों द्वारा यदि यह निर्णय लिया जाता है कि बीमार/बंद उद्योग के पुनर्वास/पुनर्संचालन संभव है, तो उसका पंजीयन किया जावेगा एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा संबंधित उद्योग को बीमार/बंद घोषित किये जाने बाबत् आदेश जारी किये जायेगें।

12 **बीमार/बंद उद्योगों के लिए पैकेज.–**

12.1 बीमार उद्योगों के पुनर्वास हेतु पैकेज :–

(1) किसी भी बीमार घोषित उद्योग का क्रय करने पर निम्नांकित छूट दी जावेगी :–

(i) स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट

(ii) पंजीयन शुल्क से पूर्ण छूट

(iii) औद्योगिक क्षेत्रो/लैण्ड बैंक में उद्योग स्थापित होने की दशा में वर्तमान में प्रचलित भू–प्रब्याजि का 15 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से भू–हस्तांतरण शुल्क लिया जावेगा ।

(2) औद्योगिक नीति 2014–19 के औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहनों की पात्रता को आधार मानकर बीमार उद्योग के स्वामी को या बीमार उद्योग के क्रेता को (यथा स्थिति जो लागू हो) निम्नानुसार पूर्णतः/शेष बची अनुदान, छूट एवं रियायत दी जावेगी, जिसका उपयोग बीमार उद्योग ने अपने उद्योग के संचालित रहने की अवधि में नही किया हो/आंशिक किया हो :–

2.1 ब्याज अनुदान

2.2 स्थायी पूंजी निवेश अनुदान

2.3 परियोजना प्रतिवेदन अनुदान

2.4 गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान

2.5 तकनीकी पेटेन्ट अनुदान

2.6 प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान

2.7 निःशक्त अनुदान

2.8 विद्युत शुल्क से छूट

2.9 प्रवेशकर भुगतान से छूट

2.10 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के अंतर्गत मंडी शुल्क छूट

उदाहरणार्थ :– (अ) यदि किसी उद्योग ने औद्योगिक नीति 2004–09 के अंतर्गत एक सामान्य उद्योग 01 नवम्बर 2005 को स्थापित किया है व दो वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित 40 प्रतिषत की दर से ब्याज अनुदान प्राप्त किया है व औद्योगिक नीति 2014–19 की अवधि में बीमार उद्योग घोशित होता है, तो शेष तीन वर्ष की अवधि हेतु ब्याज अनुदान की पात्रता औद्योगिक नीति 2014–19 के अधीन निर्धारित दर पर व अधिकतम सीमा के अधीन होगी।

(ब) यदि कोई उद्योग औद्योगिक नीति 2004–09 के अधीन अनुदान, छूट एवं रियायतों हेतु अपात्र उद्योगो की श्रेणी में था एवं औद्योगिक नीति 2014–19 में पात्र है, तो पुनः उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2014–19 की शेष अवधि (उद्योग के प्रारंभ होने से बीमार घोषित होने तक की अवधि को पात्रता अवधि से कम करने के पश्चात् बची शेष अवधि) हेतु ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।

(स) उद्योग स्थापना के पश्चात् दिये जाने वाले अन्य अनुदान (जैसेः– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, निःशक्त अनुदान) यदि प्राप्त नही हुए हैं/आंशिक प्राप्त हुए हैं तो बीमार उद्योग के क्रेता को पूर्ण/शेष बची राशि की पात्रता होगी।

(द) उपरोक्तानुसार स्थिति उद्योग स्थापना के पश्चात् दिये जाने वाले छूट के प्रकरणों (विद्युत शुल्क से छूट, प्रवेशकर से छूट, मंडी शुल्क से छूट) में भी लागू होगी।

(3) बीमार घोषित उद्योग की भुगतान हेतु बकाया राशि को भुगतान करने हेतु 36 समान मासिक किश्तो/12 त्रैमासिक किश्तो में मूल राशि + संपूर्ण पेनाल्टी/ब्याज /अधिभार सहित भुगतान की सुविधा दी जावेगी, इस निर्धारित अवधि में भुगतान न होने पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित बेस रेट पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

परन्तु, यह प्रावधान इस हेतु संबंधित विभागों के नियमों/अधिनियमों में संशोधन उपरांत अधिसूचना जारी होने पर पश्चातवर्ती प्रभाव से ही लागू होगा।

तथापि विद्युत देयकों के मामले में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित बेस रेट पर ब्याज का भुगतान के स्थान पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित सप्लाई कोड में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार अधिभार देय होगा।

(4) बीमार उद्योग के क्रेता के पक्ष में विद्युत कनेक्शन, जल कनेक्शन, कन्सेंट टू ऑपरेट, राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले फारेस्ट क्लीयरेंस, स्थानीय निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि हस्तांतरित हो जावेंगे।

परन्तु इसके लिए संबंधित विभागों के नियमों/अधिनियमों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करना होगी।

टीपः—(1) उपरोक्त पैकेज के लिए आवश्यक है कि सक्षम समिति को बीमार उद्योग घोषित करने हेतु आवेदन की तिथि को आवेदक के उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम 5.00 लाख रू. का पूंजी निवेश हो व फैक्टरी परिसर में मशीनरी स्थापित भी हो।

(2) किसी इकाई को बीमार उद्योगों के पुनर्वास का पैकेज केवल एक बार दिया जावेगा।

12.2 **बंद उद्योगों के पुनः संचालन हेतु पैकेज :—**

(1) किसी भी बंद घोषित उद्योग का क्रय करने पर निम्नांकित छूट दी जावेगी :—

(i) स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट

(ii) पंजीयन शुल्क से पूर्ण छूट

(iii) औद्योगिक क्षेत्रो/लैण्ड बैंक में उद्योग स्थापित होने की दशा में वर्तमान में प्रचलित भू—प्रब्याजि का 15 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से भू—हस्तांतरण शुल्क लिया जावेगा ।

(2) औद्योगिक नीति 2014—19 के औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहनों की पात्रता को आधार मानकर बंद उद्योग के स्वामी या क्रेता को (यथा स्थिति जो लागू हो) निम्नानुसार पूर्णतः/शेष बची अनुदान, छूट एवं रियायत दी जावेगी, जिसका उपयोग बंद उद्योग ने अपने उद्योग के संचालित रहने की अवधि में नही किया हो/आंशिक किया हो :—

2.1 ब्याज अनुदान
2.2 स्थायी पूंजी निवेश अनुदान
2.3 परियोजना प्रतिवेदन अनुदान
2.4 गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान
2.5 तकनीकी पेटेन्ट अनुदान
2.6 प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान
2.7 निःशक्त अनुदान
2.8 विद्युत शुल्क से छूट
2.9 प्रवेशकर भुगतान से छूट
2.10 कृशि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के अंतर्गत मंडी शुल्क छूट

उदाहरणार्थ :— (अ) यदि किसी उद्योग ने औद्योगिक नीति 2004—09 के अंतर्गत एक सामान्य उद्योग 01 नवम्बर 2005 को स्थापित किया है व दो वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित 40 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान प्राप्त किया है व औद्योगिक

नीति 2014–19 की अवधि में बंद उद्योग घोषित होता है, तो शेष तीन वर्ष की अवधि हेतु ब्याज अनुदान की पात्रता औद्योगिक नीति 2014–19 के अधीन निर्धारित दर पर व अधिकतम सीमा के अधीन होगी।

(ब) यदि कोई उद्योग औद्योगिक नीति 2004–09 के अधीन अनुदान, छूट एवं रियायतों हेतु अपात्र उद्योगो की श्रेणी में था एवं औद्योगिक नीति 2014–19 में पात्र है, तो पुनः उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2014–19 की शेष अवधि (उद्योग के प्रारंभ होने से बंद घोषित होने तक की अवधि को पात्रता अवधि से कम करने के पश्चात् बची शेष अवधि) हेतु ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।

(स) उद्योग स्थापना के पश्चात् दिये जाने वाले अन्य अनुदान (जैसेः– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, निःशक्त अनुदान) यदि प्राप्त नही हुए हैं/आंशिक प्राप्त हुए हैं तो बंद उद्योग के क्रेता को पूर्ण/शेष बची राशि की पात्रता होगी।

(द) उपरोक्तानुसार स्थिति उद्योग स्थापना के पश्चात् दिये जाने वाले छूट के प्रकरणों (विद्युत शुल्क से छूट, प्रवेशकर से छूट, मंडी शुल्क से छूट) में भी लागू होगी।

(3) किसी भी उद्योग को बंद घोषित करने के दिनांक तक भुगतान हेतु बकाया राशि की परिभाषा के अंतर्गत निहित विभागों/निकायो (ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, उद्योग विभाग, जल संसाधन विभाग, खनिज संसाधन विभाग, स्थानीय प्रशासन विभाग एवं श्रम कानूनो के अंतर्गत गठित राज्य शासन के निकाय) को देय राशियों का भुगतान तीन माह की अवधि के भीतर एकमुश्त करने पर संपूर्ण पेनाल्टी/ब्याज/अधिभार पूर्णतः माफ किया जावेगा।

परन्तु यह प्रावधान संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार जारी अधिसूचना की तिथि से पश्चातवर्ती प्रभाव से ही लागू होगा।

(4) उपरोक्त (3) के तहत् यदि एकमुश्त राशि का भुगतान नही किया जाता है तो 36 समान मासिक किश्तो/12 त्रैमासिक किश्तो में मूल राशि + संपूर्ण पेनाल्टी/ब्याज /अधिभार सहित भुगतान की सुविधा दी जावेगी, इस निर्धारित अवधि में भुगतान न होने पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित बेस रेट पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

परन्तु, यह प्रावधान इस हेतु संबंधित विभागों के नियमों/अधिनियमों में संशोधन उपरांत अधिसूचना जारी होने पर पश्चातवर्ती प्रभाव से ही लागू होगा।

तथापि विद्युत देयकों के मामले में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित बेस रेट पर ब्याज का भुगतान के स्थान पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित सप्लाई कोड में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार अधिभार देय होगा।

(5) बंद उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम 3.00 करोड़ रू0 या उत्पादनरत विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी मद में मान्य निवेशित पूंजी के न्युनतम 25%, जो भी अधिक हो, का अतिरिक्त पूंजी निवेश करने पर, तथा उद्योग विभाग में पंजीकृत मूल क्षमता या औसत उत्पादन, जो भी अधिक हो, में न्यूनतम 25% की वृद्धि होती हो एवं कुल रोजगार में भी 10%, की वृद्धि हो तथा विस्तारित वाणिज्यिक उत्पादन इस नीति की कालावधि में प्रारंभ हो, तो किये गये अतिरिक्त पूंजी निवेष पर औद्योगिक नीति

2014–19 में घोषित अनुदान, छूट एवं रियायतें प्राप्त होगी (विस्तार/डायवर्सीफिकेशन आदि पर) किन्तु इसकी अधिकतम सीमा बंद उद्योग को देय शेष अनुदान एवं इस अतिरिक्त पूंजी निवेश पर देय अनुदान की अधिकतम सीमा औद्योगिक नीति 2014–19 में घोषित अनुदान की सीमा से अधिक नहीं होगी।

(6) नये उद्योग को जल उपलब्धता की स्थिति में पुनः जल स्वीकृति देते समय कोई अतिरिक्त चार्जेस/सुरक्षा निधि नहीं ली जावेगी।

(7) बंद उद्योग के क्रेता के पक्ष में विद्युत कनेक्शन, जल कनेक्शन, कन्सेंट टू ऑपरेट, राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले फारेस्ट क्लीयरेंस, स्थानीय निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि हस्तांतरित हो जावेंगे।

परन्तु यह प्रावधान संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार जारी अधिसूचना की तिथि से पश्चातवर्ती प्रभाव से ही लागू होगा।

टीपः– (1) उपरोक्त पैकेज के लिए आवश्यक है कि उद्योग को बंद उद्योग घोषित करने हेतु आवेदन की तिथि को आवेदक के उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम 5.00 लाख रू. का पूंजी निवेश हो व फैक्टरी परिसर में मशीनरी स्थापित भी हो।

(2) किसी इकाई को बंद उद्योगों के पुनः संचालन हेतु पैकेज केवल एक बार दिया जावेगा।

13 **वित्त पोषण के संबंध में.–** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बीमार/बंद लघु औद्योगिक इकाईयों के पुनर्स्थापन/पुनर्वास के संबंध में बैंको/वित्तीय संस्थाओ के माध्यम से समय–समय पर उपलब्ध कराई जाने वाले वित्त पोषण/सुविधाओं को पुनर्वास योग्य लघु औद्योगिक इकाईयों को दिलाने हेतु सहयोग किया जावेगा।

14 **गैर वित्तीय सुविधाएं.–**

1. बंद/बीमार घोषित उद्योग के श्रम विवादो का निपटारा श्रम विभाग द्वारा तत्परता से किया जाकर उसे हर संभव सहायता दी जावेगी ताकि उद्योग का संचालन सुचारू रूप से प्रारंभ होकर संचालित हो सके।

2. उद्योग विभाग द्वारा सिंगल विण्डो प्रणाली के माध्यम से समस्त प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।

15. **बंद/बीमार घोषित उद्योग के दायित्व.–**

1. बंद/बीमार घोषित उद्योग का दायित्व होगा कि पैकेज की प्राप्ति उपरांत 05 वर्ष की अवधि तक चार्टर्ड एकाउटेन्ट से अंकेक्षित लेखे व बैलेंस शीट उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को उपलब्ध कराएं। बंद/बीमार उद्योग को प्रतिवर्ष उत्पादन, लाभ, राज्य शासन को देय करो का भुगतान, व रोजगार से संबंधित जानकारी भी प्रदान करनी होगी।

2. बंद/बीमार घोषित अवधि तक उपक्रम द्वारा न तो लाभांश की घोषणा की जावेगी तथा न ही लाभांश का भुगतान किया जावेगा।

3. बंद/बीमार उद्योग द्वारा राज्य शासन की स्थानीय रोजगार देने की नीति (राज्य के स्थानीय निवासियों को अकुशल श्रेणी में 90 प्रतिशत, कुशल श्रेणी में 50 प्रतिशत, व प्रबंधकीय श्रेणी में 33 प्रतिशत रोजगार प्रदान करने की शर्त) का पालन करना होगा।

4. बंद/बीमार उद्योग का संचालन प्रभावी ढ़ंग से करना होगा।

5. बंद/बीमार उद्योग को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा निर्धारित समस्त प्रदूषण निवारण यंत्रो की स्थापना करनी होगी, इनका सतत् संचालन करना होगा तथा प्रदूषण निवारण के निर्धारित मापदण्डो का पालन करना होगा।

16 बंद/बीमार उद्योगों की नीति के क्रियान्वयन हेतु सभी संबंधित विभागों के द्वारा नीति के लागू होने के 03 माह के भीतर आवश्यक अधिसूचनाएं/प्रशासकीय आदेश जारी किये जायेंगें एवं आवश्यकतानुसार प्रचलित कानून/नियम में संशोधन किये जायेंगें।

17 **क्रियान्वयन अवधि व समीक्षा.**— ''छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति, 2016'' राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी व इसकी अवधि औद्योगिक नीति 2014—19 की कालावधि 31 अक्टूबर 2019 तक होगी। इस कालावधि में राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि वह राज्य के वित्तीय संसाधनों/वैश्विक/राष्ट्रीय स्तर पर बाजार के घट—बढ़, तेजी—मंदी, औद्योगिक विकास के विभिन्न मापदण्डों आदि को दृष्टिगत रखते हुए विशेष प्रोत्साहन नीति के प्रावधानों की समय—समय पर समीक्षा कर उसमें नये प्रावधानों का समावेश/संशोधन एवं अंकित प्रावधानों का विलोपन करे।

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 जून 2016

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2015

क्रमांक एफ 1-44/2015/33/पर्य.—छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के संचालक मंडल की बैठक दिनांक 18.08.2015 द्वारा दिये गये अनुमोदन पश्चात् छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 02 मार्च 2007 को प्रकाशित छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2007 तथा छत्तीसगढ पर्यटन मंडल सेवा उपविधियां 2002 के अध्याय 01 एवं 02 में वर्णित प्रावधानों को अधिक्रमित करते हुए तथा सेवा उपविधियां 2002 के अध्याय 03 एवं 04 में वर्णित नियमों को यथावत रखा जाता है।

ये नियम छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल भर्ती एवं पदोन्नति नियम — 2015 कहलाएंगें तथा इन नियमों के अध्याय 01 एवं 02 के नियम 24 का संशोधन राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से तथा शेष समस्त सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम दिनांक 18—01—2002 से निम्नानुसार लागू होंगें।

नियम

अध्याय 01 एवं 02

(1) **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः—**

(I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ पर्यटन मंडल भर्ती एवं पदोंन्नति नियम 2015 है।

(2) **विस्तार एवं लागू होनाः—** ये नियम मंडल के उन सभी संवर्ग के नियमित, अल्पकालिक, आकस्मिक सेवा, संविदा पर, पुर्ननियुक्ति या पुर्ननियोजित किये गये कर्मचारियो पर लागू होगे। वे कर्मचारी, जिनकी सेवाएं राज्य शासन/केन्द्र शासन से अथवा और अन्य निगम/मंडलो से प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त की गई है, उन पर प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्ते तथा अन्य नियम शासन के अनुसार लागू होंगे। इन नियमों के निर्वचन की शक्ति संचालक मंडल में निहित है। तथा इन नियमों के अर्थ या संदर्भ या प्रयोग के संबंध में जहॉ कही भी कोई संदेह हो उस मामले में संचालक मंडल का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

(3) **परिभाषाऐ** :— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः—

(अ) **''मण्डल''** से अभिप्रेत छत्तीसगढ पर्यटन मंडल से है।

(ब) **''संचालक मण्डल''** से अभिप्रेत छत्तीसगढ पर्यटन मंडल के संचालक मंडल से है।

(स) **''शासन''** का अर्थ छत्तीसगढ शासन से है।

(द) **''नियुक्ति प्राधिकारी''** से तात्पर्य मंडल या प्रबंध संचालक से है।

(इ) **''चयन समिति''** से अभिप्रेत संचालक मंडल द्वारा नियुक्त विभागीय पदोंन्नति समिति से है।

(ई) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची से है।

(ए) **"सेवा और पद"** से अभिप्रेत छत्तीसगढ पर्यटन मंडल के स्वीकृत सेवाओं तथा पदों से है।

(ऐ) **"आरक्षण"** से अभिप्रेत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशो के अंतर्गत होने वाले आरक्षण से है।

(आ) **"संविलियन"** से अभिप्रेत छत्तीसगढ पर्यटन मंडल की सेवा में संविलियन से है।

(ओ) **"वेतनमान"** से अभिप्रेत राज्य शासन द्वारा स्वीकृत पद एवं वेतनमान से है।

(औ) **"सक्षम प्राधिकारी"** से तात्पर्य प्रबंध संचालक से है।

(4) **पद, नियुक्ति एवं पदोंन्नति/संविलियन/सेवाओं/पदों का निर्धारण.–** सेंवाओं में निम्न व्यक्ति शामिल होगें नामतः

1. वे कर्मचारी जिनकी सेवाएं राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप छत्तीसगढ पर्यटन मंडल को प्राप्त होकर, जिनका संविलियन किया गया है, तथा वे अनुसूची कमांक–1 में उल्लेखित पद एवं पद का वेतनमान धारण करते हों। राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल से अंतरित हुए मंडल की सेवा में संविलियन किये गये समस्त अधिकारी/कर्मचारी शासन द्वारा पद संरचना में स्वीकृत किये गये पदों के अनुसार अगले उच्च पद एवं वेतनमान में पदोंन्नति के लिए पात्र होगें। स्वीकृत सेटअप में सर्वप्रथम नियमित कर्मचारियों के समाहित होने के पश्चात उनकी पदोंन्नति उपलब्ध उच्च पद पर वरिष्ठता, योग्यता तथा वर्तमान पद पर किये गये कार्य अनुभव के आधार पर की जावेगी। तत्पश्चात सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति के विकल्प पर विचार किया जावेगा।

(5) **वर्गीकरण, वेतनमान, पद इत्यादि.–** सेवापदों का वर्गीकरण, वेतनमान एवं सेवाओं के पदों की संख्या अनुसूची–1 में दर्शाये (दर्शित संलग्न परिशिष्ट–1) अनुसार होगा, संचालक मंडल चाहे तो पदों में बढ़ोतरी कर राज्य शासन को बढ़े हुए पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजेगा।

(6) **चयन प्रकिया .–**

(I) सेवा पदों पर नियुक्ति/पदोंन्नति इन नियमों के लागू होने के बाद निम्नलिखित प्रकिया से होगी यथाः–

अ. सीधी भर्ती से।
ब. पदोंन्नति से।
स. प्रतिनियुक्ति के द्वाराः– राज्य मंडल में बाहय सेवा से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी/ कर्मचारी की सेवाएं राज्य शासन के सामान्य प्रशासन एवं वित्त विभाग द्वारा निर्धारित नियमों/मापदंडों के अनुसार ली जा सकेंगी।

(II) उपनियम–6 (I) के नियम 'अ' 'ब' अथवा 'स' के अंतर्गत नियुक्ति/पदोंन्नति अथवा पद पर नियुक्ति स्वीकृत सेटअप दिनांक 30/09/2005 के अनुसार होगी संचालक मंडल के पूर्व अनुमोदन पर नियुक्ति प्राधिकारी स्वीकृत सेटअप के अतिरिक्त अन्य किसी पद पर नियुक्ति कर सकता है।

(III) इन नियमों के प्रावधानों के अधीन किसी विशेष रिक्ति अथवा सेवा में रिक्तियों को भरने हेतु नियुक्ति के लिए ग्राह्य नियमों के अंतर्गत नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सामान्य तौर पर चयन समिति की सलाह से संचालक मंडल के अनुमोदन से किया जावेगा।

(IV) उपनियम–6 (I) के उपबंधो के अलावा यदि नियुक्ति प्राधिकारी के अभिमत में भर्ती किया जाना अतिआवश्यक हो तो इस संबंध में संचालक मंडल के अनुमोदन उपरांत प्रकिया का निर्धारण किया जाए।

(7) **सेवा पदों पर नियुक्ति/पुर्ननियोजन/पुर्ननियुक्ति/संविदा/अल्पकालिक/आकस्मिक नियुक्ति** :– इन नियमों के प्रभाव में आने के बाद सेवा पदों पर सभी नियुक्तियां नियुक्त प्राधिकारी के द्वारा संचालक मंडल के अनुमति से की जावेगी। संचालक मंडल की अनुमति के बिना कोई भी नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति/पुर्ननियोजन/संविदा/अल्पकालिक अथवा आकस्मिक नियुक्तियां नही की जा सकेगी।

(8) **सीधी भर्ती की स्थिति में आवश्यक अर्हता**–चयनित होने के लिए उम्मीद्वार को निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करनी होगीं:–

(I) **आयु:–**

(अ) वह उम्मीद्वार इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची (III) के कॉलम (4) के अनुसार न्यूनतम/ अधिकतम आयु पूर्ण करता हो जैसा कि संचालक मंडल निर्धारित करें।

(ब) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक तथा महिला उम्मीद्वार तथा अन्य के संबंध में अधिकतम आयु सीमा राज्य शासन के नियमों के अंतर्गत शिथिलनीय होगी।

(स) कोई अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैन्यकर्मी हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की अनुज्ञा दी जाएगी बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो, वह अधिकतम आयु सीमा से 05 वर्ष से अधिक न हो।

(II) **शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता:**–उम्मीद्वार सेवा के लिए आवश्यक अनिवार्य शैक्षणिक एवं व्यवसायिक अर्हताओ को संलग्न अनुसूची–III के कालम 05 मे दर्शाये अनुसार पूर्ण करता हो बशर्ते:–

(अ) चयन समिति द्वारा उपरोक्तानुसार (अनुसूची में दर्शाये अनुसार) निर्धारित किये गये मापदण्डों अनुशंसा पर योग्य उम्मीद्वार को मान्य किया जा सकता है।

(III) छत्तीसगढ राज्य के बाहर के कार्यालय में कोई भी पद (जैसे:– पर्यटन अधिकारी, सूचना सहायक एवं भृत्य शामिल होंगें) में नियुक्ति होने के लिए छत्तीसगढ राज्य के मूल निवासी होना अनिवार्य नही है क्योंकि स्थानीय व्यक्ति स्थानीय भाषा जानतें है। स्थानीय होने के कारण उसे उस क्षेत्र के विशेष ज्ञान तथा जानकारी होती है, जो स्थानीय पर्यटको को सूचना देने के लिए आवश्यक है। स्थानीय होने के कारण कम सुविधा में अच्छी सेवा का निष्पादन कर सकता है।

बाहर के कार्यालय से तात्पर्य उन समस्त कार्यालयों से है, जो छत्तीसगढ राज्य के बाहर स्थित हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरू, नागपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, भुवनेश्वर, भोपाल, विशाखापट्टनम तथा भारत में अन्य किसी भी स्थान पर यह कार्यालय हो सकता है। इनके के अतिरिक्त केवल प्रथम श्रेणी के अधिकारी को छोड़कर अन्य सभी नियुक्तियों हेतु अभ्यार्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

(9) **उम्मीद्वार की अयोग्यता** :–

(I) छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के सेवा उपविधि 2002 के उपनियम–09 तथा इन भर्ती एवं पदोंन्नति नियमों में उल्लेखित नियमों के विपरीत नियुक्ति/पदोंन्नति पा जाता है अथवा जो उम्मीद्वार किसी भी प्रकार से स्वीकृत पद के लिए अयोग्य पाया जाता है तब ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर उसे तत्काल पद से हटाया जा सकेगा।

(II) ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा चयनित होने के लिए यदि चयन समिति को अथवा चयन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को किसी भी तरह से, किसी प्रकार का प्रलोभन/प्रभाव डाला गया हो, चयन के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

(10) **नियुक्ति हेतु नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय** :–किसी भी उम्मीद्वार के चयन के लिए नियुक्ति हेतु पात्रता होने पर नियुक्ति प्राधिकारी का संचालक मंडल की सहमति से लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(11) **चयन समिति का गठनः–**

(I) योग्य अभ्यार्थियों के प्रारंभिक चयन के लिए अनुसूची में संलग्न परिशिष्ट–III के कालम 06 में वर्णित अनुसार सदस्यों की चयन समिति होगी।

(II) सेवापदों पर उम्मीद्वार की नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्धारित मापदण्डों के आधार पर लिखित परीक्षा/मौखिक साक्षात्कार के द्वारा किया जा सकेगा।

(III) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीद्वारों के लिए शासन के नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में आरक्षण प्रतिशत का पालन किया जावेगा।

(12) **चयन समिति द्वारा अनुशंसित उम्मीद्वारों की सूची** :– चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाए गये उम्मीद्वारों के नाम एवं अन्य विवरण नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित किये जाऐगें। ये नाम प्राथमिकता के क्रम में एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के क्रम में सूचीबद्व होंगे। यह सूची 01 वर्ष की अवधि तक प्रभावशील रहेगी, जिसे प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों मे आगामी 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(13) **पदोंन्नति द्वाराः–**

(I) योग्य उम्मीद्वार की पदोंन्नति के चयन के लिए संलग्न अनुसूची IV में उल्लेखित अनुसार सदस्यों की एक पदोंन्नति समिति होगी। इसके अलावा प्रत्येक पदोंन्नति समिति में राज्य शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछडे वर्ग के एक अधिकारी मनोनीत किया जावेगा।

(II) पदोंन्नति समिति की प्रत्येक एक वर्ष में आवश्यकता अनुसार बैठक आयोजित की जावेगी।

(III) किसी अधिकारी/कर्मचारी के वर्तमान पद पर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत उनके संवर्ग में अगर स्वीकृत पद संरचना में पदोंन्नति हेतु उसका अगला उच्च पद स्वीकृत न हो अथवा रिक्त न हो तो उसे विभागीय पदोंन्नति समिति की अनुशंसा पर अगला उच्च वेतनमान दिया जावेगा। तथा उच्च पद रिक्त होने की तिथि से वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर नियमानुसार पदोंन्नति दी जावेगी।

(14) **पदोंन्नति हेतु पात्रताः–**

(1) कर्मचारी की पदोंन्नति विभिन्न श्रेणियो के पदों पर पदोंन्नति के उन मार्गो के अनुसार विनियमित की जाएगी जैसा कि प्रबंध संचालक इन नियमों के अंतर्गत इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे।

(2) विभागीय पदोंन्नति समिति विभिन्न श्रेणियों में पदोंन्नति के लिए पात्र कर्मचारियो के मामलों की सूक्ष्म जांच करेगी और ऐसी सिफारिशें करेगी जो उचित समझी जाए ।

(3) पदोंन्नति के लिए उम्मीद्वारों का चयन करते समय न्यूनतम विहित अर्हताओं तथा वरिष्ठता के अलावा निम्नलिखित बातों पर भी विचार किया जाएगा।

1. निष्ठा।
2. चातुर्य तथा शक्ति।
3. बुध्दि् तथा रूचि, और
4. अनुभव तथा पिछले पांच वर्षो का संतोषजनक गोपनीय चरित्रावली।
5. वर्तमान पद पर कर्मचारियो का कार्य–संपादन, कार्यशैली एवं गुणवत्ता।

संचालक मंडल या नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा कर्मचारी का नाम पदोंन्नति की चयन सूची से कभी भी हटाया जा सकेगा यदि जो पदोंन्नतियां इन नियमों के अंतर्गत न की गई हो एवं मंडल या नियुक्ति प्राधिकारी को कर्मचारी/अधिकारी की पदोंन्नति के लिए उसकी अनुपयुक्तता के संबंध में समाधान हो जाए।

(15) **योग्य अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची की तैयारी/रोस्टर का पालन करनाः–**

(I) प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत अधिकारी उन कर्मचारियों की सूची तैयार करेगा, जो कि उपरोक्त नियम–14 में उल्लेखित स्थितियो के अनुसार पात्रता की सभी शर्तो को पूरा करते हों, अथवा समिति द्वारा पदोंन्नति के लिए मान्य हों। यह सूची आगामी एक वर्ष तक सभी संभाव्य रिक्त पदों के भरे जाने के लिए पर्याप्त होगी ।

(II) इस प्रकार पदोंन्नति की सूची में शामिल करने के लिए चयन पदोंन्नति अनुसूची–IV के कंडिका (2) एवं (5) में निर्दिष्ट मानकों पर आधारित होना अनिवार्य होगा।

(III) इस सूची में सम्मिलित अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम सेवा के विशिष्ट संवर्गो के अनुसार वरिष्ठता कम में व्यवस्थित होगें।

(IV) इस प्रकार तैयार सूची को प्रतिवर्ष पुनरावलोकन कर संशोधित किया जावेगा एवं प्रतिवर्ष मूल रूप से तैयार सूची नियुक्ति करने वाले सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी जिनके द्वारा सूची संतोषजनक पाये जाने पर इस सूची को अनुमोदित किया जा सकेगा।

(V) अनुसूची–(IV) के कंडिका (2) एवं (3) में उल्लेशित सेवा/पदों पर पदोंन्नति के लिए यह सूची मापदण्ड चयन सूची होगी।

(VI) नियम–(15) के उपनियम–(II) एवं (IV) के अनुसार यह चयन सूची सामान्य रूप से तब तक प्रभावशील रहेगी जब तक पुनः इसका पुर्नवलोकन अथवा संशोधन न किया जावे बशर्ते, इस सूची में सम्मिलित किसी कर्मचारी की योग्यता आचरण एवं कार्यव्यवहार अथवा इन नियमों के परिपालन में किसी प्रकार की गंभीर दोष के कारण वह पदोंन्नति हेतु अनुपयुक्त पाया जाता है, ऐसी दशा में मंडल अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पुर्नवलोकन करने पर किसी कर्मचारी के नाम को हटाया जाना उचित समझा जावे तो चयनित नियुक्ति/पदोंन्नति से उसका नाम हटाया जा सकता है।

(16) **चयनित सूची से सेवा/पदों पर नियुक्ति :–**

(1) चयनित सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा संवर्गो के पदों पर नियुक्ति किये जाते समय चयन सूची में दर्शाये गये कर्मचारियों के नामक्रम अनुसार ही की जावेगी। बशर्ते प्रशासनिक कारणों से जहॉ अत्यावश्यक हों, एक व्यक्ति जिसका नाम सूची में सम्मिलित नहीं हो अथवा जो चयन सूची में अगले क्रम पर न हो, को सेवा/पद पर नियुक्ति किया जा सकता है, यदि नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी इस बात से सहमत हों कि यह रिक्तियां आगामी 03 माह तक समाप्त नहीं होने वाली है।

(17) **व्याख्या (Interpretation)** :– इन नियमों की व्याख्या के समय नियमों से संबंधित/अभ्यावेदन एवं विसंगति संबंधी जानकारी या कोई प्रश्न उत्पन्न होने पर प्रबंध संचालक द्वारा संचालक मण्डल को निर्णय हेतु अग्रेषित किया जावेगा तथा इस संबंध में संचालक मण्डल का निर्णय अंतिम होगा।

(18) **शिथिलता** :– संचालक मण्डल द्वारा इन नियमों में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।

(19) **पूर्व नियमों पर प्रभाव** :– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा में समस्त नियुक्तियां/पदोंन्नतियां संचालक मंडल अथवा संचालक मंडल द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा की जावेगी। छत्तीसगढ पर्यटन मंडल में जो भी नियुक्तियां या पदोंन्नतियां संचालक मंडल अथवा संचालक मंडल द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों द्वारा की गई है, वे सभी पदोंन्नतियां, नियुक्तियां तथा पदोंन्नति पश्चात् प्रकरण चाहे वर्तमान नियमों के अनुसार हो अथवा उन नियमों के विपरीत हो, उन सभी नियुक्तियो एवं पदोंन्नतियो को नियमानुसार मानते हुए उन्हे नियम के अधीन माना जायेगा अर्थात पूर्व मे की गई समस्त नियुक्तियो एवं पदोंन्नतियो आदि पर नियम के अधीन कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा।

(20) **प्रतिनियुक्ति से :–**

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किसी कर्मचारी को मण्डल की सेवा में संविलियन करने के लिए उसके विकल्प को स्वीकार करने का निर्णय लिया जाए तब वह कर्मचारी भूतपूर्व नियोजक में नही रह जाएगा।

2. वे कर्मचारी जो शेडयूल (3) में उल्लेखित पद के वेतनमान में कार्यरत हों अथवा वे उक्त पद के लिए निर्धारित आवश्यक अनिवार्य अर्हताएं पूरी करते हैं, वे राज्य शासन द्वारा निर्धारित किये गये नियमों के अंतर्गत (पैतृक विभाग/पर्यटन मण्डल एवं दोनों विभागों के प्रशासकीय विभाग की सहमति से) छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल में रिक्त पद पर संविलियन किये जाने हेतु पात्र होगें बर्शते उनके द्वारा मण्डल में 4 वर्ष की प्रतिनियुक्ति सेवा की अवधि पूर्ण कर ली हो तथा उनका कार्य उत्कृष्ट एवं संतोषप्रद हो तथा इस संविलयन से किसी अधिकारी/कर्मचारी इस उच्च पद पर पदोंन्नति से वंचित न हो रहा हो।

3. प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी का संविलयन प्रतिनियुक्ति के पूर्व पद एवं वेतनमान से उच्च पद या वेतनमान पर नही होगा तथा जिस पद पर संविलयन किया जा रहा है वह पदोंन्नति का पद न हो केवल सीधी भर्ती एवं प्रतिनियुक्ति के पद पर ही संविलयन किया जा सकेगा। तथा संविलयन के पूर्व उसकी 05 वर्ष की गोपनीय चरित्रावली उत्तम होना आवश्यक होगी। प्रतिनियुक्ति से उपरोक्त नियमों के अंतर्गत संविलयन होने के उपरांत किसी कर्मचारी एवं अधिकारी को तत्काल पदोंन्नति का लाभ नही दिया जावेगा इस हेतु 05 वर्ष तक संविलयन हुए पद पर 05 वर्ष तक संतोषजनक कार्य करने के उपरांत सेवा भर्ती एवं पदोंन्नति नियमों के अनुसार पदोंन्नति की जा सकेगी।

4. ऐसे प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी की वरिष्ठता जिसकी सेवाओं का मंडल में संविलयन कर लिया गया हो मंडल के अधीन उसकी सेवाओं को संविलयन के दिनांक से निर्धारित की जावेगी। ऐसे कर्मचारी/अधिकारी को संविलयन की तिथि को संबंधित संवर्ग के कनिष्ठतम कर्मचारी के ठीक बाद के स्थान पर वरिष्ठता दी जावेगी।

(21) **सेवा का प्रारंभ और वरिष्ठताः–**

1. इन उपविधियों द्वारा या इनके अधीन अन्यथा उपबंधित स्थिति को छोड़ किसी कर्मचारी की सेवायें उस कार्य दिवस से प्रारंभ मानी जाएगी जिस दिन उसने इन उपविधियों के अधीन की गई नियुक्ति पर मण्डल द्वारा उसे सूचित स्थान तथा समय पर कर्तव्य पर उपस्थित होने की सूचना दी हों।

2. कर्मचारी की वरिष्ठता पद की उस विशिष्ट श्रेणी में, जिसमें कर्मचारी द्वारा धारित पद सम्मिलित हो, की गई लगातार सेवा की अवधि के अनुसार निश्चित की जाएगी। उस मामले में जहां नियुक्तियां योग्यता सूची के आधार पर की जाए ऐसे कर्मचारी की वरिष्ठता चयन पेनल में उसकी स्थिति के अनुसार निश्चित की जाएगी, भले ही विनिर्दिष्ट में कार्यभार ग्रहण की तारीख कुछ भी क्यों न हों।

3. प्रत्येक श्रेणी एवं संवर्ग के लिए वरिष्ठता सूची प्रधान कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष तैयार की जाएगी।

(22) **मण्डल की सेवा से त्यागपत्र** :– मण्डल का कर्मचारी यथास्थिति यदि उसने दो वर्ष या इससे अधिक की सेवा पूरी कर ली हो तो स्पष्टतः तीन माह की पूर्व सूचना दिए बिना ऐसी सूचना की एवज में मण्डल के पास तीन माह का वेतन जमा किये बिना, पदत्याग नही करेगा या अन्यथा रूप से मण्डल की सेवा नही छोडेंगा। यदि कर्मचारी अपेक्षित सूचना न दे या सूचना की एवज मे वेतन तथा भत्ते की अपेक्षित रकम जमा न करें तो मण्डल द्वारा उसे देय रकम बकाया रकमों के लिए समायोजित की जाएगी और कोई रकम अदत्त रह जाए तो वह वसूल की जाएगी।

(23) **सेवा–समाप्त करना** :– मण्डल में कर्मचारी की नियुक्ति के लिए निर्धारित की गई अनिवार्य शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता के संबंध में जांच करने पर यदि वह कर्मचारी पद के लिए अयोग्य पाया जाता है अथवा यदि कोई कर्मचारी अपनी योग्यता की जानकारी छुपाता है या झूठी जानकारी देकर नियुक्ति पा गया है तो उस कर्मचारी को तत्काल पद एवं सेवा से हटाया/बर्खास्त किया जा सकेगा। यथास्थिति, यदि कर्मचारी ने दो वर्षो से अधिक की लगातार सेवा पूरी कर ली हो तो तीन माह की सूचना दिए बिना या ऐसी सूचना की

एवज में उसे तीन माह का वेतन दिये बिना उनकी सेवायें समाप्त नहीं करेगा। छुट्टी का कोई भाग सूचना की अवधि में परिवर्तित नही किया जा सकेगा और आकस्मिक छुट्टी को छोड़ अन्य कोई भी छुट्टी सूचना की अवधि में नहीं दी जाएगी। नियुक्ति प्राधिकारी विशेष प्रकरणों से कर्मचारी द्वारा तीन महीने या उसके किसी भाग की सूचना देने या ऐसी सूचना की एवज में तीन महीने का वेतन तथा भत्ता जमा करने की शर्त हटा सकेगा।

(24) **अधिवार्षिकी (सेवानिवृत्ति):–** कर्मचारी अपनी आयु के 62 वर्ष पूर्ण होने की तारीख को अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करेगा और उसी तारीख को सेवानिवृत्त हो जाएगा।

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी लेखबद्ध किए जाने वाले विशेष कारणों से, यदि कर्मचारी ऐसे प्राधिकारी के समाधान पर्यन्त मानसिक तथा शारीरिक दोनों दृष्टि से उपयुक्त रहे, तो उसके सेवाकाल में संचालक मंडल के अनुमोदन उपरांत राज्य शासन की सहमति से वृद्धि कर सकेगा। **यह नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।**

(25) **सेवा में न रहना :–** प्रत्येक कर्मचारी निम्नलिखित अवस्था में मण्डल के नियोजन में स्वतः नही रह जाएगाः–

1. सेवा समाप्ति की सूचना की अवधि समाप्त हो जाने पर।
2. मण्डल से सेवा समाप्त करने या सेवा से बर्खास्त किए जाने पर।
3. उस अवधि समाप्ति पर जिसके लिए कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो।
4. अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त कर लेने पर या सेवा की वर्णित अवधि की समाप्ति पर।
5. प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति पर।

(26) **कर्तव्य से अनुपस्थितिः–**

1. कोई भी कर्मचारी छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा। बीमारी या शारीरिक या मानसिक निर्योग्यता की पुष्टि में शासकीय सेवा मे रहने वाले चिकित्सक या मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी गया चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

   परन्तु अस्थायी अस्वस्थता के मामले में 15 दिन से कम अवधि की अनुपस्थिति के लिए साधारणतः किसी प्रकार के चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही होगी।

2. प्रमाण–पत्र की प्रामाणिकता के बारे में कोई संदेह होने की स्थिति में प्रबंध संचालक राय जानने के लिए मामला सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा। कोई भी कर्मचारी समुचित अनुमति प्राप्त किए बिना अवकाश अवधि नही बढाएगा।

3. अनुमति के बिना अनुपस्थिति को सेवा भंग माना जाएगा।

   परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि नियत अवधि से अधिक दिन ठहरना, व्यक्ति के नियंत्रण से परे कारणों से था तो वह अनुपस्थिति की अवधि को देय अवकाश के रूप में स्वीकृत कर सकेगा।

(27) **कतिपय मामलों (विशेष प्रकरणों) में सेवानिवृत्ति :–** उपविधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी 25 वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाने पर कर्मचारी मण्डल की मंजूरी से सेवानिवृत्त हो सकेगा। ऐसे सभी मामलों मे जहॉं मण्डल किसी कर्मचारी को इस उपविधि के अधीन सेवानिवृत्त करें, उसे या तीन माह की सूचना देगा या तीन माह का नोटिस वेतन देगा।

(28) **समय वेतनमानः–**

1. किसी कर्मचारी को देय समय वेतनमान अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए अनुसार होगा।
2. कर्मचारी का प्रारम्भिक वेतन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया जाएगा।

(29) **वेतन वृद्धि** :– किसी कर्मचारी को तब तक वेतन वृद्धि नहीं रोकी जाएगी जब तक कि ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश नहीं दिया गया हो। वेतन वृद्धि कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी की विशिष्ट अनुमति के बिना नहीं दी जाएगी।

(30) **स्थानापन्न नियुक्ति एवं वेतन निर्धारण** :– यदि किसी कर्मचारी को स्थानापन्न आधार पर किसी ऐसे उच्चतर पद पर नियुक्त किया जाए जिसके कर्तव्य और उत्तरदायित्व उसके द्वारा धारित पद के कर्तव्य और उत्तरदायित्वों से उच्चतर हो, तो उच्चतर पद के वेतनमान में उसका प्रारंभिक मूल वेतन, निम्नतर पद पर उसके द्वारा आहरित वास्तविक वेतन को उस प्रक्रम में, जहां ऐसा मूल वेतन आहरित किया जाता हो, एक वेतन वृद्धि जोड़कर बढ़ाने से कल्पित रूप से निकलने वाले मूल वेतन के ठीक उपर के प्रक्रम में निश्चित किया जाएगा। परन्तु यह कि जहां कोई कर्मचारी उच्चतर पद पर उसकी नियुक्ति की तत्काल पूर्व निम्नतर पद के समय वेतनमान के अधिकतम पर मूल वेतन आहरित कर रहा हो वहां उच्चतर पद के समय वेतनमान में उसका प्रारंभिक मूल वेतन उस प्रक्रम पर निश्चित किया जाएगा जो ऐसे समय वेतनमान से ठीक ऊपर का हों।

(31) **निरसन तथा व्यावृत्तिः–**

1. रद्दोबदल, उपांतर या परिवर्धन के रूप में इन नियमों में कोई भी संशोधन संचालक मंडल के संकल्प द्वारा शासन की स्वीकृति से राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसे लागू किया जावेगा।

अध्याय –3
आचरण तथा अनुशासन

(32) **कर्त्तव्य परायणताः–**

क. कर्मचारी अपने कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्य परायणता बनाये रखेगा।

ख. वह विनीत होगा।

ग. कार्य और कार्य निष्पादन में नियमित होगा, और

घ. मंडल के किसी भी कर्मचारी की अवज्ञा नही करेगा।

(33) **राजनीति में भाग नही लेनाः–**

1. कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये सामान्य या विशेष आदेशों या सद्भावना पूर्वक अपने कर्त्तव्यों के पालन की स्थिति को छोड़ अन्यथा स्थिति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी अन्य कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को मंडल के किसी भी दस्तावेज या मामले की संसूचना या कोई भी जानकारी नही देगा।

2. कोई कर्मचारी राजनीति में या किन्हीं भी राजनीतिक प्रदर्शनों या आंदोलनों या हड़तालो में सकिय भाग नही लेगा या नगरपालिका, पंचायत, जिला, मंडल, विधानसभा या लोकसभा या किसी भी स्थानीय निकाय या साम्प्रदायिक निकाय या निकायों के सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ेगा।

3. कोई भी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल, या साम्प्रदायिक संगठन या किसी भी अन्य संगठन या दल, जिस पर शासन ने पाबन्दी लगा दी हो, से सम्बध्द नही होगा या उसका सदस्य या कार्यकर्ता नही होगा।

4. यदि कोई भी ऐसा प्रश्न उपस्थिति हो कि क्या कोई भी आंदोलन या गतिविधि इस उपविधि के क्षेत्रान्तर्गत आती है या नही, तो उस पर मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

(34) **रेडियो, टेलीविजन तथा समाचार पत्रों से संबंधः–**

1. कोई भी कर्मचारी रेडियो, टेलीविजन प्रसारण या किसी भी प्रकाशित दस्तावेजो या समाचार पत्रों के माध्यम से या सार्वजनिक उद्‌गार में ऐसा तथ्यात्मक बयान या राय नहीं देगा जिससे मंडल, उसके प्रबंधक वर्ग की प्रतिष्ठा गिरे या जिससे मंडल की छवि धूमिल हों या जो मंडल को परेशानी में डालने वाली हो।

2. कोई भी कर्मचारी सक्षम–प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी की स्थिति को छोड़ अन्यथा स्थिति में:–
   क. पूर्णतः या अंशतः किसी भी समाचार पत्र या अन्य नियतकालिक प्रकाशनों के मुद्रण या प्रबंध का संचालन नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा।

   ख. मंडल के ग्राहक से, किसी प्रयोजन के लिए किसी निधि की सहायतार्थ कोई अंशदान की न तो मांग करेगा और न ही स्वीकार करेगा।

(35) **निजी व्यापार या रोजगारः–**

1. कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यापार या व्यवसाय नही करेगा या कोई नियोजन या पद स्वीकार नहीं करेगा चाहें वह वैतनिक हो या अवैतनिक।

2. कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी अशासकीय या सार्वजनिक निकाय में या किसी अशासकीय व्यक्ति के यहां अंशकालिक रूप से कार्य नहीं करेगा अथवा उसके संबंध में कोई शुल्क नहीं लेगा और यह अनुमति तभी दी जाएगी जबकि सक्षम प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि उस कार्य से उसके शासकीय कार्यो तथा जिम्मेदारियों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई संभावना नहीं है, तथा उससे कोई बाधा नहीं पड़ेगी ।

(36) **भेंटः–** कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, मंडल के ग्राहक से, या अधीनस्थ कर्मचारी से कोई उपहार या भेंट नही मांगेगा और न ही स्वीकार करेगा न ही अपनी पत्नी या आश्रितों या परिवार के किसी सदस्य को लेने की अनुमति ही देगा।

(37) **आर्थिक दायित्वः–**

1. किसी दलाल या साहूकार या किसी अधीनस्थ कर्मचारी या मंडल के किसी अन्य पदाधिकारी अथवा किसी फर्म या किसी व्यक्ति से जिसका मंडल से कारोबार चलता हो, से कोई रकम उधार नही लेगा/अथवा अपने को अन्यथा रूप से आर्थिक दायित्व के अधीन नहीं रखेगा।

2. स्क्रिप्टों के मामले में पूर्ण लागत को पूरा करने तथा बिक्री के मामले में सुपुर्दगी के लिए निधियों के बिना किसी भी प्रकार के स्टॉक, हिस्सों तथा प्रतिभूतियों को न तो खरीदेगा और न बेचेगा, परन्तु यह कि इस नियम में दी गई किसी बात से यह नहीं माना जाएगा कि वह किसी कर्मचारी को, ऐसी प्रतिभूति में जो वहां खरीदना चाहता हो, अपनी निधियों के वास्तविक विनियोजन से रोकती है।

(38) **सम्पत्तियों, निधियों आदि की देखभालः–** कोई भी कर्मचारी ऐसी समस्त चल या अचल सम्पत्ति, नगदी निधियों अभिलेखों तथा दस्तावेजों की समुचित देखभाल करेगा, जिसका पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण उसे स्पष्ट रूप से या सन्निहित रूप से सौंपा गया हो।

(39) **हानि या क्षति पहुंचानाः–** कोई भी कर्मचारी मंडल के हितों को क्षति पहुचाने वाले कार्य नहीं करेगा और किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मंडल की चल या अचल सम्पत्ति को आर्थिक हानि या क्षति नही पहुंचाएगा।

(40) **आर्थिक स्थिति का विवरणः–** ऐसा कोई भी कर्मचारी जो कर्जदार हो जाए, तुरन्त ही सक्षम प्राधिकारी को अपने कर्ज की सीमा का एक विवरण प्रस्तुत करेगा और उन उपायों का उल्लेख करेगा जो वह कर्ज पटाने के लिए कर रहा हो। ऐसा कर्मचारी जब तक वह कर्ज मुक्त न हो जाए, अपनी आर्थिक स्थिति का अर्धवार्षिक विवरण प्रस्तुत करता रहेगा। इस नियम के प्रयोजन के लिए किसी भी कर्मचारी को उस स्थिति में ऋणग्रस्त माना जाएगा जबकि वह उन वित्तीय दायित्व को, जिन्हें भुगतान करने का समय आ गया हो, अपने स्वयं के साधनों से भुगतान करने में असमर्थ हो। ऐसा कोई भी कर्मचारी जो इस नियम का पालन न करें, या अपनी स्थिति का गलत विवरण दे तथा अपने कर्ज को भुगतान न कर पाए, उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकेगा।

(41) अचल सम्पत्ति की खरीद, अर्जनः—

1. कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अपने स्वंय के नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से पट्टे बंधक विकय, उपहार द्वारा या अन्यथा रूप से किसी अचल सम्पत्ति को अर्जित नहीं कर सकेगा या ठिकाने नहीं लगा सकेगा।

2. यदि कोई भी कर्मचारी 25 हजार रूपये से अधिक मूल्य की चल सम्पत्ति की खरीदी, बिक्री या अन्यथा रूप में लेन—देन करें, तो वह ऐसे लेन—देन की सूचना तुरन्त ही सक्षम प्राधिकारी को देगा। परन्तु यह कि कोई भी कर्मचारी किसी अनुमोदित विक्रेता या प्रतिष्ठित एजेंट के माध्यम से किए गए लेन—देन या सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से किए लेन—देन को छोड़, ऐसा कोई लेन—देन नहीं करेगा।

3. प्रत्येक कर्मचारी अपनी प्रथम नियुक्ति पर तथा उसके पश्चात प्रतिवर्ष पहली जनवरी को अपने स्वामित्व की, अर्जित या उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त की गई या उसके नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे पर, बंधक के रूप में उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति का विवरण ऐसे फार्म में प्रस्तुत करेगा जो सक्षम प्राधिकारी इस संबंध में विनिर्दिष्ट करें, अथवा विनिर्देशन के अभाव में सामान्य प्रशासन के द्वारा निर्धारित फार्म में प्रस्तुत करें।

(42) अपेक्षित जानकारी तथा दस्तावेज प्रस्तुत करनाः— प्रत्येक कर्मचारी ऐसी जानकारी दस्तावेज तथा विवरण प्रस्तुत करेगा जिन्हें प्रस्तुत करने के लिए उसे कहा जाए। ऐसी समस्त जानकारी, विवरण तथा दस्तावेज सत्यतापूर्वक तथा सही—सही प्रस्तुत किए जाएंगे।

(43) कदाचरणः— कदाचरण अभिव्यक्ति में कर्मचारी के निम्नलिखित कृत्य तथा चूकें भी शामिल होंगीः—

1. मंडल की या उसके ग्राहकों के व्यवसाय सम्पत्ति या कारोबार के प्रबंध के दौरान चोरी, कपट या बेईमानी, दुर्विनियोग या गबन करना या सम्पत्तियों की या कारोबार के प्रबंध की अनदेखी करना या करने का प्रयास करना या कराना या कराने का प्रयास करना।

2. मंडल या उसके किसी ग्राहक की सम्पत्ति को जान बूझकर क्षति पहुंचाना या क्षति या हानि पहुंचाने का प्रयास करना।

3. नैतिक पतन से सम्बंद्ध किसी दाण्डिक अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होना।

4. मंडल के कार्यो के संबंध में जानकारी या अप्राधिकृत प्रगटीकरण या रहस्योद्घाटन या प्रगटीकरण या रहस्योद्घाटन का कोई प्रयास करना तथा ऐसा प्रगटीकरण या रहस्योद्घाटन जिससे मंडल अथवा उसके किसी घटक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

5. रिश्वत या अवैध परितोषण देना या लेना या देने या लेने का प्रयास करना।

6. केन्द्रीय अथवा राज्य विधान मंडल या नगरपालिका, स्थानीय निकायों या मंडलों या पंचायतों या निगम या किसी साम्प्रदायिक संगठन या शासन द्वारा गठित किसी संस्था के किसी निर्वाचन में भाग लेना या उसका प्रचार करना या अन्यथा हस्तक्षेप करना या अपने प्रभाव का उपयोग करना।

7. मंडल के परिसर पर या उसके भीतर शराब पीना या झगड़ा करना या अनुचित अभद्र व्यवहार करना अथवा मंडल के परिसर के बाहर ऐसा व्यवहार करना, जिससे मंडल की प्रतिष्ठा को प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो या मंडल के अनुशासन के विरूद्व कोई कार्य करना।

8. कार्य संपादन में जान—बूझकर विलंब करना या कार्य करने में अक्षमता बरतना या उसके लिए प्रेरित करना या उकसाना।

9. व्यक्तिगत रूप में या संगठित रूप में या अन्य लोगो के साथ मिलकर किसी हड़ताल या काम बन्दी को शुरू करना, या शुरू करवाना, या 3 से अधिक लोगों के साथ मिलकर जारी रखना या

उसमें सम्मिलित होना अथवा किसी हड़ताल या काम–बंदी के लिए प्रेरित करना या उकसाना या उसे बढ़ावा देने के लिए कार्य करना।

10. मंडल की सम्पत्ति की अप्राधिकृत बिक्री, या उपयोग या ठिकाने लगाना।

11. मंडल की नगद रकम भंडार (स्टोर) तथा सम्पति का झूठा, गलत हिसाब रखना।

12. कार्य की उपेक्षा करने का अभ्यस्त होना, या किसी कार्य में पूर्ण उपेक्षा बरतना या जान –बूझकर कोई कार्य उचित रूप से न करना।

13. जुआ खेलना या शर्त लगाना या जुए खेलने या शर्त लगाने के प्रयास करना।

14. स्टॉक हिस्सों, प्रतिभूतियों या अन्य वस्तुओं के संबंध में सट्टा लगाना चाहे वह अपने नाम से हो या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से।

15. प्रबंध संचालक तथा उसकी अनुपस्थिति में उसके आसन्न अधीनस्थ प्रशासनिक या कार्यपालक प्रमुख की पूर्वानुमति के बिना मंडल के परिसर में कोई बैठक करना या करने के प्रयास करना या उसमें उपस्थित होना।

16. कोई ऐसा कार्य करना जो मंडल या शासन के हितों के लिए हानिकर या हितों के प्रतिकूल हो।

17. किसी अन्य व्यापार या व्यवसाय में लगना।

18. मंडल की अनुमति के बिना किसी परीक्षा में बैठना या किसी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या शाला में प्रवेश लेना।

19. मंडल द्वारा तामील किए जाने वाले किसी आरोप पत्र, आदेश, सूचना या कोई अन्य पत्र लेने से इंकार करना या उसे लेने में टाल मटोल करना।

20. किसी विधि के अधीन अनुमत स्थिति को छोड़ मंडल की अनुमति के बिना मंडल के परिसर में श्रमिक संघ की सदस्यता के लिए प्रचार करना और संघ की देय राशि वसूल करना।

21. मंडल द्वारा निर्धारित मुख्यालय पर नहीं रहना।

22. मंडल के कार्य के घंटों के दौरान सोना।

23. अपनी ऋणग्रस्तता को प्रकट नहीं करना या उसके बारे में कोई झूठा बयान देना।

24. प्रथम नियुक्ति के समय या बाद में जब मांगा जाए, सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत नही करना।

25. किन्हीं ऐसे परचों पाम्पलेटों या पोस्टरों का वितरण या प्रदर्शन करना या किसी ऐसी सामग्री का चिह्नों या लेखन या अन्य दृश्य चित्रणों के माध्यम से प्रदर्शन करवाना जो मंडल के कार्यो या कारोबार के लिए हानिकर हो।

26. झूठे बिलों या राशि के लिए दावा करना या प्रस्तुत करना।

27. काम बंद होने के समय से पूर्व बिना अनुमति चले जाना।

28. मंडल के अभिलेखों में जान–बूझकर या गलत तरीके से हस्तक्षेप या अनाधिकृत परिवर्तन करना।

29. मंडल के परिसरों में बाधा (न्यूसेंस) उपस्थित करना और अन्य साथी सदस्यों को परेशान करना।

30. शारीरिक या वस्त्र संबंधी शिष्टता या स्वच्छता की सामान्य अपेक्षाओं की अवहेलना करना।

31. कार्य के घंटो के दौरान इधर–उधर घूमना, आलस्य करना या समय बर्बाद करना या कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना काम के प्राधिकृत घंटो के पहले या बाद में अप्राधिकृत रूप से कार्यालय में रूकना।

32. मंडल के औजारो या मशीनों से या उनके बिना कोई निजी या व्यक्तिगत कार्य करना और मंडल की संपत्ति का दुरूपयोग करना।

33. अधिकारियों, सहकर्मियों, घटको के प्रति उचित सम्मान या शिष्टता प्रदर्शित न करना या ध्यान न देना और कर्तव्य के दौरान अशिष्टि या असंतोषजनक व्यवहार करना।

34. कर्तव्य के घंटों के दौरान कर्तव्य पर अप्राधिकृत रूप से विलंब से आना या अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।

35. गलत जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करना।

36. वरिष्ठ प्राधिकारियों की अनुदेशों या आदेशों की जान–बूझकर अवज्ञा करना।

(44) शास्तियां:– किसी भी कर्मचारी पर समुचित और पर्याप्त कारणों से तथा इसमें इसके पश्चात् उपबंधित किए अनुसार निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित की जा सकेगी, अर्थात–

गौण शास्तियां:–

1. परिनिन्दा,
2. संचयी प्रभाव से या के बिना एक या अधिक वेनतवृद्धियां रोकना,
3. उसके द्वारा मंडल को पहुंचाई गई किसी आर्थिक हानि की संपूर्ण या आंशिक रकम वेतन, प्रतिभूति या प्रतिभूतिवों से वसूल करना।
4. जुर्माना जो एक वर्ष में पांच सौ रूपये से अधिक नहीं होगा।

प्रमुख शास्तियां:–

5. उच्च पद पर पदोंन्नति रोक देना,
6. पदावनत करना, जिसमें श्रेणी के निम्न पद पर या निम्न समय–वेतनमान में या समय–वेतनमान में निम्न प्रक्रम पर पदावनत करना शामिल होगा।
7. सेवा से हटाना या सेवा मुक्त करना या बर्खास्त करना केवल उस स्थिति को छोड़ जब ऐसा अधिवार्षिकी या सेवानिवृत्ति से संबंधित उपबंधों के अनुसार किया जाए।
8. सेवा से बर्खास्तगी।

परन्तु किसी कर्मचारी को ऐसी श्रेणी या पद के नीचे पदावनत नहीं किया जाएगा जिस पर उसे सेवा में उसके प्रवेश के समय नियुक्त किया गया था।

(45) अनुशासकीय प्राधिकारी:–

1. मंडल या नियुक्ति प्राधिकारी किसी कर्मचारी पर उपविधि–44 में उल्लेखित कोई भी शास्ति लगा सकेगा।

2. उप–उपविधि (3) के उपबंध के अध्याधीन उपविधि–44 में उल्लेखित कोई भी शास्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा या मंडल के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में शक्ति प्राप्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा लगाई जा सकेगी।

3. उपविधि–44 में उल्लेखित कोई शास्ति नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा लगाई नही जाएगी।

(46) **गौण शास्तियों की प्रक्रियाः—** गौण शास्तियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी किसी कर्मचारी को तथ्यों के विवरण के साथ आरोप पत्र देगा जिसमें कदाचरण या आरोपों या अभिकथनों का स्पष्ट उल्लेख रहेगा और साथ ही उसके विरूद्व प्रकट होने वाली परिस्थितियों का भी उल्लेख रहेगा तथा उससे स्पष्टीकरण मांगा जायेगा। कर्मचारी को सात दिन के भीतर अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यदि आवश्यक लगे तो जांच कर सकेगा या किसी ऐसे अधिकारी से और ऐसे तरीके से, जो वह उचित समझे जांच करवा सकेगा और तत्पश्चात दंड का आदेश पारित कर सकेगा।

(47) **प्रमुख शास्तियों लगाने की प्रक्रियाः—**

1. किसी कर्मचारी पर उपविधि—44 के खंड (पांच) से (आठ) तक में उल्लेखित कोई प्रमुख शास्ति का आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे आधारों की लिखित सूचना न दे दी गई हो जिन पर कोई कार्यवाही करना प्रस्तावित हो और जब तक कि उसे अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर न दे दिया गया हो।

2. उन आधारों को जिन पर कार्यवाही करना प्रस्तावित है, निश्चित आरोप विवरण या आरोपों के रूप में लिखा जाएगा जो उन अभिकथनों के विवरण के साथ जिन पर प्रत्येक आरोप आधारित है, कर्मचारी को भेजा जाएगा तथा ऐसी किन्ही परिस्थितियों की भी सूचना दी जाएगी, जिन पर मामले पर आदेश पारित करते समय विचार करना प्रस्तावित है।

3. कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपने बचाव में लिखित बयान प्रस्तुत करने को कहा जाएगा जिसमें उसे यह उल्लेख करना होगा कि क्या वह व्यक्तिगत सुनवाई का इच्छुक है, और गवाह प्रस्तुत करना चाहता हो।

4. आरोपित कर्मचारी अपना लिखित बयान तैयार करने के प्रयोजन के लिए अभिलेख देखने के लिए निवेदन कर सकेगा।

   परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी अभिलेखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर उस अभिलेख देखने की अनुमति देने से इंकार कर सकेगा, यदि उसकी राय में ऐसे अभिलेख मामले से पूर्णतःसंगत न हो या लोक हित में या मंडल के हित में उसे अभिलेख देखने की अनुमति देना वांछनीय न हो।

5. आरोपित कर्मचारी जांच की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहेगा यदि वह उपस्थित नहीं रहता है। तो जांच एक—पक्षीय आधार पर की जाएगी।

6. खंड (3) के अनुसार लिखित बयान प्राप्त होने के बाद या विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा बयान प्राप्त न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह आवश्यक समझे, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित किए अनुसार, आरोपों की जांच करने के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

7. यदि कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का इच्छुक हो तो उसे इस प्रकार सुना जा सकेगा यदि वह चाहे कि मौखिक जांच की जाए या नियुक्ति प्राधिकारी ऐसा निर्देश देता है, तो जांच अधिकारी द्वारा ऐसी जांच की जा सकेगी। ऐसी जांच के दौरान स्वीकार न किए गए अभिकथनों के बारे में साक्ष्य को सुना जा सकेगा और आरोपित कर्मचारी को उस साक्षी या साक्षियों का प्रति—परीक्षण करने का हक होगा जो व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य देते है, और उसे ऐसे साक्षी या साक्षियों को बुलाने का हक होगा जिन्हें वह चाहे।

   परतु जांच अधिकारी, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर ऐसे साक्षी को बुलाने से इंकार कर सकेगा जिसका साक्ष्य, जांच अधिकारी की राय में संगत सारभूत न हो।

8. जांच समाप्त होने पर आरोपों की जांच करने वाला प्राधिकारी जांच प्रतिवेदन तैयार करेगा, प्रत्येक आरोप पर उसके कारणों सहित अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा। यदि ऐसे प्राधिकारी की राय में

मूलतः लगाए गए आरोपों से भिन्न आरोप जांच की कार्यवाही में साबित हो तो वह ऐसे आरोपों पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा।

परतु ऐसे आरोपों पर निष्कर्ष तब तक अभिलिखित नही किए जाएगें तब तक कि आरोपित कर्मचारी ने उन्हें स्थापित करने वाले तथ्यों को स्वीकार न कर लिया हो या उसे उनके विरूद्व अपना बचाव करने का अवसर न दे दिया गया हो।

9. **जांच के अभिलेख में निम्नलिखित शामिल होगाः–**
   1. कर्मचारी के विरूद्व लगाए गए आरोप और उप–उपविधि–(2) के अधीन उसे दिया गया अभिकथनों का विवरण।
   2. बचाव में उसका लिखित बयान यदि कोई हो।
   3. जांच के दौरान अभिलिखित साक्ष्य।
   4 मंडल द्वारा दिये गये आदेश यदि कोई हो और जांच के संबंध में जांच करने वाले प्राधिकारी का प्रतिवेदन और,
   5 एक प्रतिवेदन जिसमें प्रत्येक आरोप के बारे में निष्कर्ष और उसके कारण दिए जाएंगे।

10. नियुक्ति प्राधिकारी जांच के अभिलेख पर विचार करेगा और यह विनिश्चय करेगा कि जांच अधिकारी के कौन से निष्कर्षो को वह स्वीकार करें।

11. यदि नियुक्ति प्राधिकारी अभिलिखित या स्वीकृत निष्कर्षो को ध्यान में रखते हुए उपविधि–44 के खंड (पांच) से (आठ) तक में उल्लेखित शास्तियों में से कोई शास्ति लगाने के संबंध में अंतिम निश्चय पर पहुंचता है, तो वहः–
   क. संबंधित कर्मचारी को ऐसे निष्कर्षो के विवरण सहित जांच–प्रतिवेदन की एक प्रति देगा, और
   ख. उसे कारण बताओं नोटिस देना होगा, जिसमें उसके संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का उल्लेख रहेगा और उससे यह कहा जाएगा कि वह निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करें, जो वह प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्व प्रस्तुत करना चाहे।

12. नियुक्ति प्राधिकारी, अभिलिखित या उसके द्वारा स्वीकृत निष्कर्षो पर और उप–उपविधि–(11) के अधीन कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन यदि उसे कोई हो उस पर विचार करने पर यह निश्चय करेगा कि उस पर कौन सी शास्ति यदि कोई हो लगाई जाए, और मामले पर उपयुक्त आदेश पारित और इस प्रकार पारित आदेश संबंधित कर्मचारी को संसूचित किए जाएगें।

(48) कतिपय मामलों में विशेष उपबंधः– यदि कर्मचारी पर ऐसे आचरण के आधार पर शास्ति लगाई जाती है, जिसके फलस्वरूप दाण्डिक आरोप पर उसकी दोषसिद्वि हुई हो तो ऐसे मामले में उपविधि 45 और 46 के उपबंध लागु नहीं होंगें या यदि नियुक्ति प्राधिकारी का उसके द्वारा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर इस बात से समाधन हो जाता हैं कि इन उपविधियों में उपबंधित तरीके से जांच प्रारभं करना व्यावहारिक रूप में उचित नही हैं, तो नियुक्ति–प्राधिकारी, मामले पर विचार करने के बाद, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(49) सामान्य कार्यवाहीः– यदि किसी मामले से दो या अधिक कर्मचारी संबंधित हो, तो मंडल या ऐसे सभी कर्मचारी पर सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति लगाने के लिए सक्षम कोई अन्य प्राधिकारी ऐसा आदेश दे सकेगा, जिसमें यह निर्देश होगा कि सभी कर्मचारियों के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही सामान्य कार्यवाही के रूप में की जाए।

(50) पुर्नविलोकनः– सक्षम प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या उसे दिए गए अभ्यावेदन पर स्वयं द्वारा पारित आदेश का पुर्नविलोकन कर सकेगा और आदेश में परिवर्तन या संशोधन कर सकेगा बशर्ते कि परिस्थितियों द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो और यथोचित रूप में यह प्रतीत हो कि संबंधित कर्मचारी के प्रति भारी अन्याय हुआ है।

परंतु सक्षम प्राधिकारी, आदेश पारित करने की तारीख से 180 दिन की अवधि बीत जाने के बाद अपने स्वयं के आदेश का पुर्नविलोकन नहीं करेगा।

(51) **अनुशासनिक कार्यवाहियों के विचाराधीन रहने तक निलम्बनः–** किसी कर्मचारी को नियुक्ति–प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही या जांच या न्यायिक–जांच की समाप्ति तक निम्नलिखित स्थितियों में निलम्बन में रखा जा सकेगा।

क. यदि उसके विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाहियां अपेक्षित हो या विचाराधीन हो या

ख. यदि उसके विरूद्व दाण्डिक आरोप के संबंध में कोई मामला विचाराधीन हो और यदि आरोप मंडल के कर्मचारी के रूप में उसके कर्तव्यों से संबंधित हो या उसे मंडल में उसके कर्तव्यों के निष्पादन में उलझन में डालने की संभावना हो या नैतिक पतन अन्तर्निहित हो।

(52) **निलंबन के दौरान निर्वाह भत्ताः–**

1. निलंबन किया गया कर्मचारी ऐसी दर पर जो कि निलंबन की तारीख के तत्काल पूर्व उसके द्वारा आहरित महंगाई भत्ते, और अन्य भत्ते सहित उसके कुल वेतन के आधे से अधिक नहीं होगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाए, निर्वाह भत्ता आहरित करेगा। जहां निलंबन की अवधि के बाद दण्ड न दिया जाए, वहां निलबंन की अवधि तथा उसका वेतन ऐसी रीति से विनियमित होगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किया जाए। जहां उसके बाद दण्ड दिया जाए वहां निलंबनाधीन व्यतीत की गई अवधि भी ऐसी रीति से विनियमित होगी जैसी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्णीत की जाए।

2. निलंबन की अवधि के दौरान कर्मचारी किसी भी प्रकार का कोई अन्य नियोजन ग्रहण नहीं करेगा। निलंबनाधीन कर्मचारी अपनी पद स्थापना के स्थान पर और निलंबन की अवधि के दौरान उसके मुख्यालय में परिवर्तन होने के मामले में मण्डल की ऐसी इकाई या ऐसे कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होगा, जिसमें वह पदस्थ हो या जिसमें वह संलग्न हो।

(53) **अपील का अधिकारः–** कोई भी कर्मचारी उस पर उपविधि–44 में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति लगाने वाले प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अपील करने का हकदार होगा।

(54) **अपील का स्वरूप और उसकी विषय वस्तुः–**

1. अपील करने वाला प्रत्येक कर्मचारी ऐसा अपने स्वयं के नाम से करेगा।

2. वह अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में लिखी होगी।

3. वह विनम्र और आदरयुक्त भाषा में लिखी गई होगी और वह आवश्यक पुनरावृत्ति या शब्दों के आडम्बर से मुक्त रहेगी।

4. उसमें वे सभी सारभूत कथन तथा तर्क होंगे जिन पर निर्भर रहा गया हो तथा वह स्वयं में पूर्ण होगी।

5. उसमें चाही गई राहत का उल्लेख होगा।

6. वह उस प्राधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी, जिसने वह आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध अपील की गई हो।

(55) **अपील पर विचारः–** ऊपर उपविधि–44 में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति लगाने वाले आदेश के विरूद्ध अपील किए जाने के मामले में अपीलीय प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि–

क. क्या वे तथ्य साबित हुए हैं, जिन पर आदेश आधारित था,

ख. क्या साबित तथ्य कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं, तथा

ग. क्या शास्ति अधिक या अपर्याप्त है और इस प्रकार विचार करने के बाद ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा वह उचित समझे।

(56) **अपील में आदेशों का क्रियान्वयनः–** वह प्राधिकारी, जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की गई हो, इन उपविधियों के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिये गए किसी भी आदेश को प्रभावी करेगा।

(57) **अपील के लिए परिसीमाः–** यदि कोई अपील, जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई हो, उसकी प्रति सौपें जाने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर नहीं की जाती है, तो अपील कालबाधित हो जाएगी।

परन्तु यह कि यदि अपीलीय प्राधिकारी को इस बात का समाधान हो कि अपीलकर्ता के पास समय पर अपील न करने का पर्याप्त कारण था, तो वह उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील स्वीकार कर सकेगा।

(58) **अपीलीय प्राधिकारीः–** अस्थायी कर्मचारी को छोड़, कोई भी कर्मचारी जिसमें ऐसा कर्मचारी भी शामिल है, जो मण्डल की सेवा में न रह गया हो, परिनिन्दा, चेतावनी, जुर्माने चरित्रपंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि को छोड़ उपनियम–44 की उपविधि–(एक) (दो) (तीन) तथा (चार) में विनिर्दिष्ट शस्तियों में से कोई भी शास्ति लगाने वाले आदेश के विरूद्ध निम्नलिखित प्राधिकारियों को अपील कर सकेगा–

क. यदि वह आदेश जिसके विरूद्ध अपील की गई हो, प्रबध संचालक के अधीनस्थ अधिकारी का हो, तो प्रबंध संचालक को।

ख. यदि वह आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई हो, प्रबंध संचालक का हो, तो संचालक मण्डल को।

(59) **अपील कब रोक ली जा सकेगीः–**

1. कोई भी अपील अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा रोक ली जा सकेगी

क. यदि वह उपविधि–54 की उपेक्षाओं को पूरा न करती हो,

ख. यदि पढ़ी जा सकने योग्य न हो और समझी जा सकने योग्य न हो,

ग. यदि वह किसी ऐसे विषय से संबंधित हो जो कर्मचारी से व्यक्तिगत रूप से सरोकार न रखती हो,

घ. यदि वह उस अपील की पुनरावृत्ति हो, जो उस प्राधिकारी द्वारा, जिसे वह संबोधित हो, अस्वीकार कर दी गई हो और जो अनुशासनिक प्राधिकारी की राय में कोई ऐसे नए मुद्दों या ऐसी नई परिस्थितियों को प्रकट न करती हो, जो पुर्नविचार का आधार प्रदान करते हों/करती हों।

परन्तु यह कि जब कोई अपील इस खंड के अधीन रोक ली जाती है, तो संबंधित प्राधिकारी अपीलीय प्राधिकारी को उन आधारों का एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिन पर अपील रोक ली गई हो।

ड. यदि वह किसी ऐसे प्राधिकारी को संबोधित हो, जिसे इन उपविधियों के अधीन कोई अपील न की जा सकती हो।

2. ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कोई अपील रोक ली जाती है, अपील रोकने वाला प्राधिकारी आवेदक को अपील के रोक लिए जाने के तथ्य की और उसके रोके जाने के कारणों की जानकारी देगा।

3. जो अपील रोक न ली गई हो वह यथासंभव शीघ्र अनुशासनिक प्राधिकारी की टिप्पणियों के साथ अपीलीय प्राधिकारी को अग्रेषित कर दी जाएगी।

4. अपील रोक लेने वाले आदेश के विरूध्द कोई अपील नही की जा सकेगी।

(60) **अपीलों के निपटारे की प्रकियाः–**

1. कोई भी अपील प्रथम दृष्टि में खारिज की जा सकती है–

क. यदि वह उपविधि–54 के अनुसार प्रस्तुत न की गई हो।

ख. यदि इन उपविधियों के अधीन कोई अपील न की जा सकती हो।

ग. यदि वह विहित समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत न की गई हो और विलंब के लिए युक्तियुक्त कारण न दर्शाया गया।

घ. यदि उसमें कोई ऐसे नये तथ्य या ऐसी नई परिस्थितियां न बताए गए हों/बताई गई हों, जो मामले के पुर्नविचार का आधार प्रदान करते हों/करती हों।

परन्तु यह कि ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें अपील खारिज कर ली जाती है, तो आवेदक को उसके खारिज किए जाने के तथ्य और कारणों की जानकारी दी जाएगी।

2. अपीलीय अधिकारी उस प्राधिकारी से जिसके आदेशो के विरूध्द अपील की गई हो, मामले के अभिलेख मांग सकेगा और मामले पर विचार करने के बाद उसे और भी जांच या निर्णय के लिए प्रतिप्रेषित (रिमांड) कर सकेगा या कोई भी ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो न्यायोचित और उचित समझा जाए। परन्तु यह कि अधिरोपित शास्ति तब तक नही बढ़ाई जाएगी जब तक कि अपीलकर्ता को प्रस्तावित वृध्दि के विरूध्द कारण दर्शाने का अवसर न दिया जाए।

परन्तु यह भी कि किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश तब तक पारित नही किया जाएगा, जब तक कि उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न प्रदान किया गया हो।

(61) **पुनरीक्षणः–** मंडल किसी भी समय, या तो स्वंय होकर या आदेश की तारीख से छः माह के भीतर संबंधित व्यक्ति द्वारा अभ्यावेदन किये जाने पर, इन उपविधियों के अधीन की गई किसी भी जांच के अभिलेख मंगा सकेगा और उनका परीक्षण कर सकेगा और मामले पर विचार करने के बाद ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे।

परन्तु यह कि कोई शास्ति लगाने वाला या उसे बढ़ाने वाला कोई भी आदेश तब तक नही दिया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को प्रस्तावित शास्ति या शास्ति बढ़ाए जाने के विरूध्द अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

अध्याय – 4
विविध

(62) **छुट्टी (अवकाश) :–** छुट्टी के संबंध में या भुनाने के लिए अर्जित छुट्टी के समर्पण के संबंध में कर्मचारी मण्डल के नियमों द्वारा शासित होगा।

(63) **यात्रा तथा दैनिक भत्ताः–** यात्रा भत्तें तथा दैनिक भत्तें के संबंध में कर्मचारी मण्डल के यात्रा भत्ता नियमों द्वारा शासित होगा।

(64) **चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्तिः–** किसी कर्मचारी द्वारा अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों की बीमारी के सिलसिले में चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार पर किए गए व्यय की स्वीकार्यता मण्डल के नियमों द्वारा शासित होगी।

(65) **मंहगाई भत्ताः–** मंहगाई भत्ते तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ते की हकदारी और उनका दिया जाना मण्डल के कर्मचारियों के लिए विहित वेतनमानों के अनुरूपी वेतनमानों के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए या रूपांतरित (माडीफाइड) नियमों या अनुदेशों के अनुसार विनियमित होगा।

(66) **त्यौहार अग्रिम तथा अनाज अग्रिमः–** ये अग्रिम मण्डल द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार विनियमित तथा स्वीकार्य होंगे।

(67) **सेवा अभिलेखः–**

क. नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में एक सेवा पुस्तक रखेगा। इस पुस्तक में समय–समय पर आकस्मिक छुट्टी को छोड़, अन्य प्रकार की छुट्टी, स्थानान्तरण, वार्षिक वेतन वृद्धियों, पदोंन्नतियों तथा दण्डों, यदि कोई हों, का अभिलेख रखा जाएगा। महाप्रबंधक (कार्मिक) या सचिव या प्राधिकृत कोई भी अधिकारी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

ख. प्रत्येक कर्मचारी की सेवा का सत्यापन प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष के अंत में किया जाएगा और सेवा पुस्तक में उस आशय की प्रविष्टि की जाएगी, जिसे उस अधिकारी द्वारा उचित रूप से अभिप्रमाणित किया जाएगा, जो ऐसा करने के लिए प्राधिकृत हो।

ग. अर्जित छुट्टी तथा आकस्मिक छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्येक कर्मचारी की अर्जित छुट्टी और आकस्मिक छुट्टी का लेखा अलग–अलग रखा जाएगा।

(68) **चरित्र पंजीः–**

1. प्रबंध संचालक द्वारा निर्धारित फार्म में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रत्येक कर्मचारी की चरित्र पंजी रखी जाएगी।

2. चरित्र पंजी में लिखी गई कोई भी प्रतिकूल अभियुक्ति संबंधित कर्मचारी को एक माह के भीतर लिखित रूप में संसूचित की जाएगी।

3. सभी कर्मचारियों की चरित्र–पंजीयॉ सुरक्षित तथा समुचित अभिरक्षा में रखी जाएगी।

(69) **नगद प्रतिपूर्ति तथा व्यक्तिगत प्रतिभूतिः–** नगद रकम या भण्डार वस्तुओं या क्रय से संबंधित कर्मचारी को नगद या व्यक्तिगत प्रतिभूति या दोनों प्रकार की प्रतिभूतियों, जैसी कि मण्डल या प्रबंध संचालक द्वारा निश्चित किया जाए, प्रस्तुत करनी होगी।

(70) **अभ्यावेदनः–** किसी भी कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी अभ्यावेदन का निपटारा प्रबंध संचालक या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। प्रबंध संचालक या नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(71) **निर्वचन एवं व्यावृत्ति :–**

1. इन नियमों के कोई भी प्रावधान अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडें वर्गो के लिए राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये निर्देशों/आदेशों के अनुसार उपबन्ध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तो को प्रभावित नही करेगें।

2. छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2015 में जिन नियमों का उल्लेख नही है अथवा अस्पष्टता/विवाद की स्थिति में शासन के नियम लागू होगें।

3. छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2015 में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, ऐसी स्थिति में शासन का निर्णय अंतिम होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष कुमार मिश्र, सचिव.

परिशिष्ट "1" (अनुसूची कमांक –1)

मुख्यालय

स. क्र.	पदनाम	वेतनमान	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पद	पदस्थापना
1	2	3	4	5
01	प्रबंध संचालक	....	1	अखिल भारतीय सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर।
02	महाप्रबंधक	37400–67000 + ग्रेड वेतन 8700	2	पदोंन्नति से
03	उप महाप्रबंधक	15600–39100 + ग्रेड वेतन 7600	2	पदोंन्नति से
04	कार्यपालन. अभियंता	15600–39100 + ग्रेड वेतन 6600	1	पदोंन्नति से/ प्रतिनियुक्ति से
05	लेखा अधिकारी	15600–39100 + ग्रेड वेतन 5400	1	पदोंन्नति से
06	प्रशासकीय अधिकारी	15600–39100 + ग्रेड वेतन 5400	1	पदोंन्नति से
07	वरिष्ठ पर्यटन अधिकारी	15600–39100 + ग्रेड वेतन 5400	1	पदोंन्नति से
08	सहायक यंत्री	15600–39100 + ग्रेड वेतन 5400	1	पदोंन्नति से
09	सहायक अधीक्षक	9300–34800 + ग्रेड वेतन 4300	1	पदोंन्नति से
10	वरिष्ठ लेखापाल	9300–34800 + ग्रेड वेतन 4300	1	पदोंन्नति होने से साख्येत्तर पद समाप्त
11	उपयंत्री	9300–34800 + ग्रेड वेतन 4200	3	सीधी भर्ती
12	योजना सहायक	9300–34800 + ग्रेड वेतन 4300	1	पदोंन्नति से
13	वरिष्ठ स्टेनोग्राफर	9300–34800 + ग्रेड वेतन 4300	1	पदोंन्नति से
14	सहायक ग्रेड –1	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2800	2	पदोंन्नति से (पदोंन्नति होने से सांख्येत्तर का एक पद समाप्त)
15	सहायक ग्रेड –2	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2400	2	पदोंन्नति से
16	सहायक ग्रेड –3	5200–20200 + ग्रेड वेतन 1900	5	सीधी भर्ती/पदोंन्नति से
17	वाहन चालक	5200–20200 + ग्रेड वेतन 1900	1	सीधी भर्ती से
18	वाहन चालक	5200–20200 + ग्रेड वेतन 1900	3	सीधी भर्ती से
19	कारपेन्टर	5200–20200 + ग्रेड वेतन 1900	1	साख्येत्तर पद
20	वरिष्ठ भृत्य	4750–7440 + ग्रेड वेतन 1400	1	पदोंन्नति से
21	भृत्य	4750–7440 + ग्रेड वेतन 1300	5	सीधी भर्ती से
22	स्वीपर	4750–7440 + ग्रेड वेतन 1300	1	सीधी भर्ती से
23	चौकीदार	कलेक्टर दर	1	सीधी भर्ती से
		कुलः–	39 पद	

अध्यक्ष कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के लिये				
स. क्र.	पदनाम	वेतनमान	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पद	पदस्थापना
1	2	3	4	5
1	निज सहायक/ स्टेनोग्राफर	9300–34800 + ग्रेड वेतन 4300	1	सीधी भर्ती से
2	कम्प्यूटर ऑपरेटर	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2400	1	सीधी भर्ती से
3	वाहन चालक	5200–20200 + ग्रेड वेतन 1900	1	सीधी भर्ती से
4	भृत्य	4750–7440 + ग्रेड वेतन 1300	1	सीधी भर्ती से
		कुल योगः–	**4**	

होटल छत्तीसगढ, रायपुर के लिये				
स. क्र.	पदनाम	वेतनमान	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पद	पद स्थापना
1	2	3	4	5
1	वरिष्ठ प्रबंधक	15600–39100 + ग्रेड वेतन 5400	1	पदोंन्नति से
2	प्रबंधक	9300–34800 + ग्रेड वेतन 4300	3	पदोंन्नति से
3	स्वागतकर्ता	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2800	2	पदोंन्नति से
4	फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2400	2	सीधी भर्ती
5	स्टूवर्ड	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2400	1	पदोंन्नति से
6	कुक ग्रेड–1	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2400	1	पदोंन्नति से
7	कुक ग्रेड–2	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2200	1	पदोंन्नति से
8	कुक ग्रेड–3	5200–20200 + ग्रेड वेतन 1900	1	पदोंन्नति से
9	कुक ग्रेड–4	4750–7440 + ग्रेड वेतन 1400	2	पदोंन्नति से
10	हेड वेटर	4750–7440 + ग्रेड वेतन 1400	7	05 सांख्येतर पद
11	इलेक्ट्रीशियन	5200–20200 + ग्रेड वेतन 1900	2	सीधी भर्ती से
12	वेटर/रूमबाय	4750–7440 + ग्रेड वेतन 1300	4	सीधी भर्ती से
13	हेल्पर	4750–7440 + ग्रेड वेतन 1300	4	सीधी भर्ती से
14	चौकीदार	4750–7440 + ग्रेड वेतन 1300	3	सीधी भर्ती से
15	स्वीपर	कलेक्टर दर	4	सीधी भर्ती से
16	माली	कलेक्टर दर	2	सीधी भर्ती से
		कुलः–	**40 पद**	

राज्य तथा राज्य के बाहर सूचना केन्द्र के लिये

स. क्र.	पदनाम	वेतनमान	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पद	पद स्थापना
1	2	3	4	5
1.	पर्यटन अधिकारी	9300–34800 + ग्रेड वेतन 4300	15	सीधी भर्ती से/ पदोन्नति से
2.	सूचना सहायक	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2800	15	सीधी भर्ती से
3.	भृत्य	4750–7440 + ग्रेड वेतन 1300	15	सीधी भर्ती से
		कुलः—	45	

परिशिष्ट – II (अनुसूची II)

SCHEDULE-2 - RULE No.- 06

स. क्र.	पदनाम	वेतनमान	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पद	सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर भरे जाने वाले पदोन्नति पदों का प्रतिशत	पद स्थापना
1	2	3	4	5	6	7
01	प्रबंध संचालक	----	1	-----	-----	अखिल भारतीय सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर।
02	महाप्रबंधक	37400–67000 +ग्रेड वेतन 8700	2	-----	100%	पदोन्नति से
03	उप महाप्रबंधक	15600–39100 +ग्रेड वेतन 7600	2	-----	100%	पदोन्नति से
04	कार्यपालन अभियंता	15600–39100 +ग्रेड वेतन 6600	1	-----	-----	पदोन्नति से/ प्रतिनियुक्ति से
05	लेखा अधिकारी	15600–39100 +ग्रेड वेतन 5400	1	-----	100%	पदोन्नति से
06	प्रशासकीय अधिकारी	15600–39100 +ग्रेड वेतन 5400	1	-----	100%	पदोन्नति से
07	वरिष्ठ पर्यटन अधिकारी	15600–39100 +ग्रेड वेतन 5400	1	-----	100%	पदोन्नति से
08	सहायक यंत्री	15600–39100 + ग्रेड वेतन 5400	1	-----	100%	पदोन्नति से
09	सहायक अधीक्षक	9300–34800 + ग्रेड वेतन 4300	1	-----	100%	पदोन्नति से
10	वरिष्ठ लेखापाल	9300–34800 + ग्रेड वेतन 4300	1	-----	-------	सांख्येत्तर पद
11	उपयंत्री	9300–34800 + ग्रेड वेतन 4200	3	100%	--------	सीधी भर्ती से
12	योजना सहायक	9300–34800 + ग्रेड वेतन 4300	1	-----	100%	पदोन्नति से
13	वरिष्ठ स्टेनोग्राफर	9300–34800 + ग्रेड वेतन 4300	1	-------	100%	पदोन्नति से
14	सहायक ग्रेड–1	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2800	2	---	100%	01 पद सांख्येत्तर
15	सहायक ग्रेड–2	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2400	2	---	100%	पदोन्नति से
16	सहायक ग्रेड–3	5200–20200 + ग्रेड वेतन 1900	5	80%	20%	सीधी भर्ती से/पदोन्नति से
17	वाहन चालक	5200–20200 + ग्रेड वेतन 1900	1	100%	----------	सीधी भर्ती से

18	वाहन चालक	5200—20200 + ग्रेड वेतन 1900 सा.प्र.वि. के परिपत्र कं. 10—1/2007/1—3 दि. 11.2.2008 के तहत संशोधित वेतनमान।	3	100%	---	सीधी भर्ती से
19	कारपेन्टर	5200—20200 + ग्रेड वेतन 1900	1	---	---	साख्येत्तर पद
20	वरिष्ठ भृत्य	4750—7440 + ग्रेड वेतन 1400	1	---	100%	पदोंन्नति से
21	भृत्य	4750—7440 + ग्रेड वेतन 1300	5	100%	---	सीधी भर्ती से
22	स्वीपर	4750—7440 + ग्रेड वेतन 1300	1	100%	---	सीधी भर्ती से
23	चौकीदार	कलेक्टर दर	1	100%	---	सीधी भर्ती से
		कुल	**39 पद**			

राज्य तथा राज्य के बाहर सूचना केन्द्र के लिये

स. क.	पदनाम	वेतनमान	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पद	सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	पदोंन्नति समिति की अनुशंसा पर भरे जाने वाले पदोंन्नति पदों का प्रतिशत	पदस्थापना
1	2	3	4	6	7	8
1	पर्यटन अधिकारी	9300—34800 + ग्रेड वेतन 4300	15	60%	40%	सीधी भर्ती से / पदोंन्नति से
2	सूचना सहायक	5200—20200 + ग्रेड वेतन 2800	15	100%	----	सीधी भर्ती से
3	भृत्य	4750—7440 + ग्रेड वेतन 1300	15	100%	---	सीधी भर्ती से
कुल योगः—			**45**			

अध्यक्ष कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के लिये

स. क.	पदनाम	वेतनमान	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पद	सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	पदोंन्नति समिति की अनुशंसा पर भरे जाने वाले पदोंन्नति पदों का प्रतिशत	पद स्थापना
1	2	3	4	6	7	8
1	निज सहायक/स्टेनोग्राफर	9300—34800 + ग्रेड वेतन 4300	1	100%	---	सीधी भर्ती से
2	कम्प्यूटर ऑपरेटर	5200—20200 + ग्रेड वेतन 2400 सा.प्र.वि. के आदेश कं. एफ—10—1 / 2009/1—3 दि. 22.07.11 के तहत संशोधित वेतनमान।	1	100%	---	सीधी भर्ती से
3	वाहन चालक	5200—20200 + ग्रेड वेतन 1900	1	100%	---	सीधी भर्ती से
4	भृत्य	4750—7440 + ग्रेड वेतन 1300	1	100%	---	सीधी भर्ती से
		कुल योगः—	**4**			

होटल छत्तीसगढ़, रायपुर के लिये

स. क.	पदनाम	वेतनमान	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पद	सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर भरे जाने वाले पदोन्नति पदों का प्रतिशत	पद स्थापना
1	2	3	4	6	7	8
1	वरिष्ठ प्रबंधक	15600–39100 + ग्रेड वेतन 5400	1	---	100%	पदोन्नति से
2	प्रबंधक	9300–34800 + ग्रेड वेतन 4300	3	---	100%	पदोन्नति से
3	स्वागतकर्ता	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2800	2	---	100%	पदोन्नति से
4	फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2400	2	100%	---	सीधी भर्ती से
5	स्टूवर्ड	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2400 सा.प्र.वि. के परिपत्र क्र. एफ 19–2/2008/1–3 दि. 2.6.08 के तहत संशोधित वेतनमान।	1	---	100%	पदोन्नति से
6	कुक ग्रेड–1	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2400	1	---	100%	पदोन्नति से
7	कुक ग्रेड–2	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2200	1	---	100%	पदोन्नति से
8	कुक ग्रेड–3	5200–20200 + ग्रेड वेतन 1900	1	---	100%	पदोन्नति से
9	कुक ग्रेड–4	4750–7440 + ग्रेड वेतन 1400	2	----	100%	पदोन्नति से
10	हेड वेटर	4750–7440 + ग्रेड वेतन 1400	7	---	100%	05 सांख्येतर पद शेष पद पदोन्नति से
11	इलेक्ट्रीशियन	5200–20200 + ग्रेड वेतन 1900 सा.प्र.वि. के परिपत्र क्र. एफ 10–2/2007/1–3 दि. 11.2.08 के तहत संशोधित वेतनमान।	2	100%	---	सीधी भर्ती से
12	वेटर/रूमबाय	4750–7440 + ग्रेड वेतन 1300	4	100%	---	सीधी भर्ती से
13	हेल्पर	4750–7440 + ग्रेड वेतन 1300	4	100%	---	सीधी भर्ती से
14	चौकीदार	4750–7440 + ग्रेड वेतन 1300	3	100%	---	सीधी भर्ती से
15	स्वीपर	कलेक्टर दर	4	100%	----	सीधी भर्ती से
16	माली	कलेक्टर दर	2	100%	----	सीधी भर्ती से
		कुल :–	**40 पद**			

परिशिष्ट – III (अनुसूची III)

SCHEDULE-3 (BY Recruitment & Deputation)
RULE No. - 08

S. No.	Name of Service	Pay Scale	Min/ Max Age limit	Educational Qualification	Selection Committee
1	2	3	4	5	6
01	उपयंत्री	9300–34800 + ग्रेड वेतन 4200	21/35	Diploma in Civil Engineering with 05Yrs. Practical experience in Govt./ Govt. Undertaking or 05 year Experience in Construction work from any Reputed Institution.	(i) महाप्रबंधक – अध्यक्ष, प्रभारी (स्थापना/प्रशासन)–सदस्य, एवं अन्य शासकीय विभाग से आरक्षित वर्ग का एक अधिकारी (द्वितीय श्रेणी, राजपत्रित)– सदस्य "अथवा" (ii) व्यवसायिक परीक्षा मंडल ।
02	सहायक ग्रेड –3	5200–20200 + ग्रेड वेतन 1900	21/35	1. Should have passed the HSSC Exam. 2. Should have passed Hindi/ English Typing with a speed of 25/30 words p.m. from the board of shorthand & Typing or from recognized Govt. Institution and should have Diploma in Computer. 10000 Thousand Key Depuration per hour In Computer is Essential.	(i) महाप्रबंधक – अध्यक्ष, प्रभारी (स्थापना/प्रशासन)–सदस्य, एवं अन्य शासकीय विभाग से आरक्षित वर्ग का एक अधिकारी (द्वितीय श्रेणी, राजपत्रित)– सदस्य "अथवा" (ii) व्यवसायिक परीक्षा मंडल ।
03	कम्प्यूटर आपरेटर	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2400	21/35	1. Should have passed the HSSC Exam. 2. Should have 01 Year Diploma in data entry Operator/ Programming from Recognized Institution. 3. Speed of 10000 Key Depuration per hour In Computer is Essential.	(i) महाप्रबंधक – अध्यक्ष, प्रभारी (स्थापना/प्रशासन)–सदस्य, एवं अन्य शासकीय विभाग से आरक्षित वर्ग का एक अधिकारी (द्वितीय श्रेणी, राजपत्रित)– सदस्य "अथवा" (ii) व्यवसायिक परीक्षा मंडल ।
04	वाहन चालक	5200–20200 + ग्रेड वेतन 1900	23/35	1. 8th Standard Pass 2. License of Heavy Vehicle Driving 3. 05 yrs Experience in Heavy Vehicle Driving	(i) महाप्रबंधक – अध्यक्ष, प्रभारी (स्थापना/प्रशासन)–सदस्य, एवं अन्य शासकीय विभाग से आरक्षित वर्ग का एक अधिकारी (द्वितीय श्रेणी, राजपत्रित)– सदस्य "अथवा" (ii) व्यवसायिक परीक्षा मंडल ।

1	2	3	4	5	6
05	भृत्य	4750–7440 + ग्रेड वेतन 1300	21 / 35	1. 8th Standard Pass	i) महाप्रबंधक – अध्यक्ष, प्रभारी (स्थापना / प्रशासन)–सदस्य, एवं अन्य शासकीय विभाग से आरक्षित वर्ग का एक अधिकारी (द्वितीय श्रेणी, राजपत्रित)– सदस्य "अथवा" (ii) व्यवसायिक परीक्षा मंडल ।
06	चौकीदार	4750–7440 + ग्रेड वेतन 1300	21 / 35	1. 8th Standard pass 2. Physically sound	i) महाप्रबंधक – अध्यक्ष, प्रभारी (स्थापना / प्रशासन)–सदस्य, एवं अन्य शासकीय विभाग से आरक्षित वर्ग का एक अधिकारी (द्वितीय श्रेणी, राजपत्रित)– सदस्य "अथवा" (ii) व्यवसायिक परीक्षा मंडल ।
07	स्वीपर	4750–7440 + ग्रेड वेतन 1300	21 / 35	1. 5th Standard pass 2. Physically sound	i) महाप्रबंधक – अध्यक्ष, प्रभारी (स्थापना / प्रशासन)–सदस्य, एवं अन्य शासकीय विभाग से आरक्षित वर्ग का एक अधिकारी (द्वितीय श्रेणी, राजपत्रित)– सदस्य "अथवा" (ii) व्यवसायिक परीक्षा मंडल ।
08	पर्यटन अधिकारी	9300–34800 + ग्रेड वेतन 4300	21 / 35	1. Should Have Graduate from any Govt. Recognized University / Institution. 2. Post Graduate Diploma in Tourism & Travel Management from any Govt. Recognized University/ Institution. 3. Institution Fluent in English Language, Preference will be given to knowing knowledge of any foreign-Hindi-regional languages. 4. Two Year Working experiencein Reputed Travel Agency or Tourism Board/ corporation Tourism related industry. Knowledge of Computer is essential Good personality. 02 yrs experience in Tourism Trade.	i) महाप्रबंधक – अध्यक्ष, प्रभारी (स्थापना / प्रशासन)–सदस्य, एवं अन्य शासकीय विभाग से आरक्षित वर्ग का एक अधिकारी (द्वितीय श्रेणी, राजपत्रित)– सदस्य "अथवा" (ii) व्यवसायिक परीक्षा मंडल ।

1	2	3	4	5	6
09	सूचना सहायक	5200—20200 + ग्रेड वेतन 2800	21/35	Should Have Graduate from Any Recognized University Fluent in English Language, preference will be given to knowing of any foreign-Hindi-regional languages. Should have at least 02 yrs experience in Tourism/Travel Trade.	i) महाप्रबंधक – अध्यक्ष, प्रभारी (स्थापना/प्रशासन)–सदस्य, एवं अन्य शासकीय विभाग से आरक्षित वर्ग का एक अधिकारी (द्वितीय श्रेणी, राजपत्रित)– सदस्य "अथवा" (ii) व्यवसायिक परीक्षा मंडल ।
10	इलेक्ट्रीशियन	5200—20200 + ग्रेड वेतन 1900	18/35	Certificate of trade from ITI. License Holder Education 8th Standard Experience of 02 yrs.	i) महाप्रबंधक – अध्यक्ष, प्रभारी (स्थापना/प्रशासन)–सदस्य, एवं अन्य शासकीय विभाग से आरक्षित वर्ग का एक अधिकारी (द्वितीय श्रेणी, राजपत्रित)– सदस्य "अथवा" (ii) व्यवसायिक परीक्षा मंडल ।
11	वेटर	4750—7440 + ग्रेड वेतन 1300	20/35	1. 8th Standard pass. 2. Physically sound.	(i) महाप्रबंधक – अध्यक्ष, प्रभारी (स्थापना/प्रशासन)–सदस्य, एवं अन्य शासकीय विभाग से आरक्षित वर्ग का एक अधिकारी (द्वितीय श्रेणी, राजपत्रित)– सदस्य "अथवा" (ii) व्यवसायिक परीक्षा मंडल ।
12	रूमबाय	4750—7440 + ग्रेड वेतन 1300	20/35	1. 8th Standard pass. 2. Physically sound.	
13	हेल्पर	4750—7440 + ग्रेड वेतन 1300	20/35	1. 5 th Standard pass. 2. Preference will be given to those Candidate witch have Experience of 02 year as Kitchen Helper in hotel.	
14	माली	कलेक्टर दर	20/35	1. 8th Standard pass. 2. Physically sound.	i) महाप्रबंधक – अध्यक्ष, प्रभारी (स्थापना/प्रशासन)–सदस्य, एवं अन्य शासकीय विभाग से आरक्षित वर्ग का एक अधिकारी (द्वितीय श्रेणी, राजपत्रित)– सदस्य "अथवा" (ii) व्यवसायिक परीक्षा मंडल ।
15	फ्रन्ट आफिस असिस्टेंट	5200—20200 + ग्रेड वेतन 2400	21/35	Essential: Certificate course in Hotel Management or Diploma in Hospitality Management at least 50%marks 01 yrs experience as a FOA in reputed Hotel. Preference will be given to Person having knowledge of any foreign-Hindi & English Language.	i) महाप्रबंधक – अध्यक्ष, प्रभारी (स्थापना/प्रशासन)–सदस्य, एवं अन्य शासकीय विभाग से आरक्षित वर्ग का एक अधिकारी (द्वितीय श्रेणी, राजपत्रित)– सदस्य "अथवा" (ii) व्यवसायिक परीक्षा मंडल ।

1	2	3	4	5	6
16	वाहन चालक	5200—20200 + ग्रेड वेतन 1900	23 / 35	1. 5th Standard Pass 2. License of Driving 3. 05 yrs Experience	i) महाप्रबंधक — अध्यक्ष, प्रभारी (स्थापना / प्रशासन)—सदस्य, एवं अन्य शासकीय विभाग से आरक्षित वर्ग का एक अधिकारी (द्वितीय श्रेणी, राजपत्रित)— सदस्य "अथवा" (ii) व्यवसायिक परीक्षा मंडल ।

परिशिष्ट — IV (अनुसूची IV)
SCHEDULE-4 (By Promotion)
RULE No.- 13

S. No.	Feeder Post	Promotion Post	Committee of D.P.C.	Condition for Eligibility of promotion
1	2	3	4	5
01	उप महाप्रबंधक 15600—39100 + ग्रेड वेतन 7600	महाप्रबंधक 37400—67000 +ग्रेड वेतन 8700	सचिव, पर्यटन प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव।
02	लेखा अधिकारी 15600—39100 + ग्रेड वेतन 5400	उप महाप्रबंधक 15600—39100 + ग्रेड वेतन 7600	सचिव, पर्यटन प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव।
03	प्रशासकीय अधिकारी 15600—39100 + ग्रेड वेतन 5400	उप महाप्रबंधक 15600—39100 +ग्रेड वेतन 7600	सचिव, पर्यटन प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव।
04	वरिष्ठ पर्यटन अधिकारी / वरिष्ठ प्रबंधक 15600—39100 + ग्रेड वेतन 5400	उप महाप्रबंधक 15600—39100 +ग्रेड वेतन 7600	सचिव, पर्यटन प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव ।
05	सहायक यंत्री 15600—39100 +ग्रेड वेतन 5400	कार्यपालन अभियंता 15600—39100 +ग्रेड वेतन 6600	सचिव, पर्यटन प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव।
06	सहायक अधीक्षक 9300—34800 +ग्रेड वेतन 4300	प्रशासकीय अधिकारी 15600—39100 +ग्रेड वेतन 5400	प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल महाप्रबंधक, अन्य विभाग का एक अधिकारी	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव ।
07	उपयंत्री 9300—34800 +ग्रेड वेतन 4200	सहायक यंत्री 15600—39100 +ग्रेड वेतन 5400	प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल महाप्रबंधक, अन्य विभाग का एक अधिकारी	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव।
08	वरिष्ठ लेखापाल 9300—34800 +ग्रेड वेतन 4300	लेखा अधिकारी 15600—39100 +ग्रेड वेतन 5400	प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल महाप्रबंधक, अन्य विभाग का एक अधिकारी	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव।
09	योजना सहायक 9300—34800 +ग्रेड वेतन 4300	वरिष्ठ पर्यटन अधि. 15600—39100 +ग्रेड वेतन 5400	प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल महाप्रबंधक, अन्य विभाग का एक अधिकारी	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव।

1	2	3	4	5
10	सहायक ग्रेड –1 5200–20200 + ग्रेड वेतन 2800	सहायक अधीक्षक / योजना सहायक 9300–34800 + ग्रेड वेतन 4300	प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल महाप्रबंधक, अन्य विभाग का एक अधिकारी	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव।
11	सहायक ग्रेड –2 5200–20200 +ग्रेड वेतन 2400	सहायक ग्रेड –1 5200–20200 + ग्रेड वेतन 2800	प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल, महाप्रबंधक, अन्य विभाग का एक अधिकारी	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव। (लिपीकीय संवर्ग)
12	सहायक ग्रेड –3 5200–20200 +ग्रेड वेतन 1900	सहायक ग्रेड –2 5200–20200 +ग्रेड वेतन 2400	प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल, महाप्रबंधक, अन्य विभाग का एक अधिकारी	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव। (लिपीकीय संवर्ग)
13	भृत्य 4750–7440 + ग्रेड वेतन 1300	वरिष्ठ भृत्य 4750–7440 +ग्रेड वेतन 1400	प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल, महाप्रबंधक, अन्य विभाग का एक अधिकारी	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव।
14	पर्यटन अधिकारी 9300–34800 +ग्रेड वेतन 4300	वरिष्ठ पर्यटन अधि. 15600–39100 +ग्रेड वेतन 5400	प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल, महाप्रबंधक, अन्य विभाग का एक अधिकारी	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव।
15	सूचना सहायक 5200–20200 +ग्रेड वेतन 2800	पर्यटन अधिकारी 9300–34800 +ग्रेड वेतन 4300	प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल, महाप्रबंधक, अन्य विभाग का एक अधिकारी	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव।
16	प्रबंधक 9300–34800 +ग्रेड वेतन 4300	वरिष्ठ प्रबंधक 15600–39100 +ग्रेड वेतन 5400	प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल, महाप्रबंधक, अन्य विभाग का एक अधिकारी	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव।
17	स्वागतकर्ता 5200–20200 +ग्रेड वेतन 2800	प्रबंधक 9300–34800 +ग्रेड वेतन 4300	प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल, महाप्रबंधक, अन्य विभाग का एक अधिकारी	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव।
18	फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट 5200–20200+ग्रेड वेतन 2400	स्वागतकर्ता 5200–20200+ग्रेड वेतन 2800	प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल, महाप्रबंधक, अन्य विभाग का एक अधिकारी	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव।
19	स्टूवर्ड 5200–20200 +ग्रेड वेतन 2400	स्वागतकर्ता 5200–20200 +ग्रेड वेतन 2800	प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल, महाप्रबंधक, अन्य विभाग का एक अधिकारी	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव।
20	कुकग्रेड–2 5200–20200 +ग्रेड वेतन 2200	कुक ग्रेड–1 5200–20200 +ग्रेड वेतन 2400	प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल, महाप्रबंधक, अन्य विभागका एक अधिकारी	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव।
21	कुक ग्रेड–3 5200–20200 +ग्रेड वेतन 1900	कुक ग्रेड–2 5200–20200 +ग्रेड वेतन 2200	प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल, महाप्रबंधक, अन्य विभाग का एक अधिकारी	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव।
20	कुकग्रेड–2 5200–20200 +ग्रेड वेतन 2200	कुक ग्रेड–1 5200–20200 +ग्रेड वेतन 2400	प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल, महाप्रबंधक, अन्य विभाग का एक अधिकारी	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव ।
21	कुक ग्रेड–3 5200–20200 + ग्रेड वेतन 1900	कुक ग्रेड–2 5200–20200 +ग्रेड वेतन 2200	प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल, महाप्रबंधक, अन्य विभाग का एक अधिकारी	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव ।
22	कुक ग्रेड–4 4750–7440 + ग्रेड वेतन 1400	कुक ग्रेड–3 5200–20200 +ग्रेड वेतन 1900	प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल, महाप्रबंधक, अन्य विभाग का एक अधिकारी	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव।

1	2	3	4	5
23	हेड वेटर 4750—7440 + ग्रेड वेतन 1400	स्टूवर्ड 5200—20200 +ग्रेड वेतन 2400	प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल, महाप्रबंधक, अन्य विभाग का एक अधिकारी	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव ।
24	वेटर/रूमबाय 4750—7440 + ग्रेड वेतन 1300	हेड वेटर 4750—7440 + ग्रेड वेतन 1400	प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल, महाप्रबंधक, अन्य विभाग का एक अधिकारी	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव ।
25	हेल्पर (किचन) 4750—7440 + ग्रेड वेतन 1300	कुक ग्रेड—4 4750—7440 + ग्रेड वेतन 1400	प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल महाप्रबंधक, अन्य विभाग का एक अधिकारी	वरिष्ठता सह उपयुक्तता एवं कम से कम 05 वर्ष का पूर्व पद पर कार्य करने का अनुभव ।

नोट :— उपरोक्त सभी पदों की पदोंन्नति हेतु आयु सीमा एवं निर्धारित अर्हताओं का कोई प्रतिबंध नही है।

Naya Raipur, the 21st June 2016

Chhattisgarh Tourism Board Recruitment and Promotion Rules - 2015

No. F 1-44/2015/33/पर्य.–As approved by the Board of Directors of Chhattisgarh Tourism Board in a meeting dated 18-08-2015 it decided that in suppress of the provisions under Chapter 01 and 02 of Chhattisgarh Tourism Board service bye laws 2002 and keeping the specified rules in to chapter 03 and 04 and the superseding of previous Recruitment and Promotion Rules which is published as on dated 02/03/2007 in gazette . These rules may be called Chhattisgarh Tourism Board Recruitment and Promotion Rules- 2015. The following Recruitment and promotion rules no. 24 under chapter 01 and 02 shall be applicable from the date of publication in gazette and the rest of the Recruitment and promotion rules shall be applicable from dated 18/01/2002.

RULE
CHAPTER 01 and 02

(1) **Short Title and commencement:-** These rules may be called "Chhattisgarh Tourism Board Recruitment and Promotion rules-2015".

(2) **Scope and applicability:-** These rules shall apply to all class of regular, daily wages, contingency, contract, reappointment or reemployed employees of board. The term and condition of deputation and other rules of state Govt. shall apply to the employee who are on deputation from the service of state Govt./Central Govt. or any other corporation/ board/government authority/government agency. The interpretation in these rules is vested to the Board of Directors and if any doubt arises regarding meaning or reference or usage of these rules, the decision of Board of Directors shall be final and binding.

(3) **Definition:-** In these rules the context otherwise requires:-

(A) The "Board" means Chhattisgarh Tourism Board.

(B) The "Board of Directors" means the Board of Directors of Chhattisgarh Tourism Board.

(C) The "Government" means Chhattisgarh Government.

(D) The "Appointment Authority" means the Board or Managing Director.

(E) The "Selection Committee" means Dept. promotion Committee appointed by the Board of Directors.

(F) The "Schedule" means enclosed schedule with the rules.

(G) The "Service and Post" means sanctioned service and post of Chhattisgarh Tourism Board.

(H) "Reservation" means reservation for schedule castes, schedule tribes and other backward classes and reservation under the guidelines issued by the state Government from time to time.

(I) "Absorption" means absorption in service of Chhattisgarh Tourism Board.

(J) "Pay scale" means sanctioned post and pay scale by the state government.

(K) "Competent Authority" means Managing Director.

(4) Posts, appointment and promotion /absorption/services/fixation of post:- The services shall consist of the following persons namely:

1. Those employees whose services were absorbed in Chhattisgarh Tourism Board under as a result of state reorganization and hold the post and pay scale as mentioned in schedule-1. Consequent upon the state reorganization the transferred officers/employees from Madhya Pradesh state Tourism Corporation, Bhopal and absorbed in the services of board, shall be entitled for promotion in the next higher post and pay scale according to the set up of post and pay scale sanctioned by the state Govt. In the sanctioned set up first of all after absorption of the regular employee they will be promoted on the higher post on the basis of available higher post according to their seniority, qualification and experience on the basis of services rendered by them on the present post. Only these after the option for direct recruitment or deputation shall be taken into consideration.

(5) Classification, Pay scale, Post etc :- The classification of service post, pay scale and number of posts shall be according to schedule-1 (described in enclosed appendix-1). The number of posts may be increased by the Board of Directors for which the proposal for sanction of the increased post shall be sent to the state Govt.

(6) Selection Procedure :-

(I) Recruitment to the service/promotion after the commencement of these rules shall be made by the following methods namely:

(A) By direct recruitment.

(B) By promotion.

(C) By deputation:- The board may take the services of officer/employee on deputation under the purview of prescribed guidelines and rules of General Department of Administration (GAD) and Finance department.

(II) Under rule A, B, and C of sub rule 6(I), the appointment /promotion or appointment on post shall be made in accordance to the sanctioned set up dated 30/9/2005. The Appointing Authority may appoint on any other post rather than the sanctioned set up with prior approval of Board of Directors.

(III) Under the provisions of these rules for any particular vacancy or for appointment to fulfill the vacancies of services, Appointing Authority under the purview of acceptable rules may appoint on the recommendation of the selection committee with due approval of Board of Directors.

(IV) Except the clauses of the sub rule 6(1), if the Appointing Authority is of the opinion that recruitment is quite necessary, a procedure in this regard may be formulated /ascertained with due approval of the Board of Directors.

(7) **Appointment on service post/ reemployment/ reappropriation / contract/ short term/ contingency appointment**:- After enforcement of these rules all appointments to the service posts shall be done by the appointing authority with due permission of Board of Directors. No any appointment /deputation/reemployment/reappropriation /contract/short term or casual appointment shall be made without approval of Board of Directors.

(8) **Essential qualification for direct recruitment**:- The candidate should fulfill the following qualification for the selection:

(I) Age:

(A) The candidate should fulfill the minimum/maximum age limit in accordance to annexed schedule (III) column (4) of these rules as decided by the Board of Directors.

(B) The maximum age limit would be relaxable in accordance to the rules of state Govt. In case of schedule caste, schedule tribe and other backward class notified by the government and female candidate and in case of others.

(C) The candidate who is an Ex-service man ,the period of services rendered by him in defence service shall be permissible in calculating his age provided consequent upon this the maximum age is not more than 5 years of maximum age limit prescribed under the rules.

(II) Educational and Professional qualification:- The candidate should fulfill the essential academic and professional qualification for the services as mentioned in the enclosed schedule (III) column (5) provided.

(A) The qualified candidate may be considered on the recommendations of the selection committee as per above guidelines in accordance with the schedule.

(III) It is not necessary to be the domicile of Chhattisgarh state for the appointment on any post like tourist officer, Information Assistant and Peon in offices located outside Chhattisgarh state because being the resident of that area, local people know local language better. The local people, he has special knowledge and information which is necessary to give to the local tourists and can contribute his services in better way in less facilities.

Out offices means all offices situated out of Chhattisgarh state for example: Delhi, Kolkata, Mumbai, Bangalore, Nagpur, Ahmadabad, Hyderabad, Jaipur, Bhubaneswar, Bhopal, Vishakhapatnam and the offices at any other place in India. For all the appointments, except above it is necessary for the candidate to be the domicile of Chhattisgarh state except in case of class one officers.

(9) **Disqualification of the candidate**:-

(i) The candidate who get appointment/promotion contrary to the Chhattisgarh Tourism Board bye laws 2002 sub rule 9 and against these recruitment and promotion rule or the candidate who is found to be disqualified against the sanctioned post, then on such information the candidate may be removed from the post.

(ii) Such immediate candidate who has given any kind of pressure /impressive information to the Selection Committee or the Appointing Authority for his/her recruitment would be declared disqualified.

(10) **Decision of Appointing Authority for the appointment**:- The decision of Appointing Authority with due consent of the Board of Directors shall be final and binding in case of appointment for any selected candidate according to his/her selection.

(11) **Constitution of Selection Committee**:-

(i) The selection committee consisting of members shall be as per column (6) of annexure III in schedule for preliminary selection of qualified candidates.

(ii) The appointment on service posts on the recommendation of selection committee shall be made by the Appointing Authority on the basis of written examination/personal interview as per guidelines specified from time to time.

(iii) The reservation percentage shall be followed in recruitment against vacancy of posts as per Govt. rules in case of scheduled caste and scheduled tribe candidates.

(12) **List of recommended candidates by the Selection Committee**:- The selection committee will forward the names and other details of the suitable candidates for the appointment to the competent authority. These names shall be enlisted including schedule caste/schedule tribe candidates. This list shall be effective for the period of one year which may be extended for the next six months by the Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board in specific circumstances.

(13) **By Promotion**:

(i) For the selection of qualified candidates for promotion there will be a Promotion Committee consisting of members as per enclosed schedule IV. In this committee, an officer of schedule caste, schedule tribe and other backward class shall be nominated as a member as per guidelines of General Administration Department of state Govt.

(ii) A meeting of promotion committee shall be held in every one year as per requirements.

(iii) Any officer/employee who has completed five years of service on his/her present post and if the higher post is not available for promotion in his/her cadre in sanctioned set up of posts or vacancies are not available, he/she may be given next higher pay scale on recommendation of Departmental Promotion Committee and after arising the vacancy of higher post, he/she may be promoted on the basis of seniority and qualification as per rules.

(14) **Entitlement for promotion**:

(1) The employees will be promoted on the post of different categories as per regulations and as directed by the Managing Director according to the prevailing rules.

(2) The Departmental Promotion Committee will scrutinize the cases of suitable and qualified employees in different categories entitled for promotion and will recommend in such a way which is deemed proper

(3) At the time of selection of the candidates for promotion minimum required qualification and seniority shall be considered as criteria other than the following points:

(i) Integrity.

(ii) Tact and energy,

(iii) Intelligence and aptitude, and

(iv) Work experience and satisfactory confidential report of service of last five years.

(v) Performance of employees in the existing post.

The name of the employee may be removed from the promotion select list at any time by the Board of Directors or Appointing Authority if it is justified that the promotions were not done under the purview of these rules or justified about disqualification of officer/employees about promotion by the Appointing Authority.

(15) **Preparation of list of suitable officer/employees/ and compliance of roster**:

I. The authorized officer by the Managing Director shall prepare list of those employees who fulfill all the conditions of entitlement as per the rule 14 or acceptable to the committee for the promotion. This list will be sufficient to fulfill all the possible vacant posts till next one year.

II. In order to include in promotion list, it is essential that the selection of promotion should be based in accordance to schedule –IV Para (2) and (5).

III. In this list, the name of officer /employees should be arranged in accordance to service of specific category on the basis of seniority.

IV. Such prepared list shall be amended after review every year and prepared in original shall be submitted every year before the competent authority that will approve the list if found satisfactory.

V. This list will be the criteria for promotion to the service /post as described under schedule IV Para (2) and (3).

VI. According to rule (15) sub rule (II) and (IV) this selection list generally will be effective until and unless it is reviewed and amended provided any employee included in the list is found unsuitable for promotion on account of qualification, conduct, and work behavior or due to any other gracious default in compliance to these rules. Under the circumstances on review by the Appointing Authority it is considered to be genuine to delete the name of any employee then his/her name may be excluded /deleted from selection appointment/promotion list.

(16) **Appointment from the selected list to the service /post**:

(1) At the time of appointment of the employees included in select list on posts of service cadre should be according to the serial number in the select list provided, due to administrative reasons where are necessary, one person whose name is not included in the list or at the next serial number shall be appointed to service/post .For the appointment if the competent authority is of the opinion that the vacancies will not exhaust during coming next three years.

(17) **Interpretation**:- The power of interpreting these rules rests with the Board wherever there is any doubt about the meaning or context or application of any of these rules. The decision of the Board there on shall be final and binding.

(18) **Relaxation**:- The relaxation in these rules may be provided by the Board of Directors.

(19) **Effect on earlier rules:-** After the commencement of these rules, all appointments/promotions in service shall be made by Board of Directors or under the re-delegation of powers to the officers by the competent authority. The appointments/promotions made in Chhattisgarh Tourism Board by Board of Directors or re-delegation of powers by Board of Directors, all these appointments and promotions whether as per rules or not shall be deemed to be considered under the rules. It means all appointment and promotions etc. made earlier shall have no adverse effect under these rules.

(20) By deputation:

(1) If a decision to accept the option of any employee on deputation for absorption in the services of board is taken by the competent authority then that employee will cease his /her lien in ex-employer.

(2) Those employee who are working on the post and pay scale as mentioned in schedule -3 or fulfill the essential required qualifications for that post they will be entitled for absorption against the vacant post of Chhattisgarh Tourism Board under the rules of state Government (Parent department/Tourism board and with the consent of administrative section of both the departments.) provided they have completed four years deputation service in the board and their work was found excellent and satisfactory and no any other officer /employee is left for promotion on this higher post due to this absorption.

(3) The absorption of employee on deputation shall not be given on the higher post and pay scale rather than the post and pay scale before deputation and absorption post shall not be a promotional post. The absorption can only be made on the post of direct recruitment and deputation and confidential report (CR) of last five years before absorption essentially should be good. Absorption from deputation according to above rules, no officer/employee shall be given the benefit of immediate promotion. The promotion shall be given under recruitment and promotion rules on satisfactory performance of five years service on deputation.

(4) The seniority of such employee working on deputation and who has been absorbed in the services of the board shall be determined from the date of absorption. The seniority of such officer/employee shall be placed just below the junior employee in related cadre from the date of absorption.

(21) Commencement of service and seniority:

(1) Except as otherwise provided by or under these rules, service of an employee shall be deemed to commence from the working day on which the employee reports for duty, on an appointment made under these rules ,at the place and time intimated to him by the board.

(2) Seniority of an employee shall be determined according to the length of continuous service in the particular category of post in which a post held by the employee is included. In case where appointments are made on the basis of a merit list, the seniority of such employee shall be determined according to his position on the selection panel, irrespective of the date of joining within the specified time.

(3) A seniority list for each category shall be prepared by the Head office annually.

(22) Resignation from the service of Board:- An employee of the Tourism Board shall not resign, or otherwise quit the service of the Board, without first giving a clear three months notice if he has put in two years or more of continuous service, and one month's notice in other cases or without depositing with the Tourism Board on three month or one month's pay and allowances, as the case may be, in lieu of such notice. In case the employee fails to give the required notice, or deposit the requisite amount of pay and allowances in lieu of notice, the amount payable to him by Tourism board will be adjusted towards these dues and the balance if any will be recovered.

(23) Termination of services:- The Tourism Board shall not terminate the service of an employee without giving three month notice if he has put in more than two years of continuous services or one month's notice in other cases or without paying him three month or one month's pay allowances, as the cases may be, in lieu of such notice.

No portion of leave can be converted into notice period and no leave except casual leave will be permissible during notice period.

The Appointing Authority for special reasons, waive the condition of giving three month's or one month's notice or any portion thereof or depositing three month's or one month's pay and allowances in lieu of such notice, by the employee.

(24) **Superannuation**:- An employee shall attain superannuation on the date of 62 years of age and he shall retire on such date.

Provided that the Appointing Authority, may for special reasons to be recorded in writing, extend from year to year the period of service of an employee beyond the age of superannuation if he continues to remain fit both mentally and physically to the satisfaction of such authority.

(25) **Cessation of service**:- Every employee shall automatically cease to be in the employment of the Tourism Board:-

(i) On expiry of period of notice of termination of service.
(ii) On the termination or removal or dismissal from service of Tourism Board.
(iii) On the expiry of the period for which an employee is appointed.
(iv) On attaining the age of superannuation or on the expiry of the extended period of service and
(v) On the expiry of period of deputation.

(26) **Absence from duty**:

(1) An employee shall not abstain himself from duty without the prior permission of the competent authority to sanction leave. Sickness or physical or mental disability should be supported by a medical certificate issued by a doctor under government service or a registered medical practitioner recognized by the Tourism board. Provided that in the case of temporary indisposition, entailing absence for a period not exceeding 15 days, no medical certificate will ordinarily be required.

(2) In case of doubt about the genuineness of a certificate, the Managing Director may refer the case for a second opinion to a competent medical authority. No employee shall extend his leave without due sanction.

(3) Absence without sanction shall be a break in service.

Provided that if the competent authority is satisfied that the over stay was on account of reasons beyond the control of the individual, it may grant leave as due, for the period of absence.

(27) **Retirement in certain cases**:- Not withstanding any-thing contained in the rules on completion of 25 years of service, an employee may retire from the service with the permission of the board. The board may suomoto and without assigning any reason to retire an employee if he has not attained the age of superannuation. In all such cases where the board retires an employee under this rule, it shall either give him three month notice or equivalent pay to him.

(28) **Time scale of pay**:

(1) The time scale of pay admissible to an employee shall be as specified in the schedule.

(2) The initial pay of an employee shall be determined by the Appointing Authority.

(29) **Increment**:- The increment of an employee shall not be stopped until and unless the competent authority has not passed an order to do so. The increment shall not be given to an employee without the specific sanction of the competent authority.

(30) **Fixation of pay of officiating appointment**:- In the event of an employee appointed on the officiating basis to the higher post carrying duties and responsibilities higher than those attached to the post held by him his initial basic pay in the scale of the higher post shall be fixed at the stage next above the basic pay notionally arrived at by increasing the actual pay drawn by him in the lower post by one increment at stage at which such basic pay is drawn.

Provided that where an employee immediately before his appointment to the higher post is drawing basic pay at the maximum of the time scale of the lower post, his initial basic pay in the time scale of the higher post shall be fixed at the stage in that time scale next above such time scale.

(31) **Saving and Repeal**:-

(1) Any amendment in these rules in the form of variation, modification or addition shall be done by a resolution of the Board of Directors and shall be applicable only after the approval of the Govt. and after its publication in the Govt. Gazette.

CHAPTER – III
CONDUCT AND DISCIPLINE

32. **Devotion to duty:**

(a) An employee shall maintain integrity and devotion to duty.
(b) Be courteous,
(c) Punctual in work and performance and
(d) Do nothing which is unbecoming of an employee of the Tourism Board.

33. **Not taking part in politics.**

(1) No employee shall except in accordance with any general or special orders issued by the competent authority or in the performance of duties in good faith, communicate directly or indirectly any document or matter or pass any information of the Tourism Board to any other person.

(2) No employee should take active part in politics or in any political demonstrations or movements or strikes or stand for election as member of Municipal Council, Panchayat, District Board or Legislative or Parliamentary bodies.

(3) No employee shall be in association with, or be a member or a worker of any political party or communal organization or any other organization or party banned by the government.

(4) If any question arises whether any movement of activity falls within scope of this bye law the decision of the Board thereon shall be final.

(34) **Connection with Media:**

(1) No employee shall in any radio broadcast or T.V. or in any published document or in communication to the press or in public utterance, make any statement of fact and opinion, which has the affect of disparaging the Board, its management or has the effect of bringing the name of the Tourism Board to disrepute or which is capable of embarrassing the Board.

(2) No employee shall except with the prior sanction of the competent authority:-

(a) Own wholly or in part, conduct or participate in printing or managing any news paper or other periodical publications.

(b) Solicit or express any subscription in aid of any fund for any purpose from a client of Board.

(35) **Private trade or employment:-**

(1) No employee shall, except with the previous sanction of the Competent Authority engage directly or indirectly, in any trade or business or undertake any employment or office whether stipendiary or honorary.

(2) No employee shall take part time work from a private or public body or a private person or accept fee thereof except with the sanction of the Competent Authority is satisfied that the work is not likely to interfere with, and is not detrimental to his official duties and responsibilities.

(36) **Presents/Gift:-** No employee shall except with the previous sanction of the Competent Authority, solicit or accept or permit his wife or dependents, or any member of his family to accept from any client of Tourism Board or from the subordinate employee any gifts or presents.

(37) **Pecuniary obligations:-** No employee shall,

(i). Borrow money from or otherwise place himself under pecuniary obligation to a broker or money lender or subordinate employee or other officials of the Tourism Board or any firm or individual having dealings with the Tourist Board.

(ii). Buy or sell stocks, share and securities of any description without funds to meet the full cost in the case of scripts and for delivery in the case of a sale;

Provided that nothing in this rule shall be deemed to prohibit an employee from making a bonfide investment of his own funds in such securities as he may wish to buy.

(38) **Care of properties, funds etc:-** An employee shall take proper and due care of all properties, moveable or immoveable, cash, funds, records and documents, the supervision and control of which is entrusted to him either implicitly or explicitly.

(39) **Causing loss or damage:-** No employee shall act to the detriment of the Tourism Board and shall not cause financial loss or damage to the property moveable or immoveable, of the Tourist Board in any manner directly or indirectly.

(40) **Statement of Financial Position:-** An employee who falls into debt shall immediately submit a statement of extent of indebtedness to the Competent Authority and shall indicate the steps he is taking to redeem the debts. Such employee shall submit half yearly statements of his financial position until he is free from debt. For the purpose of this rule, an employee shall be deemed to fall into debt if he is unable from his own resources; to meet his financial liabilities as may fall due for settlement. An employee who fails to comply with rule, or makes a false statement of his position, and is unable to liquidate his debts, shall render himself liable to be dismissed from service.

(41) **Purchase, acquisition of immoveable property:-**

(1) No employee shall, except with the previous permission of the Competent Authority, acquire or dispose of any immoveable property by lease, mortgage, sale, gift or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family.

(2) An employee who enters into any transaction concerning any moveable property exceeding twenty five thousand rupees in value, whether by way of purchase, sale should be inform the competent authority immediately provided that no employee shall either enter into any such transaction, except with or through an approved dealer agent of standing, or with previous sanction of the Competent Authority.

(3) Every employee shall, on first appointment and thereafter on the 1st of January every year, submit a return in such form as the Competent Authority may specify in this behalf, of all immoveable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease, mortgage in his own name or in the name of the member of his family or in the name of any other person on his behalf.

(42) Furnishing required information and documents:- Every employee shall furnish such information, documents and statements as he may be called upon to do so. All such information statements and documents shall be furnished truthfully and correctly.

(43) Mis-conduct:- The expression misconduct shall also include the following acts and omissions on the part of an employee:-

(1) Abetting, conniving at or attempting or committing theft, fraud or dishonesty, misappropriation, defalcation and embezzlement in the course of business, management of property of affairs of the Tourism Board or its customers.

(2) Willful damage or attempt to cause damage or loss to the property to the Tourism Board or any of the customers.

(3) Conviction by any court of law for any criminal offence involving moral turpitude.

(4) Unauthorized disclosure or divulgence or information regarding the affairs of the Tourist Board and the disclosure and the divulgence of which is likely to be prejudicial to the interest of the Tourism Board or its constituents.

(5) Giving or taking or attempting to give or take bribe or illegal gratification.

(6) Taking part or canvassing or otherwise interfering or using his influence in any election to the central or state legislature or municipal local bodies or boards or panchayats or the Boards or any communal organizations or any institution constituted by the Government.

(7) Drunkenness or riotous disorderly or indecent behavior on or within the premises of the Tourist Board or any such behaviors outside the premises of the Tourism Board which is likely to affect the reputation of the Tourism Board or any act subversive of discipline.

(8) Willful slowing down in performance of work or inefficiency in work or abetment or instigation thereof.

(9) Commencing, going or joining any strike or stoppage in work individually or as a concerted action or in combination with others or abetting or instigating or acting in furtherance of any strike or stoppage of work.

(10) Unauthorized sale, use, disposal of the property of the Board.

(11) False, incorrect maintenance of accounts of cash, stores and property of the Tourism Board.

(12) Habitual neglect of work or gross negligence in any work or intentionally not performing any work properly.

(13) Gambling, or betting or attempting to gambling or bet.

(14) Speculation in stock, shares, securities or any commodity whether on his own account or on account of any other person.

(15) Holding or attempting to hold or attending any meeting on the premises of the Tourism Board without the previous permission of the Managing Director and in his absence the next subordinate Administrative or Executive Head.

(16) Doing any act detrimental or prejudicial to the interest of the Tourism Board or the Government.

(17) Engaging in any other trade or Occupation.

(18) Appearing in any examination or joining any college, University or School without the permission of the Tourism Board.

(19) Refusal to accept a charge sheet, order, notice or other communication attempted to be served by the Tourism Board or evading the same.

(20) Canvassing for trade union membership and collection of union dues within the premises of the Tourism Board except as permissible under any law.

(21) Not residing at the headquarters fixed by the Tourism Board.

(22) Sleeping during duty hours.

(23) Failure to disclosure of his indebtedness or marking any false statement about the same.

(24) Failure to furnish the statement of wealth at first appointment or later when required.

(25) Distribution or exhibition of any handbills, pamphlets or postures or causing the display by means of signs or writing or other visible representation of any such matter detrimental to the affairs and business of the Tourism Board.

(26) Claiming or preferring any false bills or amounts.

(27) Departure without permission before closing hours.

(28) Knowingly or wrongfully interfering or tampering with the records of the Tourist Board.

(29) Committing nuisance and disturbing other fellow members in the premises or the Tourism Board.

(30) Disregard of ordinary requirements or decency and cleanliness of person and dress.

(31) Loitering, idling, or wasting time during working hours or remaining in office, unauthorisely before and after authorized hours of work without permission of head of office.

(32) Indulging in private or personal work with or without tools or machines belonging to the Tourism Board and misuse of property of the Tourism Board.

(33) Failure to/proper consideration or courtesy or attention towards officers, fellow workers constituents and unseemly or unsatisfactory behavior while on duty.

(34) Unauthorized late attendance or unauthorized absence from duty during duty hours.

(35) Furnishing in-correct information or documents.

(36) Willful disobedience of instructions and orders of the superior authorities.

44. **Penalties:-** The following penalties may, for good and sufficient reasons and as hereinafter provided, be imposed on an employee, namely:-

Minor Penalties:-

(i). Censure

(ii). Withholding with or without cumulative effect one or more increments;

(iii). Recovery from pay, security, surety or sureties the whole or part of any pecuniary loss caused by him to Tourism Board.

(iv). Fine not exceeding rupees five hundred in a year.

Major Penalties:-

(v) Withholding promotion to a higher post.

(vi) Reduction in rank including reduction to a lower post of grade or to a lower time scales or to a lower stage in a time scale.

(vii) Removal or termination or discharge from service except when it is made in accordance with the provisions relating to superannuation or retirement.

(viii) Dismissal from service.

Provided that an employee shall not be reduced to a grade, or post lower than that to which he was appointed at the time of his entry in service.

45. **Disciplinary Authorities.**

(1) The Board or the Appointing Authority may impose any of the penalties, specified in Byelaw 44 on any employee.

(2) Subject to the provision of sub-byelaws (3) any penalty specified in Byelaws 44 may be imposed by the Appointing Authority or any other authority empowered in this behalf by a general or special order of the Board.

(3) No penalty specified in Byelaws -44 may be imposed by any authority subordinate to the Appointing Authority.

46. **Procedure for minor penalties:-** In case of minor penalties, the Competent Authority or any other officer authorized by him shall give the employee a charge sheet together with a statement of facts clearly stating the nature of misconduct or charges or allegations and stating the circumstances appearing against him and call for his explanation. The employee shall be given an opportunity of submitting his explanation within a period of seven days.

After receipt of application, the Competent Authority may after considering the circumstances, make an enquiry or cause an enquiry to be made by such officer and in such manner, as he deems proper, and pass an order awarding punishment.

47. Procedure for imposing major penalties:-

(1) No order shall be passed imposing any of the major penalties specified in clauses (v) to (viii) of Byelaws 44 on an employee unless he has been informed in writing of the grounds on which it is proposed to take action and has been afforded an adequate opportunity of defending himself.

(2) The grounds on which it is proposed to take action shall be reduced to the form of a definite charge or charges which shall be communicated to the employee together with a statement of allegations on which each charge is based and of any other circumstances which it is proposed to take into consideration in passing orders in the case.

(3) The employee shall be required within such time as may be specified by Appointing Authority, to submit a written statement of his defense and to state whether he desires to be heard in person and produce witness.

(4) The employee charged may request for an access to the record for the purpose of preparing his written statement.

Provided that the Appointing Authority may for reasons to be recorded in writing refuse him such access if in its opinion such records are not strictly relevant to the case or it is not desirable in the public interest or in the interest of the Tourism Board to allow him access thereto.

(5) The employee charged shall remain present during the proceedings of enquiry. If he remains absent the enquiry shall be conducted ex-party.

(6) After the written statement is received in accordance with clause (3) or if no such statement is received within the time specified, the Appointed Authority may, if it considers it necessary appoint an Enquiry Officer to enquire into the charges as provided hereinafter.

(7) If the employee desires to be heard in person, he shall be so heard. If he desired that an oral enquiry be shall be held or if the Appointing Authority so directs an enquiry shall be held by the Enquiry Officer. At such enquiry, evidence shall be heard as to such of the allegations as are not admitted and the employee charged shall be entitled to cross examine the witness or witnesses who give evidence in person and to have such witness or witnesses called as he may be with:

Provided that the enquiry officer may for reasons to be recorded in writing may refuse to call a witness whose evidence is in the opinion of the Enquiry Officer not relevant or material.

(8) At the conclusion of the enquiry the authority enquiring in to the charges shall prepare report of the enquiry, recording its findings on each of the charges together with the reasons thereof , if in the opinion of such authority the proceedings of the enquiry establish charges different from those of the enquiry establish charges different from those originally framed, it may record its findings on such charges:
Provided that findings on such charges shall not be recorded unless the employee charged has admitted the facts constituting them or has had an opportunity of defending himself against them.

(9) The record of the enquiry shall include:

(i). the charges framed against the employee and statement of allegations furnished to him under sub-byelaws (2).

(ii). his written statement of defense, if any,
(iii). the evidence recorded in the course of enquiry,
(iv). the orders, if any , made by the Board and the report of the authority making the inquiry in regard to the enquiry, and
(v). a report setting out the findings on each charge and the reasons the fore these.

(10) The Appointing Authority shall consider the record of the enquiry and determine which of the findings of the enquiry officer, it accepts.

(11) The Appointing Authority having record of the findings recorded or accepted has arrived at any provisional conclusion in regard to one of the penalties specified in clauses (v) to (viii) of Byelaws 44 to be imposed it shall,
(a) furnish to the employee concerned a copy of the report of the enquiry together with a statement of such findings, and

(b) give him a show cause notice stating the action proposed to be taken in regard to him and calling upon him to submit within a specified time such representation as he may wish to make against the proposed action.

(12) The Appointing Authority shall determine having regard to the findings recorded or accepted by and the representation if any made by the employee under sub-byelaws(11) What penalty if any should be imposed on him and pass appropriate orders on the case and the orders so passed shall be communicated to the employee concerned.

(48) **Special provisions in certain cases:-** The provisions of Byelaws 45 and 46 shall not apply where the penalty is imposed on an employee on the ground of conduct which led to his conviction on a criminal charge or where the Appointing Authority is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that it is not reasonably practical to hold an enquiry in the manner provided in these Byelaws, the Appointing Authority may, after consideration of the case, pass such orders thereon, as it deemed fit.

(49) **Common Proceedings:-**Where two or more employee are concerned in any case, the Board or any other authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such employees may take an order directing that the disciplinary action against all of them may be taken in common proceedings.

(50) **Review:-** The Competent Authority may suo-moto or on representation made to it may review an order passed by itself and may vary or modify the order if the circumstances so warrant and if it reasonably appears that gross injustice has caused to the employee concerned. Provided that the Competent Authority shall not review his own order after a period of 180 days from the date the order was passed.

(51) **Suspension pending disciplinary proceedings:-** An employee may be placed under suspension by the Appointing Authority:–
(a) Where disciplinary proceedings against him are contemplated or are pending, or
(b) Where a case against him in respect of a criminal charge is pending, if the charge is connected with his duties as a servant of Board or is likely to embarrass him in the discharge of his duties in the Board or involve moral turpitude.

Until termination of the proceedings or investigation or trial.

(52) **Subsistence allowance during suspension:-** An employee placed under suspension shall draw subsistence allowance at such rates not exceeding half of his total salary inclusive of dearness and other allowance drawn by him immediately preceding the date of suspension as

the Appointing Authority may direct, where the suspension is not followed by a punishment, the period of suspension and the salary thereof shall be regulated in such a manner as may be decided by the Appointing Authority. Where it is followed by punishment, the period spent under suspension shall also be regulated in such a manner as may be decided by the Appointing Authority.

(1) During the period of suspension an employee shall not take up any other employment in any manner whatsoever. An employee under suspension shall attend at the place of posting regularly and in case of change of his headquarters during the period of suspension, at such unit or office of the Tourist Board to which he is attached.

(53) **Right of Appeal:-** Every employee shall be entitled to appeal as hereinafter provided from an order passed by an authority imposing on him any of the penalties specified in Byelaws-44.

(54) **Form and contents of Appeal:-**

(1) Every employee preferring an appeal shall do so in his own name.

(2) It shall be written in English or Hindi language.

(3) It shall be crouched in polite and respectful language and shall be free from unnecessary padding or superfluous verbiage.

(4) It shall contain all material statements or arguments relied on, and shall be complete in it.

(5) It shall specify the relief sought for.

(6) It shall be submitted through the authority which made the order appealed against.

(55) **Consideration of Appeal:-** In the case of an appeal against an order imposing any penalty specified above in the Byelaws-44, appellate authority shall consider:-

(a) Whether the facts on which the order was based have been established,

(b) Whether facts established afford sufficient ground for taking action, and

(c) Whether the penalty is excessive or inadequate and after such consideration shall pass such order as it thinks proper.

(56) **Implementation of order in appeal:-** An authority against whose order an appeal is preferred shall under those Byelaws give effect to any order made by the Appellate Authority.

(57) **Limitation for appeal:-** An appeal not preferred with a period of forty five days from the date on which a copy of order appealed against is delivered to the appellant shall be time barred.

Provided that the Appellate Authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

(58) **Appellate Authorities:-** An employee including as employee who has ceased to be in the service of the Tourist Board except censure warning, fine, adverse entries in the character rolls , specified in the sub-Byelaws (i), (ii), (iii) and (iv) of the Byelaws-44 to the authorities mentioned below:

(a) If the order appealed against is of an Office subordinate to the Managing Director, to the Managing Director.

(b) If the order appealed against is of the Managing Director, to the Board.

(59) **When appeal may be with–held:**

(1) An appeal may be withheld by the disciplinary authority if,

(a) It does not comply with the requirements of the Byelaws 54,

(b) It is illegible or is unintelligible,

(c) It deals with matter which does not concern the employee personally.

(d) It repeats an appeal already rejected by the authority to whom the appeal is addressed and does not, in the opinion of the disciplinary authority disclose any new points or circumstances which afford ground for reconsideration:

Provided that when an appeal is withheld under this clause, the concerned authority shall submit to the Appellate Authority a statement of the grounds on which the appeal is withheld;

(e) It is addressed to an authority to which no appeal lies under these Byelaws.

(2) In every case in which an appeal is withheld, the authority withholding the appeal shall inform the applicant the fact of withholding the appeal and the reasons for withholding it.

(3) An appeal which is not withheld shall be forwarded to the Appellate Authority with the comments of the disciplinary authority as soon as possible.

(4) No appeal shall be against the order withholding an appeal.

(60) **Procedure for disposal of Appeals:**

(1) An appeal may summarily be dismissed if;

(a) It is not submitted in accordance with the Byelaws-54,

(b) No appeal lies under these Byelaws.

(c) It is not submitted within the prescribed time limit and no reasonable cause is shown for the delay.

(d) No new facts or circumstances are adducted which offer ground for a reconsideration of the case;

Provided that in every case in which appeal is dismissed the appellant shall be informed of the facts and reasons for it.

(2) The appellant authority may call for the record of the case from the authority against whose order the appeal has been filed and after consideration of the case may remand it for further enquiry or decision or may pass any order that may be deemed just and proper. Provided further that no order shall be passed to the prejudice of any person until he has been given reasonable opportunity of being heard.

Provided that the penalty imposed shall not be enhanced unless opportunity has been given to the appellant to show cause against the proposed enhancement.

(61) **Revision:-** The Board may at time , either on its own motion or on representation made by the person concerned within six months of the date of the order, call for and examine the record of any enquiry made under these Byelaws and after the consideration of the case pass such orders as it may deem fit.

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made unless the person concerned has been given a reasonable opportunity or making representation against the proposed penalty or enhancement of the penalty.

CHAPTER – IV
MISCELLANEOUS

(62) **Leave:-** In respect of leave or surrender of earned leave for encashment an employee shall be governed by the rules of the Board.

(63) **Travelling and Daily Allowance:-** In respect of travelling allowance and daily allowance an employee shall be governed by the rules of the Tourism Board.

(64) **Reimbursement of Medical Charges:-** The admissibility of expenses incurred by an employee on medical attendance and treatment in connection with his illness and that of his family shall be governed by the rules of the Tourism Board.

(65) **Dearness Allowance:-** Entitlement and grant of Dearness Allowance and Additional Dearness Allowance may be regulated in accordance with and as per the State Government rules or instructions issued or modified from time relating to the scale of pay, corresponding to that prescribed for the employees of the Tourism Board.

(66) **Festival Advance and Grain Advance:-**These advances shall be regulated and admissible in accordance with the instructions of the Board issued from time to time.

(67) **Service Record:-**

(a) The Appointing Authority shall maintain a service book in respect of each employee. The leave account, except that of casual leave, transfers, annual increments promotions and punishments, if any, shall be recorded in service book from time to time. The officer authorized shall be responsible for the safe custody of service books of the employee.

(b) Verification of service of each employee shall be done at the end of each calendar year and entry to that effect made in the service book under proper attestation of the officer authorized to do so.

(c) The account of earned leave and casual leave of each employee shall be separately maintained by the officer competent to sanction such leave.

(68) **Character Rolls:-** A character roll of each employee at the close of each financial year shall be maintained in the form laid down by the Managing Director.

(1) Any adverse remarks in the character roll shall be communicated in writing to the employee concerned within one month.

(2) The character rolls of all the employees shall be kept in the safe and proper custody.

(69) **Cash security and personal security:-** An employee dealing with cash or stores or purchase shall be required to furnish cash or personal security or both as may be fixed by the Board or the Managing Director.

(70) **Representations:-** Any representation by an employee shall be disposed of by the Managing Director or the Appointing Authority. The decision of the Managing Director or the Appointing Authority shall be final.

(71) **Saving & Repeal:-**

1. The Provision regarding reservation of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes will bound by the directions & orders issued by the State Government from time to time.

2. The rules which are not mentioned in the Chhattisgarh Tourism Board recruitment & Promotion Rules 2015 or unclear /dispute, State Government rules will be applicable.

3. If any dispute arises in Chhattisgarh Tourism Board regarding Recruitment & Promotion Rules 2015 the decision of the State Govt. will be final.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANTOSH KUMAR MISHRA, Secretary.

ANNEXURE – "1" (Schedule no. 1)

Head Office

S. No.	Name of the Post	Pay Scale	Sanctioned Post By The Finance Department	Posting
1	2	3	4	5
01	Managing Director	----	1	Deputation from All India Services.
02	General Manager	37400 – 67000 +8700 Grade Pay	2	By Promotion
03	Dy. General Manager	15600 – 39100 +7600 Grade Pay	2	By Promotion
04	Executive Engineer	15600 – 39100 +6600 Grade Pay	1	By Promotion/ Deputation
05	Accounts Officer	15600 – 39100 +5400 Grade Pay	1	By Promotion
06	Administrative Officer	15600– 39100 +5400 Grade Pay	1	By Promotion
07	Sr. Tourist Officer	15600 – 39100 +5400 Grade Pay	1	By Promotion
08	Assistant Engineer	15600 – 39100 + 5400 Grade Pay	1	By Promotion
09	Assistant Superintendent	9300 – 34800 +4300 Grade Pay	1	By Promotion
10	Senior Accountant	9300 – 34800 +4300 Grade Pay	1	Due to promotion post abolished
11	Sub Engineer	9300 – 34800 + 4200 Grade Pay	3	By direct recruitment
12	Planning Assistant	9300 – 34800 +4300 Grade Pay	1	By Promotion
13	Senior Stenographer	9300 – 34800 +4300 Grade Pay	1	By Promotion
14	Assistant Grade. 1	5200 – 20200 +2800 Grade Pay	2	By Promotion (Due to promotion 1 post abolished)
15	Assistant Grade. 2	5200 – 20200 +2400 Grade Pay	2	By Promotion

1	2	3	4	5
16	Assistant Grade. 3	5200 – 20200 +1900 Grade Pay	5	By direct recruitment/ Promotion
17	Driver	5200 – 20200 +1900 Grade Pay	1	By direct recruitment
18	Driver	5200 – 20200 +1900 Grade Pay	3	By direct recruitment
19	Carpenter	5200 – 20200 +1900 Grade Pay	1	Abolished Post
20	Senior Peon	4750 – 7440 +1400 Grade Pay	1	By Promotion
21	Peon	4750 – 7440 +1300 Grade Pay	5	By direct recruitment
22	Sweeper	4750 – 7440 +1300 Grade Pay	1	By direct recruitment
23	Watchman	Collector Rate	1	By direct recruitment
		TOTAL	**39 Post**	

For Chairman Office, Chhattisgarh Tourism Board				
S. No.	Name of the Post	Pay scale	Sanctioned by Finance Department	Posting
1	2	3	4	5
1	Personal Assistant/ Stenographer	9300 – 34800 +4300 Grade Pay	1	By Direct Recruitment
2	Computer Operator	5200 – 20200 +2400 Grade Pay	1	By Direct Recruitment
3	Driver	5200 – 20200 +1900 Grade Pay	1	By Direct Recruitment
4	Peon	4750 – 7440 +1300 Grade Pay	1	By Direct Recruitment
		TOTAL	**4**	

For Hotel Chhattisgarh, Raipur				
S.No.	Post	Pay scale	Sanctioned Post by Finance Department	Posting
1	2	3	4	5
1	Senior Manager	15600 – 39100 +5400 Grade Pay	1	By Promotion
2	Manager	9300 – 34800 +4300 Grade Pay	3	By Promotion
3	Receptionist	5200 – 20200 +2800 Grade Pay	2	By Promotion
4	Front Office Assistant	5200 – 20200 +2400 Grade Pay	2	By Direct Recruitment
5	Steward	5200 – 20200 +2400 Grade Pay	1	By Promotion
6	Cook Grade - 1	5200 – 20200 +2400 Grade Pay	1	By Promotion
7	Cook Grade – 2	5200 – 20200 +2200 Grade Pay	1	By Promotion
8	Cook Grade – 3	5200 – 20200 +1900 Grade Pay	1	By Promotion

1	2	3	4	5
9	Cook Grade - 4	4750 – 7440 +1400 Grade Pay	2	By Promotion
10	Head Waiter	4750 – 7440 +1400 Grade Pay	7	5 Post Abolished.
11	Electrician	5200 – 20200 +1900 Grade Pay	2	By Direct Recruitment
12	Waiter/Room boy	4750 – 7440 +1300 Grade Pay	4	By Direct Recruitment
13	Helper	4750 – 7440 +1300 Grade Pay	4	By Direct Recruitment
14	Watchman	4750 – 7440 +1300 Grade Pay	3	By Direct Recruitment
15	Sweeper	Collector's Rate	4	By Direct Recruitment
16	Gardener	Collector's Rate	2	By Direct Recruitment
		TOTAL	**40 Posts**	

For Tourist center within and outside of the state

S.No.	Name of the Post	Pay Scale	Sanctioned by the Finance Department	Posting
1	2	3	4	5
1	Tourist Officer	9300 – 34800 + 4300 Grade Pay	15	By Direct recruitment/ Promotion
2	Information Assistant	5200 – 20200 + 2800 Grade Pay	15	By Direct Recruitment
3	Peon	4750 – 7440 + 1300 Grade Pay	15	By Direct Recruitment
			45	

Annexure – II (Schedule-II)
Schedule – 2 – Rule no. 06

S.No	Post	Pay Scale	Posts sanctioned by the Finance Depart-ment.	The percentage of post to be filled by direct recruitment	Percentage of promotion posts to be filled by the recommendation of promotion committee	Posting
1	2	3	4	5	6	7
01	Managing Director	----	1	....	....	Deputation from All India Services.
02	General Manager	37400 – 67000 +8700 Grade Pay	2	....	100%	By Promotion
03	Dy. General Manager	15600 – 39100 +7600 Grade Pay	2	....	100%	By Promotion
04	Executive Engineer	15600 – 39100 +6600 Grade Pay	1	....	....	By Promotion / Deputation

1	2	3	4	5	6	7
05	Accounts Officer	15600 – 39100 +5400 Grade Pay	1	....	100%	By Promotion
06	Administrative Officer	15600– 39100 +5400 Grade Pay	1	....	100%	By Promotion
07	Senior Tourist Officer	15600 – 39100 +5400 Grade Pay	1	....	100%	By Promotion
08	Assistant Engineer	15600 – 39100 + 5400 Grade Pay	1	....	100%	By Promotion
09	Assistant Superintendent	9300 – 34800 +4300 Grade Pay	1	....	100%	By Promotion
10	Senior Accountant	9300 – 34800 +4300 Grade Pay	1	....	.....	Abolished Post
11	Sub – Engineer	9300 – 34800 +Grade Pay 4200	3	100%	.....	By Direct Recruitment
12	Planning Assistant	9300 – 34800 +4300 Grade Pay	1	....	100%	By Promotion
13	Senior Stenographer	9300 – 34800 +4300 Grade Pay	1	....	100%	By Promotion
14	Assistant Grade – 1	5200 – 20200 +2800 Grade Pay	2	....	100%	1 post Abolish
15	Assistant Grade – 2	5200 – 20200 +2400 Grade Pay	2	....	100%	By Promotion
16	Assistant Grade – 3	5200 – 20200 +1900 Grade Pay	5	80%	20%	By direct recruitment/ By Promotion
17	Driver	5200 – 20200 +1900 Grade Pay	1	100%	....	By Direct Recruitment
18	Driver	5200 – 20200 + Grade Pay 1900 Amended pay scale under circular no.10-1/2007/1-3 dated 11/2/2008 of GAD	3	100%	....	By Direct Recruitment
19	Carpenter	5200 – 20200 + 1900 Grade Pay	1	....	....	Abolish post
20	Senior Peon	4750 – 7440 + 1400 Grade Pay	1	....	100%	By Promotion
21	Peon	4750 – 7440 + 1300 Grade Pay	5	100%	....	By Direct Recruitment
22	Sweeper	4750 – 7440 + 1300 Grade Pay	1	100%	....	By Direct Recruitment
23	Watchman	Collector's Rate	1	100%	....	By Direct Recruitment
		TOTAL	**39 Posts**			

For Information Centre within and outside the State

S.No.	Posts	Pay Scale	Posts sanctioned by the Finance Department	The percentage of posts filled by direct recruitment	Percentage of promotion posts to be filled by the recommendation of promotion committee	Posting
1	2	3	4	5	6	7
1	Tourist Officer	9300–34800 +4300 Grade Pay	15	60%	40%	By direct recruitment/ Promotion
2	Information Assistant	5200 – 20200 +2800 Grade Pay	15	100%	......	By direct recruitment
3	Peon	4750 – 7440 +1300 Grade Pay	15	100%	......	By direct recruitment
TOTAL			**45**			

For the office of the Chairman, Chhattisgarh Tourism Board

S.No.	Post	Pay Scale	Posts sanctioned by the Finance dept.	Percentage of posts filled by direct recruitment	Percentage of promotion posts to be filled by the recommendation of promotion committee	Posting
1	2	3	4	5	6	7
1	Personal Assistant/ Stenographer	9300– 34800 + 4300 Grade Pay	1	100%	......	By direct recruitment
2	Computer Operator	5200– 20200 + 2400 Grade Pay Amended pay scale under order no. F-10-1/2009/1-3 dated 22/7/2011 of GAD	1	100%	......	By direct recruitment
3	Driver	5200 – 20200 + 1900 Grade Pay	1	100%	......	By direct recruitment
4	Peon	4750 – 7440 + 1300 Grade Pay	1	100%	......	By direct recruitment
			4			

Chhattisgarh Hotel, for Raipur

S. No.	Post	Pay scale	Sanctioned pool by fin. dept	Percentage of posts filled by direct recruitment	Percentage of promotion posts to be filled by the recommendation of promotion committee	Posting
1	2	3	4	5	6	7
1	Senior Manager	15600 – 39100 +5400 Grade Pay	1	.....	100%	By Promotion
2	Manager	9300 – 34800 +4300 Grade Pay	3	.....	100%	By Promotion
3	Receptionist	5200 – 20200 +2800 Grade Pay	2	.....	100%	By Promotion
4	Front Office Assistant	5200 – 20200 +2400 Grade Pay	2	100%	.....	By Direct Recruitment
5	Steward	5200 – 20200 +2400 Grade Pay Amended pay scale under circular no. F-19-2/2008/1-3 dated 02/06/2008 of GAD	1	.....	100%	By Promotion
6	Cook Grade - 1	5200 – 20200 +2400 Grade Pay	1	.....	100%	By Promotion
7	Cook Grade – 2	5200 – 20200 +2200 Grade Pay	1	.....	100%	By Promotion
8	Cook Grade – 3	5200 – 20200 +1900 Grade Pay	1	.....	100%	By Promotion
9	Cook Grade - 4	4750 – 7440 +1400 Grade Pay	2	.....	100%	By Promotion
10	Head Waiter	4750 – 7440 +1400 Grade Pay	7	.....	100%	05 post abolish., remaining by promotion
11	Electrician	5200 – 20200 +1900 Grade Pay Amended pay scale under circular no. 10-2/2007/1-3 dated 11/2/2008 of GAD	2	100%	.....	By Direct Recruitment
12	Waiter/Room boy	4750 – 7440 +1300 Grade Pay	4	100%	.....	By Direct Recruitment
13	Helper	4750 – 7440 +1300 Grade Pay	4	100%	.....	By Direct Recruitment
14	Watchman	4750 – 7440 +1300 Grade Pay	3	100%	.....	By Direct Recruitment
15	Sweeper	Collector's Rate	4	100%	.....	By Direct Recruitment
16	Gardener	Collector's Rate	2	100%	.....	By Direct Recruitment
TOTAL			**40 Posts**			

Annexure – III (Schedule-III)
SCHEDULE – 3 (By Recruitment and Deputation) Rule no. – 8

S. No.	Name of Service	Pay Scale	Min/ Max age limit	Educational Qualifications	Selection Committee
1	2	3	4	5	6
01	Sub-Engineer	9300–34800 + 4200 Grade Pay	21/35	Diploma in Civil Engineering, with 05 years practical experience in Govt. Undertaking/Govt. OR, 05 years experience in Construction work from any reputed instituting.	(I) A. GM – Chairman. B. In-charge (Establishment/ Administration) – member, And C. One Officer from reserve category of other govt. dept. (2nd class gazette) member. OR, (II) Professional examination Board.
02	Assistant Grade– 3	5200 – 20200 + 1900 Grade Pay	21/35	1. Should have passed the H.S.S.C. Exam. 2. Should have passed English or Hindi typing with a speed of 25/30 words p.m. from the board of shorthand and typing or from govt. recognized Institution and should have diploma in Computer. 10000 key depuration per hour in computer is essential.	I) A. GM – Chairman. B. Incharge (Establishment/ Administration) – member, And C. One Officer from reserve category of other govt. dept. (2nd class gazette) member. OR, (II) Professional examination Board.
03	Computer Operator	5200–20200 + 2400 Grade Pay	21/35	1. Should have passed the HSSC exam. 2. Should have 1 year diploma in data entry Operator/Programming from recognized Institution. 3. Speed of 10000 key depuration per hour is essential	(I) A. GM – Chairman. B. Incharge (Establishment/ Administration) – member, And C. One Officer from reserve category of other govt. dept. (2nd class gazette) member. OR, (II) Professional examination Board.

1	2	3	4	5	6
04	Driver	5200 – 20200 + 1900 Grade Pay	23/35	1. 8th standard Pass 2. License of heavy vehicle driving 3. 05 years experience in Heavy Vehicle Driving	(I) A. GM – Chairman. B. Incharge (Establishment/ Administration) – member, And C. One Officer from reserve category of other govt. dept. (2nd class gazette) member. OR, (II) Professional examination Board.
05	Peon	4750 – 7440 + 1300 Grade Pay	21/35	8th Standard Pass	(I) A. GM – Chairman. B. Incharge (Establishment/ Administration) – member, And C. One Officer from reserve category of other govt. dept. (2nd class gazette) member. OR, (II) Professional examination Board.
06	Watch-man	4750 –7440 + 1300 Grade Pay	21/35	1. 8th Standard Pass 2. Physically Sound	(I) A. GM – Chairman. B. Incharge (Establishment/ Administration) – member, And C. One Officer from reserve category of other govt. dept. (2nd class gazette) member. OR, (II) Professional examination Board.
07	Sweeper	4750 –7440 + 1300 Grade Pay	21/35	1. 5th Standard Pass 2. Physically Sound	(I) A. GM – Chairman. B. Incharge (Establishment/ Administration) – member, And C. One Officer from reserve category of other govt. dept. (2nd class gazette) member. OR, (II) Professional examination Board.

1	2	3	4	5	6
08	Tourist Officer	9300 –34800 + 4300 Grade Pay	21/35	1. Should have Graduate from any Govt. recognized university/institution. 2. Post graduate diploma in Tourism and Travel Management from any Govt. recognized University /institution. 3. Fluent in English Language, Preference will be given to knowing knowledge of any foreign-Hindi-regional languages. 4. Two year working experience in reputed Travel Agency or Tourism Board/corporation Tourism related industry. Knowledge of computer is essential. Good personality. 02 years experience in Tourist trade.	(I) A. GM – Chairman. B. Incharge (Establishment/ Administration) – member, And C. One Officer from reserve category of other govt. dept. (2nd class gazette) member. OR, (II) Professional examination Board.
09	Information Assistant	5200 – 20200 + 2800 Grade Pay	21/35	Should have graduated from any recognized University, Fluent in English language, preference will be given to s knowing of any foreign, Hindi, regional language. Should have at list 2 years experience in Tourism/ Travel Trade.	(I) A. GM – Chairman. B. Incharge (Establishment/ Administration) – member, And C. One Officer from reserve category of other govt. dept. (2nd class gazette) member. OR, (II) Professional examination Board.

1	2	3	4	5	6
10	Electrician	5200 – 20200 + 1900 Grade Pay	18/35	Certificate of trade from ITI. License Holder Education. 8th Standard. Experience of 02 years.	(I) A. GM – Chairman. B. Incharge (Establishment/ Administration) – member, And C. One Officer from reserve category of other govt. dept. (2nd class gazette) member. OR, (II) Professional examination Board.
11	Waiter	4750 – 7440 + 1300 Grade Pay	20/35	1. 8th standard pass. 2. Physically sound	(I) A. GM – Chairman. B. Incharge (Establishment/ Administration) – member, And C. One Officer from reserve category of other govt. dept. (2nd class gazette) member. OR, (II) Professional examination Board.
12	Room Boy	4750 – 7440 + 1300 Grade Pay	20/35	1. 8th standard pass. 2. Physically sound	
13	Helper	4750 – 7440 + 1300 Grade Pay	20/35	1. 5th standard pass. 2. Preference will be given to those Candidates who have experience of 02 years as kitchen helper in hotel.	
14	Gardener	Collector Rate	20/35	1. 8th standard pass. 2. Physically sound	(I) A. GM – Chairman. B. Incharge (Establishment/ Administration) – member, And C. One Officer from reserve category of other govt. dept. (2nd class gazette) member. OR, (II) Professional examination Board.
15	Front Office Assistant	5200 – 20200 + 2400 Grade Pay	21/35	Essential: Certificate course in Hotel Management or diploma in Hospitality Management at least 50% marks. 01 years experience as a FOA in reputed hotel. Preference will be given to person having knowledge of any foreign – Hindi and English Language.	(I) A. GM – Chairman. B. Incharge (Establishment/ Administration) – member, And C. One Officer from reserve category of other govt. dept. (2nd class gazette) member. OR, (II) Professional examination Board.

1	2	3	4	5	6
16	Driver	5200 – 20200 + 1900 Grade Pay	23/35	1. 5th standard Pass, 2. License of driving 3. 05 years experience	(I) A. GM – Chairman. B. Incharge (Establishment/ Administration) – member, And C. One Officer from reserve category of other govt. dept. (2nd class gazette) member. OR, (II) Professional examination Board.

Annexure – IV (Schedule-VI)
SCHEDULE – 4 (By Promotion)
RULE NO. – 13

S. No.	Feeder Post	Promotion Post	Committee of D.P.C	Condition for Eligibility of promotion
1	2	3	4	5
01	Deputy General Manager 15600– 39100 +7600 Grade Pay	General Manager 37400– 67000 +8700 Grade Pay	1. Secretary – Tourism 2. Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board	Seniority cum merit and a minimum 5 years work experience on previous post.
02	Accounts Officer 15600– 39100 +5400 Grade Pay	Deputy General Manager 15600– 39100 +7600 Grade Pay	1. Secretary – Tourism 2. Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board	Seniority cum merit and a minimum 5 years work experience on previous post.
03	Administrative Officer 15600– 39100 +5400 Grade Pay	Deputy General Manager 15600– 39100 +7600 Grade Pay	1. Secretary – Tourism 2. Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board	Seniority cum merit and a minimum 5 years work experience on previous post
04	Senior Tourist Officer/ Senior Manager 15600– 39100 +5400 Grade Pay	Deputy General Manager 15600– 39100 +7600 Grade Pay	1. Secretary – Tourism 2. Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board	Seniority cum merit and a minimum 5 years work experience on previous post
05	Assistant Engineer 15600 – 39100 + 5400 Grade Pay	Executive Engineer 15600 – 39100 + 6600 Grade Pay	1. Secretary – Tourism 2. Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board	Seniority cum merit and a minimum 5 years work experience on previous post
06	Assistant Superintendent 9300 – 34800 + 4300 Grade Pay	Administrative Officer 15600– 39100 +5400 Grade Pay	1. Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board. 2. General Manager, and 3. An officer from any other Department.	Seniority cum merit and a minimum 5 years work experience on previous post

1	2	3	4	5
07	Sub – Engineer 9300 – 34800 + 4200 Grade Pay	Assistant Engineer 15600 – 39100 + 5400 Grade Pay	1. Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board. 2. General Manager, and 3. An officer from any other Department.	Seniority cum merit and a minimum 5 years work experience on previous post
08	Senior Accountant 9300 – 34800 + 4300 Grade Pay	Accounts Officer 15600 – 39100 + 5400 Grade Pay	1. Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board. 2. General Manager, and 3. An officer from any other Department.	Seniority cum merit and a minimum 5 years work experience on previous post
09	Planning Assistant 9300 – 34800 +4300 Grade Pay	Senior Tourist Officer 15600 – 39100 +5400 Grade Pay	1. Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board. 2. General Manager, and 3. An officer from any other Department.	Seniority cum merit and a minimum 5 years work experience on previous post
10	Assistant Grade -1 5200 – 20200 + 2800 Grade Pay	Assistant Superintendent / Planning Assistant 9300 – 34800 + 4300 Grade Pay	1. Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board. 2. General Manager, and 3. An officer from any other Department.	Seniority cum merit and a minimum 5 years work experience on previous post
11	Assistant Grade -2 5200–20200 +2400 Grade Pay	Assistant Grade -1 5200–20200 + 2800 Grade Pay	1. Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board. 2. General Manager, and 3. An officer from any other Department.	Seniority cum merit and a minimum 5 years work experience on previous post. (clerical cadre)
12	Assistant Grade -3 5200 –20200 + 1900 Grade Pay	Assistant Grade -2 5200 –20200 + 2400 Grade Pay	1. Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board. 2. General Manager, and 3. An officer from any other Department.	Seniority cum merit and a minimum 5 years work experience on previous post(clerical cadre)
13	Peon 4750 –7440 + 1300 Grade Pay	Senior Peon 4750 –7440 + 1400 Grade Pay	1. Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board. 2. General Manager, and 3. An officer from any other Department.	Seniority cum merit and a minimum 5 years work experience on previous post
14	Tourist Officer 9300–34800 + 4300 Grade Pay	Senior Tourist Officer 15600 – 39100 +5400 Grade Pay	1. Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board. 2. General Manager, and 3. An officer from any other Department.	Seniority cum merit and a minimum 5 years work experience on previous post
15	Information Assistant 5200 – 20200 + 2800 Grade Pay	Tourist Officer 9300 – 34800 + 4300 Grade Pay	1. Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board. 2. General Manager, and 3. An officer from any other Department.	Seniority cum merit and a minimum 5 years work experience on previous post

1	2	3	4	5
16	Manager 9300 – 34800 +4300 Grade Pay	Senior Manager 15600 – 39100 +5400 Grade Pay	1. Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board. 2. General Manager, and 3. An officer from any other Department.	Seniority cum merit and a minimum 5 years work experience on previous post
17	Receptionist 5200 – 20200 + 2800 Grade Pay	Manager 9300 – 34800 + 4300 Grade Pay	1. Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board. 2. General Manager, and 3. An officer from any other Department.	Seniority cum merit and a minimum 5 years work experience on previous post
18	Front Office Assistant 5200 – 20200 + 2400 Grade Pay	Receptionist 5200 – 20200 + 2800 Grade Pay	1. Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board. 2. General Manager, and 3. An officer from any other Department.	Seniority cum merit and a minimum 5 years work experience on previous post
19	Steward 5200 – 20200 + 2400 Grade Pay	Receptionist 5200 – 20200 + 2800 Grade Pay	1. Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board. 2. General Manager, and 3. An officer from any other Department.	Seniority cum merit and a minimum 5 years work experience on previous post
20	Cook Grade - 2 5200 – 20200 + 2200 Grade Pay	Cook Grade - 1 5200 – 20200 + 2400 Grade Pay	1. Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board. 2. General Manager, and 3. An officer from any other Department.	Seniority cum merit and a minimum 5 years work experience on previous post
21	Cook Grade - 3 5200 – 20200 + 1900 Grade Pay	Cook Grade - 2 5200 – 20200 +2200 Grade Pay	1. Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board. 2. General Manager, and 3. An officer from any other Department.	Seniority cum merit and a minimum 5 years work experience on previous post
22	Cook Grade - 4 4750 – 7440 + 1400 Grade Pay	Cook Grade - 3 5200 – 20200 + 1900 Grade Pay	1. Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board. 2. General Manager, and 3. An officer from any other Department.	Seniority cum merit and a minimum 5 years work experience on previous post
23	Head Waiter 4750 – 7440 + 1400 Grade Pay	Steward 5200 – 20200 + 2400 Grade Pay	1. Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board. 2. General Manager, and 3. An officer from any other Department.	Seniority cum merit and a minimum 5 years work experience on previous post
24	Waiter/Room Boy 4750 – 7440 + 1300 Grade Pay	Head Waiter 4750 – 7440 + 1400 Grade Pay	1. Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board. 2. General Manager, and 3. An officer from any other Department.	Seniority cum merit and a minimum 5 years work experience on previous post

1	2	3	4	5
25	Helper (Kitchen) 4750 – 7440 + 1300 Grade Pay	Cook Grade - 4 4750 – 7440 + 1400 Grade Pay	1. Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board. 2. General Manager, and 3. An officer from any other Department.	Seniority cum merit and a minimum 5 years work experience on previous post

Note: - There is no restriction of age limit and specified qualification for promotion on these posts.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 25 अप्रैल 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 29/अ-82/2012-13.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ द्वारा ग्राम-तुरंगा, प.ह.नं.-42 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जुमला 4.707 हे. केलो परियोजना के तेलीपाली वितरक नहर के अंतर्गत तुरंगा लघु नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 12-04-2013 तथा दिनांक 18-04-2014 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही में सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात् भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-तुरंगा

ख.न. (1)	रकबा (2)	ख.न. (3)	रकबा (4)	ख.न. (5)	रकबा (6)	ख.न. (7)	रकबा (8)
1/1	0.097	569/4	0.004	371/1	0.004	569/5	0.028

योग - कुल ख. नं. 04 रकबा 0.133

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 35/अ-82/2012-13.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ द्वारा ग्राम-नवापारा, प.ह.नं.-29 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जुमला 6.161 हे. केलो परियोजना के झारमुड़ा शाखा नहर के अंतर्गत शारदा वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 12-04-2013 तथा दिनांक 18-04-2014 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही में सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात् भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-नवापारा

ख.न. (1)	रकबा (2)	ख.न. (3)	रकबा (4)	ख.न. (5)	रकबा (6)	ख.न. (7)	रकबा (8)	ख.न. (9)	रकबा (10)
16/2	0.142	60/6	0.020	64/4	0.020	60/5	0.113	60/8	0.013
60/9	0.057	60/7	0.106						

योग - कुल ख. नं. 07 रकबा 0.471

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 10 मई 2016

क्रमांक 05/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	हिर्री प.ह.नं. 29	7.485	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	पाराघाट फीडर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 मई 2016

क्रमांक 07/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	देवगांव प.ह.नं. 28	6.562	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	पाराघाट फीडर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मई 2016

क्रमांक 08/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	कुली प.ह.नं. 12	0.105	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	लीलागर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत कुली माइनर नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मई 2016

क्रमांक 09/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	बेटरी प.ह.नं. 35	2.443	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	पाराघाट फीडर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मई 2016

क्रमांक 10/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	जैतपुर प.ह.नं. 35	3.774	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	पाराघाट फीडर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मई 2016

क्रमांक 49/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	घुटकु प.ह.नं. 53	69.91	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अंतर्गत उस्लापुर एवं घुटकु वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 मई 2016

क्रमांक 52/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	धौराभाठा प.ह.नं. 14	3.09	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	सल्का व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 7 मई 2016

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिए)

अ-सामाजिक समाघात और लोक प्रयोजन के अवधारण के लिए प्रारंभिक अन्वेषण

क्रमांक 4783/कले./भू-अर्जन/2016.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशायित है अर्थात् :—

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	प्राधिकृत अधिकारी (5)	लोक प्रयोजन का विवरण (6)
धमतरी	कुरूद	भखारा	1.32	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, धमतरी संभाग, धमतरी.	भखारा-सुपेला मार्ग निर्माण कार्य दूरी 4.00 कि.मी.

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 02-06-2016 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) भखारा/सुपेला पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — उक्त सड़क भखारा नगर पंचायत से ग्राम सुपेला को जोड़ती है.
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — कुल-11 परिवार.
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निजी कृषि भूमि का भू-अर्जन किया जाना है, मकान एवं अन्य परिसम्पत्तियां प्रस्तावित भूमि में नहीं है.
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या निरंक है.
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — प्रस्तावित भू-अर्जन परियोजना के लिये न्यूनतम व उचित क्षेत्र है.
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां.
8. परियोजना की कुल लागत — लगभग राशि 653.59 लाख रुपये
9. परियोजना से होने वाला लाभ — उक्त सड़क भखारा नगर पंचायत से ग्राम सुपेला को जोड़ती है, वर्तमान में भखारा से सुपेला जाने हेतु 10 कि.मी. घुम कर जाना पड़ता है. उक्त मार्ग निर्माण से 4 कि. मी. में पहुंच सकेगा. जिससे समय व आवागमन में सुविधा होगी.

10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	लोक निर्माण विभाग द्वारा संभावित व्यय का भुगतान करने हेतु प्रमाण पत्र दिया गया है. विभाग सहमत है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2016

संशोधित

रा.प्र.क्र. 11/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सूरजपुर
- (ख) तहसील-रामानुजनगर
- (ग) नगर/ग्राम-परसापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.184 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
653	0.080
631	0.020
607/1	0.004
607/2	0.020
652	0.010
606	0.050
योग	0.184

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2016

संशोधित

रा.प्र.क्र. 11/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सूरजपुर
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पतरापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.09 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
427/3	0.09
योग	0.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुलिया निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2016

संशोधित

रा.प्र.क्र. 12/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-सूरजपुर
 (ख) तहसील-रामानुजनगर
 (ग) नगर/ग्राम-पटना
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.14 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
609/2	0.10
673	0.02
675	0.02
योग	0.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुलिया निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कबीरधाम, दिनांक 26 अप्रैल 2016

क्रमांक/08/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-कबीरधाम
 (ख) तहसील-बोड़ला
 (ग) नगर/ग्राम-सराईपतेरा, प.ह.नं. 44
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.000 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
12/1	0.280
12/4	0.275
23/15	0.282
102/7	0.089
102/8	0.089
102/6	0.089
102/9	0.085
102/5	0.085
103/2	0.437
103/1	0.110
103/3	0.109
103/4	0.109
103/5	0.105
102/4	0.145
102/3	0.101
102/2	0.145
104/2	0.405
100	0.081
99	0.283
97/16	0.138
23/21	0.222

(1)	(2)
23/7	0.223
12/3	0.255
97/25	0.101
97/20	0.404
97/22	0.069
98/2	0.142
98/3	0.142
योग	5.000

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सरईपतेरा व्यपवर्तन योजना डुब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 26 अप्रैल 2016

क्रमांक/09/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-धामिनडीह, प.ह.नं. 44
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.405 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
45/3	0.405
योग	0.405

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सरईपतेरा व्यपवर्तन योजना डुब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 26 अप्रैल 2016

क्रमांक/10/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-रेंगाखारकला, प.ह.नं. 44
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.477 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2/3	0.600
2/1	0.405
10/2	0.101
10/1	0.202
88/4	0.365
116/8	0.446
118/6	0.202
116/7	0.627
118/5	0.202
118/3	0.405
2/2	0.405
10/3	0.101
88/2	0.202
13	1.214
योग	5.477

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सरईपतेरा व्यपवर्तन योजना डुब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक/01/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-पंडरिया, प.ह.नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.729 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	44/2	0.729
योग		0.729

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-उसरवाही-पंडरिया-दमोह मार्ग पर बंजर नदी पर उच्च स्तरीय पुलमय पहुंच मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 29 अप्रैल 2016

क्रमांक 23/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-दनोट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.428 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	177/5	1.214
	177/3	1.214
योग		2.428

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 17 मार्च 2016

क्रमांक 05/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-ससकालो
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.080 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	23/11	0.040
	23/12	0.040
योग		0.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करेंया माईनर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु सैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जून 2016

क्रमांक/आब. /स्था./2016/2589.—छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा-2012 की अनुपूरक सूची के आधार पर चयनित निम्नांकित उम्मीदवारों को आबकारी उप निरीक्षक (सेवा कार्यपालिक) के पद पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 में एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर उनके उपस्थित होने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा अविध पर नियुक्त किया जाकर उन्हें उनके नाम के समक्ष दर्शाये जिले में आगामी आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पदस्थापना जिले का नाम
1.	श्री नीतिन कुमार	कबीरधाम
2.	श्री मधुकर श्याम हरित	जिला जगदलपुर, बस्तर
3.	श्री आकाश शर्मा	मुंगेली

उपरोक्त अभ्यर्थी की नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन होगी.

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की चयन सूची के अनुसार रहेगी.

2. नियुक्त उम्मीदवार को आदेश प्राप्त होने की तारीख से 15 दिवस के भीतर आबकारी उप निरीक्षक के पद पर संबंधित नियुक्त किये गये जिले में उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा.

3. नियुक्त उम्मीदवारों को उनके उपस्थित होने पर स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी मेडिकल रिपोर्ट उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ संबंधित जिले के अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाणपत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नही होगा. मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

4. संबंधित उम्मीदवार की सेवायें किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते की राशि का भुगतान कर सेवाएं समाप्त की जा सकती है.

5. चयनित उम्मीदवार को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने के लिये किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

6. संबंधित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन पत्र में चरित्र सत्यापन के संबंध में पुलिस विभाग से विपरीत टीका/प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, जो शासकीय सेवा में बाधक हो तो तत्काल सेवामुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी.

7. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश परिपत्र क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 31-3-2012 के कंडिका 3 (C2) अनुसार उनकी नियुक्ति अंनन्तिम है अभ्यर्थी के द्वारा उसकी जाति के प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर 02 माह के भीतर सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी और यदि उक्त नियम अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहा है तो अथवा छानबीन समिति के द्वारा बताये नियोक्ता द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी. तथा झूठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही की जा सकेगी. जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन उपरांत ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किया जावेगा.

8. शाकसीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारीगण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 शासित होंगे.

9. उपरोक्त अभ्यर्थी को संबंधित जिला कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष मूल निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाणपत्रों की मूलप्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाणपत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी.

10. चयनित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा की वापसी के लिये उत्तरदायी रहेगा.

11. उपरोक्त परीविक्षाधीन अधिकारी को जब छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जायेगा तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी निमोरा, रायुपर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

12. परिवीक्षा अधिकारी को परीविक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलि होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिये जा सकेंगे.

13. परिवीक्षा अधिकारी को परीविक्षा अवधि में उच्च मानको द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षायें भी उत्तीर्ण करनी होगी.

14. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

अशोक कुमार अग्रवाल,
आबकारी आयुक्त.

राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 27 मई 2016

क्रमांक 314 /स्थापना/रा.मं./2016.—पूर्व में इस कार्यालय के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 692/स्थापना/रा.मं./2015 बिलासपुर दिनांक 7-11-2015 को अतिक्रमित करते हुये प्रशासकीय कारणों से अध्यक्ष एवं सदस्य, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ के मध्य न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई एवं निवर्तन हेतु निम्नानुसार कार्य विभाजन किये जाते हैं :—

राजस्व मण्डल की दो सदस्यीय पूर्ण पीठ होगी जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी :—

1. अध्यक्ष राजस्व मण्डल
2. सदस्य, राजस्व मण्डल

(ब) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-7.8 के अंतर्गत अंतर्निहीत शक्तियों के क्षेत्राधिकार के प्रकरण एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत प्रकरण

क्रमांक	अध्यक्ष/सदस्य	क्षेत्राधिकार
1.	श्री के.डी.पी. राव अध्यक्ष, राजस्व मण्डल (छ.ग.)	राजस्व जिला बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, बलौदाबाजार, कवर्धा, कोरबा, जांजगीर-चांपा, राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद, सरगुजा
2.	श्री एन. के. खाखा, सदस्य, राजस्व मण्डल (छ.ग.)	राजस्व जिला बस्तर (जगदलपुर), दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव, सुकमा, जशपुर, कोरिया, मुंगेली गरियाबंद, कांकेर, सूरजपुर, बलरामपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग.

(स) **स्थगन आवेदन पत्र.**— अध्यक्ष एवं सदस्य की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय के स्थगन आवेदन पत्रों की सुनाई की व्यवस्था निम्नानुसार की जावेगी :—

क्रमांक	अनुपस्थित न्यायालयीन अध्यक्ष/सदस्य	सुनवाई हेतु न्यायालय
1.	श्री के.डी.पी. राव अध्यक्ष, राजस्व मण्डल (छ.ग.)	श्री एन. के. खाखा, सदस्य, राजस्व मण्डल (छ.ग.)
2.	श्री एन. के. खाखा, सदस्य, राजस्व मण्डल (छ.ग.)	श्री के.डी.पी. राव अध्यक्ष, राजस्व मण्डल (छ.ग.)

(द) अध्यक्ष, राजस्व मण्डल का सदस्य, राजस्व मण्डल (अपने-अपने कार्य क्षेत्र में) की उपस्थिति में किसी भी स्थान पर कोई भी आवेदन सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है. जिसे संज्ञान में लिया जायेगा

न्यायहित में प्रकरणों की सुनवाई एवं क्षेत्राधिकार के संबंध में अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़ के द्वारा निर्णय लिया जायेगा. स्पष्ट किया जाता है कि अध्यक्ष, राजस्व मण्डल छ.ग. द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ कार्यक्षेत्र में उपरोक्त व्यवस्था में किसी बात का होते हुए भी न्यायहित में किसी भी प्रकरण को किसी भी स्थान, किसी पक्षकार के आवेदन पर या स्व-प्रेरणा से सुनवाई हेतु ग्राह्य किया जा सकता है.

(इ) प्रकरण की सुनवाई हेतु नियत दिवस निम्नानुसार हैं :—

क्रमांक	अध्यक्ष/सदस्य	क्षेत्राधिकार
1.	श्री के.डी.पी. राव अध्यक्ष, राजस्व मण्डल (छ.ग.)	1. सर्किट कोट, रायपुर सामान्यत: सोमवार एवं मंगलवार 2. राजस्व मण्डल मुख्यालय, बिलासपुर सामान्यत: प्रथम एवं तृतीय गुरूवार एवं शुक्रवार
2.	श्री एन. के. खाखा, सदस्य राजस्व मण्डल (छ.ग.)	1. सर्किट कोर्ट, रायपुर सामान्यत: गुरूवार एवं शुक्रवार 2. राजस्व मण्डल मुख्यालय, बिलासपुर सामान्यत: माह के (अंतिम सप्ताह को छोड़कर) प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं मंगलवार. 3. सर्किट कोर्ट, जगदलपुर (बस्तर) प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह के सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार

(ई) **प्रकरण की सुनवाई हेतु नियत समय—**

1. न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई कार्य दिवसों में सामान्यत: प्रात: 11.00 बजे से प्रारंभ होकर अपरान्ह 2.00 बजे तक.

2. सामान्यत: शनिवार को प्रकरणों की सुनवाई नहीं होगी.

(उ) प्रकरणों के पंजीकरण की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

हस्ता./-

सचिव,
राजस्व मण्डल.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 मई 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/1376.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2010-11/7717 रायपुर दिनांक 21-02-2011 द्वारा श्री संतोष कुमार सिंह, अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) को कृषि उपज मंडी समिति पत्थलगांव जिला जशपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला जशपुर के पत्र क्र. 2614/व.लि./2016 जशपुर दिनांक 29-04-2016 द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल सहायक संचालक (कृषि) प्र. अनु. अधिकारी (कृषि) को कृषि उपज मंडी समिति पत्थलगांव के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री संतोष कुमार सिंह, अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल सहायक संचालक (कृषि) प्र. अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति पत्थलगांव जिला-जशपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/1509.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2012-13/3349 रायपुर दिनांक 29-08-2012 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली को कृषि उपज मण्डी समिति मुंगेली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है.

कार्यालय कलेक्टर जिला मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 2462/स्थापना/2016 दिनांक 18-05-2016 द्वारा श्री ए. आर. टण्डन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली को भारसाधक अधिकारी नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री ए. के. वैष्णव, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली के स्थान पर श्री ए. आर. टण्डन, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति मुंगेली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/1511.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2014-15/7353 रायपुर दिनांक 27-03-2015 द्वारा श्री रामेश्वर सिंह सिरदार, डिप्टी कलेक्टर जिला सुकमा को कृषि उपज मण्डी समिति कोन्टा जिला-सुकमा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला सुकमा का पत्र क्रमांक 1381/स्टेनो/2016 दिनांक 16-05-2016 एवं ज्ञापन क्रमांक 1427 दिनांक 18-05-2016 द्वारा श्री जे. आर. चौरसिया, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सुकमा जिला सुकमा को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री रामेश्वर सिंह सिरदार, डिप्टी कलेक्टर सुकमा माह जून 2016 में सेवानिवृत्त होने के कारण श्री जे. आर. चौरसिया, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सुकमा जिला सुकमा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति कोन्टा, जिला सुकमा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/1513.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2015-16/204-205 रायपुर दिनांक 09-04-2015 द्वारा श्री बी. आर. लहरी, डिप्टी कलेक्टर जांजगीर-चांपा को कृषि उपज मण्डी समिति नैला का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है.

कार्यालय कलेक्टर जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक 6963/स्थापना/2016 दिनांक 29-04-2016 श्री अजय किशोर लकड़ा, डिप्टी कलेक्टर जिला-जांजगीर-चांपा को भारसाधक अधिकारी नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री बी. आर. लहरी डिप्टी कलेक्टर जांजगीर-चांपा के स्थान पर श्री अजय किशोर लकड़ा, डिप्टी कलेक्टर जिला-जांजगीर-चांपा को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति नैला का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/1672.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2016-17/306-307 रायपुर दिनांक 08-04-2016 द्वारा श्री संजय दीवान, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अभनपुर को कृषि उपज मण्डी समिति नवापारा जिला-रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालय कलेक्टर जिला-रायपुर का पत्र क्रमांक/उ.लि. 1/2015/114/3006 दिनांक 28-5-2016 द्वारा श्री जोगेन्द्र नायक, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर को कृषि उपज मंडी समिति नवापारा जिला-रायपुर के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री संजय दीवान, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अभनपुर का स्थानांतरण होने के कारण उनके स्थान पर श्री जोगेन्द्र नायक, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति नवापारा जिला-रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

नरेन्द्र कुमार शुक्ला,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

जगदलपुर, दिनांक 13 मई 2016

क्रमांक/711/बारसूर व.भू-उप./न.ग्रा.नि./2016.— छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में बारसूर निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 294/बारसूर. व. भू-उप./नग्रानि/2016 जगदलपुर, दिनांक 18 जनवरी 2016 द्वारा किया गया था.

अब एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन बारसूर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग एवं रजिस्टरों को तदानुसार सम्यक रूप से दिनांक 02 मई 2016 को अंगीकृत किया जाता है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसार में इस सूचना को छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का साक्ष्य होगा, कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार एवं अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

बारसूर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम पंचायत बारसूर एवं ग्राम हिटामेटा की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम हिटामेटा एवं नगर पंचायत बारसूर की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	नगर पंचायत बारसूर एवं ग्राम मूचनार की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम मूचनार एवं नगर पंचायत बारसूर की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक अवलोकन हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय नगर पंचायत भवन, बारसूर.

No. 711/Barsoor.E.L./T&CP/2015.—The existing land use map and reister for the Barsoor Planning Area was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide notice No. 294/T.C.P./2016 jagdalpur, dated 18 February 2016.

Therefore a notice is here by given for the general information of the public that existing land use map and register of Barsoor Planning Area prepared and published are duly adopted under the provision of sub section (3) of the section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its Publiccation in Chhattisgarh Gazette under the provision of sub section (4) of section 15 of the said Adhiniyam which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and registers has been duly prepared and adopted on dated 02-05-2016.

SCHEDULE

Limits of Barssor Planning Area

NORTH	:	Nagar Panchayat Barsor and Village Hitameta to the Northern limit
EAST	:	Village Hitameta and Nagar Panchayat Barsoor upto the Eastern limit.
SOUTH	:	Nagar Panchayat Barsor and Village Muchnar upto the Southern limit of village.
WEST	:	Village Muchnar and Nagar Panchayat Barsoor upto the Western limit of village.

The said adopted maps and register shall be available for inspection for general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in the Chhattisagrh Gazette.

Place of Inspection : Nagar Panchayat Bhavan, Barsoor.

डी. के. बघेल,
प्र. उप संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, महासमुन्द (छ.ग.)

महासमुन्द, दिनांक 13 अप्रैल 2016

क्रमांक/558/न.ग्रा.नि./LU-29/09/2016.— छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में बसना निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 1262 महासमुन्द, दिनांक 04-11-2015 द्वारा किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट बसना निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

बसना निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम खेमड़ा, गेर्राभाठा, बरगांव एवं भठोरी ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम भठोरी, पदरडीह, बिटांगीपाली, पण्डरापाट, छोटे टेमरी, बड़े टेमरी एवं गढ़पटनी ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम गढ़पटनी, बंसुला एवं अरेकेल ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम अरेकेल एवं खेमड़ा की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) प्रांगण, महासमुन्द कक्ष क्रमांक-14 मेन रोड, महासमुन्द (छ.ग.).

No. 558/T&CP/LU-29/09/2016.—The existing land use map and register for the Basna Planning Area Existing land use map and Register was published under sub section (1) of Section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide notice No. 1262 Mahasamund dated 04-11- 2015.

Therefore, a notice is hereby given for the general information of the public that the existing land use map and register of Basna Planning Area Existing land use map and Register so prepared and published are duly adopted by the Director, Town & Country Planning, under the provision of sub section (3) of the section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its Publiccation in Chhattisgarh Gazette. Under the provision of sub section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register has been duly prepared and adopted on dated.

SCHEDULE

Limits of Basna Planning Area

NORTH	:	Village Khemda, Gerrabhata, Bargaon & upto Northern Limit of Village Bhathori.
EAST	:	Village Bhathori, Padardih, Bitangipali, Pandraphat, Chhote Temri, Bade Temri & upto Eastern Limit of Village Gadhpatni.
SOUTH	:	Village Gadhpatni, Bansula & upto Southern Limit of Village-Arekel.
WEST	:	Village Arekel & upto Western Limit of Village-Khemda.

The said adopted map and register shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in the Chhattisagrh Gazette.

Inspection site : Office of the Assistant Director, Town & Country Planning Office of the SDO (Revenue) campus, Mahasamund, Room No.-14, Main Road, Mahasamund (C.G.).

एस. एस. ठाकुर,
सहायक संचालक.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 9 जून 2016

क्रमांक/8728/न.ग्रा.नि./2016.— एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कूंरा निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है, उसकी प्रति नगर पंचायत, कूंरा के कार्यालय भवन, कलेक्टर कार्यालय रायपुर एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, शास्त्री चौक, रायपुर छ.ग. में दिनांक 09 जून 2016 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है :—

अनुसूची

कूंरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम मुर्रा, पंडरभट्ठा, अकोली एवं तरपोंगी ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम तरपोंगी, मनहोरा, कुकेरा एवं कपसदा ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम कपसदा, कूंरा एवं बरतनारा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम बरतनारा एवं मुर्रा ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, शास्त्री चौक, रायपुर छ.ग. को सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, तो संयुक्त संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय नगर पंचायत, कूंरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)

No. 8728/T&CP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use maps and registers in Kura Planning Area has been prepared under sub section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection w.e.f. 09 Jun 2016 during office hours in the office of the Nagar Panchayat Kura, the Office of the Collector, Raipur and the office of the Joint Director Town and Country Planning Shastri Chowk Raipur (C.G.). The limits of Kura Planning Area are defind in the Schedule given below :—

SCHEDULE

Kura Planning Area Limits

NORTH	:	Village Murra, Pandarbhattha and upto the Northern limit of Akoli Village.
EAST	:	Village Tarpongi, Manhora, Kukera and upto the Eastern limit of Kapasada Village.
SOUTH	:	Village Kapasada, Kura and upto the Southern limit of Baratnara Village.
WEST	:	Village Baratnara and upto the Western limit of Murra Village.

If there be any objections or suggestions with respect to the existing land use maps and registers so prepared it should be sent in writing to the Joint Director, Town and Country Planning Shastri Chowk Raipur (C.G.). Within a period of thirty days from the date of publication of the notice in "Chhattisgarh Gazette".

Any objections or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use maps and registers before the expiry of the specified period above will be considered by the Joint Director.

Place of Inspection : Office of the Nagar Panchayat, Kura, Raipur (C.G.).

रायपुर, दिनांक 10 जून 2016

क्रमांक 8755/न.ग्रा.नि./2016.— एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि छुरा निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है, उसकी प्रति कार्यालय नगर पंचायत, छुरा, कलेक्टर कार्यालय जिला-गरियाबंद (छ.ग.) एवं कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.) में दिनांक 10 जून 2016 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है :—

अनुसूची

छुरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम कोसमबुड़ा, हरदी एवं डागनबाय ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम डागनबाय एवं पंडरीपानीडीह ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम पंडरीपानीडीह, गादीकोठ, रावनभाठा एवं सारागांव ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम सारागांव एवं कोसमबुड़ा ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, शास्त्री चौक, रायपुर छ.ग. को सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, तो संयुक्त संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय नगर पंचायत छुरा, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

No. 8755/T&CP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use maps and registers in Chhura Planning Area has been prepared under sub section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection w.e.f. 10 Jun 2016 during office hours in the office of the Nagar Panchayat Chhura, the Office of the Collector, Gariaband (C.G.) and office of the Joint Director Town and Country Planning Shastri Chowk Raipur (C.G.). The limits of Chhura Planning Area are defind in the Schedule given below :—

SCHEDULE

Chhura Planning Area Limits

NORTH	:	Village Kosambuda, Hardi and upto the Northern limit of Danganbai Village.
WEST	:	Village Danganbai and upto the Western limit of Pandaripanidih Village.
SOUTH	:	Village Pandripanidih, Gadikoth, Rawanbhata and upto the Southern limit of Saragaon Village.
EAST	:	Village Saragaon and upto the Eastern limit of Kosambuda Village.

If there be any objections or suggestions with respect to the existing land use maps and registers so prepared it should be sent in writing to the Joint Director, Town and Country Planning Shastri Chowk Raipur (C.G.). Within a period of thirty days from the date of publication of the notice in "Chhattisgarh Gazette".

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said existing land use maps and registers before the expiry of the specified period above will be considered by the Joint Director.

Place of Inspection : Office of the Nagar Panchayat, Chhura, Gariaband (C.G.).

विनीत नायर
संयुक्त संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 17th May 2017

No. 359/Confdl./2016/II-1-2/2016.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 11017/36/2016-US.I dated 09-05-2016 of the Government of India, Ministry of Law and Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon' ble Shri Justice Deepak Gupta, Chief Justice of Tripura High Court has assumed charge of the Office of the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh in the forenoon of 16th May, 2016.

बिलासपुर, दिनांक 3 जून 2016

क्रमांक 4521/तीन-10-11/2000.— उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 9207/तीन-10-11/2000 दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 जहां तक उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2/न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, पिथौरा की श्रृंखला न्यायालय बसना से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

No. 4521/III-10-11/2000.—The notification No. 9207/III-10-11/2000 dated 24th December, 2013 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Camp Court of the Civil Judge Class-II/Judicial Magistrate First Class, Pithoura at Basna is hereby cancelled.

By order of the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.

Bilaspur, the 2nd June 2016

No. 40/L.G./2016/II-2-10/2007.—Shri K. Vinod Kujur, Judge Family Court, Kabirdham (Kawardha) is hereby, granted earned leave for 08 days from 25-02-2016 to 03-03-2016 along with permission to leave headquarters and earned leave for 02 days on 08-03-2016 & 09-03-2016 along with permission to leave headquarthers.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kujur, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 264 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 2nd June 2016

No. 41/L.G./2016/II-03-07/2015.—Shri Santosh Sharma, Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act, Surguja at Ambikapur is hereby, granted earned leave for 03 days from 11-04-2016 to 13-04-2016 along with permission to leave headquarters from 09-04-2016 to 17-04-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 160 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 2nd June 2016

No. 42/L.G./2016/II-3-10/2005.—Smt. Minakshi Gondaley, District & Sessions Judge, Surajpur is hereby, granted earned leave for 06 days from 28-03-2016 to 02-04-2016 along with permission to leave headquarters from 27-03-2016 to 03-04-2016.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Gondaley, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 160 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 2nd June 2016

No. 43/L.G./2016/II-2-18/2006.—Shri Ganpat Rao, District & Sessions Judge, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 04 days from 01-04-2016 to 04-04-2016 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rao, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 296 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 2nd June 2016

No. 44/L.G./2016/II-2-3/2000.—Smt. Anuradha Khare I Additional Principal Jude, Family Court, Raipur is hereby, granted earned leave for 03 days from 11-04-2016 to 13-04-2016 along with permission to leave headquarters after 05.30 p.m. of 09-04-2016 till 17-04-2016.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Khare, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 249 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 2nd June 2016

No. 45/L.G./2016/II-3-27/2007.—Smt. Neeta Yadav, I Additional Principal Judge Family Court, Durg is hereby, granted earned leave for 03 days from 25-04-2016 to 27-04-2016 along with permission to leave headquarters from 24-04-2016 to 27-04-2016.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Yadav, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 292 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 2nd June 2016

No. 46/L.G./2016/II-3-65/2001.—Shri Jagdamba Rai, Special Judge (Atrocities), Bilaspur is hereby, granted earned leave for 04 days from 20-04-2016 to 23-04-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rai, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 276 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 2nd June 2016

No. 47/L.G./2016/II-2-5/2006.—Shri Ravi Shankar Sharma, Registrar (I & E) and I/c S & A Cell, High Court of Chhattisagrh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 06 days from 18-04-2016 to 23-04-2016 along with permission to leave headquarters from the morning of 14-04-2016 till the night of 24-04-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 273 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
OMPRAKASH SINGH CHOUHAN, Additional Registrar (ADMN.).